महानगर नई दिल्ली शनिवार 21 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

नागरिकता कानून का विरोध

दिल्ली में दिन भर रहा तनाव, यूपी में जल उठे कई जिले

उग्र प्रदर्शनों में छह की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार की नमाज के बाद नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुए और प्रदेश के नए हिस्सों में हिंसा फैल गई। कानपुर, बिजनौर, मेरठ, फिरोजाबाद, गोरखपुर, बहराइच और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में हिंसा हुई है। अलग-अलग जगहों पर कुल छह लोग मारे गए हैं। बिजनौर में दो और कानपुर, संभल, मेरठ व फिरोजाबाद में एक-एक प्रदर्शनकारी की पुलिस गोली से मौत हुई है। फिरोजाबाद में दर्जन भर बसें फूंक दी गई हैं। राज्य के विभिन्न इलाकों में पुलिस पर पथराव और जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज एवं गोलीबारी की खबरें हैं।

बिजनौर में दो और कानपुर, संभल, मेरठ व फिरोजाबाद में एक-एक प्रदर्शनकारी की मौत

कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने वाहन फूंके, पुलिस पर पथराव, इंटरनेट सेवा रोकी गई

प्रदेश के जिन नए जिलों से हिंसा की खबरें आईं उनमें गोरखपुर, फिरोजाबाद, भदोही, बहराइच, फर्रुखाबाद और संभल शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने से रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई जगहों पर उग्र प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अफवाहें रोकने बाकी पेज 8 पर

यूपी के विभिन्न इलाकों में पुलिस पर पथराव हुआ और जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया गया। कुछ जगहों पर गोलीबारी हुई। फिरोजाबाद में दर्जन भर बसें फूंक दी गईं।

गोरखपुर में शुक्रवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद बिखरे जूते चप्पल।

महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में विरोध

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में जारी हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को राज्य में लागू बाकी पेज 8 पर

नीतीश ने कहा, बिहार में लागू नहीं करेंगे एनआरसी

राजधानी में प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा, पुलिस पर पथराव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ शुक्रवार को भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा। दिन भर चले शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद शुक्रवार शाम को दरियागंज में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और एक कार को आग के हवाले कर दिया। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उनसे शांति की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने पानी की बौछार की और हल्का बल प्रयोग किया। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि शुरुआती छानबीन में पता चला है कि दरियागंज हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे। इनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उग्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त के अलावा पुलिस अधिकारी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें पास के बाकी पेज 8 पर

सीमापुरी में भीड़ को तितर-बितर करते वक्त अतिरिक्त उपायुक्त हुए घायल

पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

1987 से पहले जन्मे हैं तो भारतीय : गृह मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

नागरिकता कानून के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने कुछ भ्रांतियां स्पष्ट करने का प्रयास किया है। गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने मीडिया को शुक्रवार को बताया कि भारत में जिनका जन्म 1987 के पहले हुआ या जिनके माता-पिता की पैदाइश 1987 के पहले की है, वे सभी कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक हैं और नागरिकता कानून 2019 के कारण या देशव्यापी एनआरसी होने की स्थिति में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

भारतीय नागरिकों को माता-पिता/दादा-दादी के जन्म प्रमाणपत्र जैसे 1971 के पहले के रिकार्डों से विरासत साबित नहीं करनी होगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए कहकर किसी भारतीय नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, अधिकारी ने कहा कि अगर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास कोई सुझाव है तो सरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार बाकी पेज 8 पर

उन पर भी लागू, जिनके माता-पिता का जन्म 1987 के पहले हुआ

प्रदर्शनकारियों के सुझाव सुनने को तैयार सरकार

कुलदीप सेंगर को ताउम्र जेल और 25 लाख का जुर्माना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में महिला से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने फैसले में कहा कि दोषी विधायक को बाकी बची उम्र जेल में काटनी होगी। सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया जो उसे एक महीने के अंदर जमा करना होगा। उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद सेंगर तीसहजारी जिला अदालत परिसर के अदालत कक्ष में रो पड़ा। उसकी बहन और बेटी भी साथ में रोते हुए दिखाई दिए। उसे सोमवार को मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भी रोते हुए देखा गया था।

मामले की सह आरोपी बरी, अदालत ने नरम रवैया अख्तियार करने की अर्जी खारिज की

न्यायाधीश ने सेंगर को सजा सुनाने में नरम रवैया अख्तियार करने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि इस अदालत को ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आती जो गंभीरता कम करती हो। सेंगर जनसेवक था और उसने जनता से विश्वासघात किया। अदालत ने यह भी कहा कि 53 वर्षीय सेंगर का आचरण बलात्कार पीड़िता को धमकाने का था। साथ ही अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि बलात्कार पीड़िता को उनकी मां के लिए 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। अदालत ने सीबीआइ को पीड़िता और उसके परिजनों की जान माल पर खतरे का हर तीन महीने में आकलन करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वे एक साल तक दिल्ली महिला आयोग बाकी पेज 8 पर

अदालत ने कहा

सीबीआइ को पीड़िता व उसके परिजनों की जान माल पर खतरे का हर तीन महीने में आकलन करने का निर्देश।

पीड़िता को उनकी मां के लिए 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।

साल भर तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के घर में रहेगा परिवार

उत्तर प्रदेश सरकार करेगी हर महीने 15 हजार रुपए किराए का भुगतान।

एसोचैम के 100वें वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा

मौजूदा सुस्ती के बीच मजबूत होकर निकलेगा देश

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा आर्थिक सुस्ती के दौर जैसी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत फिर से मजबूती के साथ उच्च आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर लौटेगा। उन्होंने उद्योगपतियों से आगे बढ़कर निवेश के लिए कदम उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना संभव है। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक हालात को लेकर सरकार की आलोचना करने वालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय कई तिमाहियां ऐसी रहीं हैं जब अर्थव्यवस्था की हालात काफी खराब रही।

वाणिज्य व उद्योग मंडल 'दि एसोसिएटिड चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) के 100वें वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा, 'अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसके बारे में मुझे सब पता है। मैं इन बातों को चुनौती नहीं देता हूं बल्कि इनमें जो अच्छाई होती है उसे लेकर आगे बढ़ जाता हूं। पिछली सरकार के समय एक तिमाही में आर्थिक वृद्धि की दर 3.5 प्रतिशत रह गई थी। खुदरा मुद्रास्फीति 9.4 प्रतिशत तक पहुंच बाकी पेज 8 पर

मोदी ने उद्योगपतियों के बीच कहा

2024 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना संभव।

20 वर्ष में देश में जितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया उसका 50 फीसद निवेश केवल पिछले पांच साल में आया है।

कारोबार सुगमता के मामले में भारत दुनिया के 190 देशों में 142वें स्थान से 63वें स्थान पर आ गया।

झारखंड : किसी एक दल को बहुमत मिलने के आसार नहीं

रांची, 20 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड विधानसभा के लिए पांच चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद शुक्रवार को आए एग्जिट पोल के नतीजों में किसी भी एक दल की सरकार बनती नहीं दिख रही है और भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की संभावना है।

'आज तक' ने अपने एग्जिट पोल में दावा किया कि भाजपा को सिर्फ 22 से 32 सीटें मिलेंगी वहीं झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को 38 से 50 तक सीटें मिलेंगी। इस सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा बाकी पेज 8 पर

भाजपा को सिर्फ 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान

अंतिम चरण में 71.69 फीसद पड़े वोट

रांची, 20 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचवें और अंतिम चरण में झामुमो का गढ़ माने जाने वाले संथाल क्षेत्र की 16 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार शाम पांच बजे मतदान का समय समाप्त होने तक कुल 71.69 फीसद मतदान हुआ है। अंतिम चरण में 236 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 40,05,287 मतदाताओं बाकी पेज 8 पर

जयपुर विस्फोट मामले में चार दोषियों को फांसी

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
जयपुर, 20 दिसंबर।

जयपुर की विशेष अदालत ने 2008 के जयपुर बम विस्फोट मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार शाम यह सजा सुनाई। दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।'

विशेष अदालत ने बुधवार को दिए फैसले में जयपुर बम विस्फोट मामले में चार आरोपियों मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी ठहराया था जबकि एक आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त कर दिया था। जयपुर सिलसिलेवार विस्फोट में कुल 70 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे।

जयपुर में 13 मई 2008 को शाम लगभग सवा सात बजे 15 मिनट में सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे। लगभग 11 साल पहले हुए इन आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था। पहला धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर और उसके बाद दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर बाकी पेज 8 पर

जयपुर में 13 मई 2008 को सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे।

विस्फोट में 70 लोगों की मौत हुई थी जबकि 185 लोग घायल हुए थे।

दरअसल

कोहरे के कारण कम हुई दृश्यता | **मौसम की मार** | उड़ानों पर भी पड़ा असर, 19 रद्द

100 से ज्यादा रेलगाड़ियां चल रही हैं देरी से

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

शीतलहर और कोहरे की चपेट में आने से जहां दिल्ली बेहाल है, वहीं उत्तर रेलवे की ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। सौ से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। ज्यादातर गाड़ियां दो घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे की अधिकता से दृश्यता घट कर शून्य स्तर तक पहुंच गई, जिसके कारण हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। हवा में नमी का स्तर अधिक (95 फीसद) होने तापमान में कमी आने से दिल्ली की हवा फिर खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक यहां का एक्यूआई 430 दर्ज किया गया।

हवा में नमी का स्तर अधिक (95 फीसद) होने, तापमान में कमी आने से दिल्ली की हवा फिर खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुकी है।

दिल्ली का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई।

रेल अधिकारियों ने बताया कि सौ से अधिक रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। अधिकतर गाड़ियां एक से तीन घंटे की देरी से चल रही हैं वहीं हवाई अड्डे से मिली जानकारी के मुताबिक दस उड़ानों में देरी हुई है।

मौसम विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह छह बजे के पहले पालम में दृश्यता का स्तर बिगड़ कर शून्य हो गया। सफदरजंग में यह 300 मीटर रह गई थी। जिसके कारण रेल व हवाई यातायात पर असर पड़ा है।

दिल्ली से टुंडला, रेवाड़ी, आगरा, अंबाला, मुरादाबाद, सहारनपुर, बठिंडा मार्ग से जाने वाली ट्रेनें कोहरे की वजह से देरी से चल रही हैं। रेलवे अधिकारियों बाकी पेज 8 पर

रविवारी
22 दिसंबर, 2019

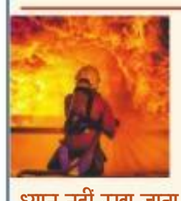

आग के मुहाने
महानगरों के अनेक रिहाइशी इलाकों में अवैध रूप से कारखाने चलते हैं। उनमें सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। इस वजह से आग लगने की घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पेश है अमलेश राजू और निर्भय कुमार पांडेय की रिपोर्ट।

• कहानी/ दिव्या विजय • प्रसंग/ श्रीभगवान सिंह • समाज/ पुष्पलता • शख्सियत/ मदन मोहन मालवीय • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

समझें बच्चों के मन को • वंदना शर्मा
• कविता/ राजेश चंद्र शर्मा
• कहानी/ शिल्पा जैन सुराणा

पाक के लिए जासूसी में नौसेना के सात कर्मचारी गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

आंध्र प्रदेश के अमरावती में पुलिस ने शुक्रवार को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में भारतीय नौसेना के सात कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश एनआइए ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार किए गए सभी नौसैनिकों से पूछताछ की जा रही है। उन सभी को विजयवाड़ा स्थित एनआइए कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें तीन सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

एनआइए कोर्ट में पेश किए गए, तीन सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत

एनआइए अधिकारियों के मुताबिक, आंध्र पुलिस की खुफिया शाखा ने केंद्रीय खुफिया एजंसियों और नौसेना के खुफिया विभाग के साथ मिलकर ऑपरेशन डॉल्फिंस नोज चलाया। वहां नौसेना के सात कर्मचारियों के साथ एक हवाला ऑपरेटर को भी पकड़ा गया है। कुछ अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में जांच जारी है।

गिरफ्तार किए गए नौसैनिकों पर आरोप है कि इन सबने भारतीय पनडुब्बियों और जहाजों की जानकारी अपने पाकिस्तानी हैंडलर को दी थी। पुलिस ने तीन नौसैनिकों को विशाखापत्तनम, दो को कारवार नौसैन्य अड्डे और दो को मुंबई नौसैन्य अड्डे से गिरफ्तार किया। खुफिया विभाग के लोग पिछले कई दिनों से इनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे।

सभी आरोपी 2017 में नौसेना में शामिल हुए थे। सितंबर 2018 में सोशल नेटवर्किंग साइट से तीन-चार महिलाओं के संपर्क में आए। महिलाओं ने बाद में उनका परिचय पाकिस्तानी हैंडलर से व्यापारी के तौर पर करवाया, जिसने उनसे नौसेना की गोपनीय सूचना लेनी शुरू कर दी। ये नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों से लौटने के बाद इनके लोकेशन की जानकारी दिया करते थे। इन्होंने पिछले साल सितंबर-अक्तूबर के बीच नौसेना से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारी हैंडलर को दी। इन्हें इसके बदले एक हवाला ऑपरेटर की मदद से हर महीने पैसे भी दिए गए।

नागरिकता कानून भेदभावपूर्ण : सोनिया

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है।

संशोधित नागरिकता कानून को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने वीडियो संदेश में कहा, 'लोकतंत्र में लोगों को सरकार के गलत निर्णयों व नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है।

सीमा मुद्दे पर भारत और चीन में बातचीत आज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

सीमा मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच अगली वार्ता नई दिल्ली में शनिवार को होगी। इसमें चीनी विदेश मंत्री वांग यि और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल विशेष प्रतिनिधि वार्ता ढांचा के तहत चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीमा मुद्दे पर इस दो दिवसीय वार्ता में सीमा के निर्धारण, सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, 'भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 22वीं बैठक 21 दिसंबर को नई दिल्ली में होगी।' अक्तूबर में मोदी- शी की अनौपचारिक बैठक और हाल ही में बैंकाक में भारत के आरइसीपी से अलग होने के फैसले के बाद वांग की भारत यात्रा, चीन से पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा।

डोभाल और वांग दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों को लेकर वार्ता के लिये विशेष नियुक्त प्रतिनिधि हैं। दोनों पक्ष अक्तूबर में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी के बीच शिखर स्तरीय वार्ता में लिए गए फैसलों के अनुपालन की समीक्षा कर सकते हैं। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के लिए वांग को सितंबर में भारत आना था, लेकिन वह दौरा स्थगित हो गया था। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर के वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद चल रहा है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग के मुताबिक, चीन के विशेष प्रतिनिधि वांग 20-21 दिसंबर को डोभाल के साथ सीमा वार्ता के 22 वें दौर की चर्चा करेंगे। गेंग ने कहा, 'हमारी वार्ता और रणनीतिक संवाद के लिए विशेष प्रतिनिधि वार्ता मुख्य जरिया और महत्त्वपूर्ण मंच है।' उन्होंने बताया कि परिपाटी के तहत दोनों देश बारी-बारी से बैठकें आयोजित करेंगे।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

My correct name is Chander Sharma but it is mentioned as SHRI CHANDER in certificate of education of my son, JAI PRAKASH. CHANDER SHARMA R/o H-217, Karampura, Delhi-110015. 0040524920-2

It is for general information that I,Jagdish Prasad Tomar,S/o Ram Singh Tomar R/o-J-54 FF-1,Dilshad-Colony Delhi-110095,inform that name of mine hasbeen wrongly-written as Jagdish Prasad in my BSES Service Record.The actual name of mine is Jagdish Prasad Tomar which may be amended accordingly. 0040524949-10

I,Shweta Talwar,D/o Arun Talwar R/o.-79,Pine Drive,Malibu Town,Sohna-Road,Gurugram,Haryana-122018,have changed my minor daughter's name,from Shivangi Gupta to Shivangi S,for all purposes. 0040524949-5

I,Sharmil Rohatgi alias Sharmil Choudhary,D/o Hari Babu Rohatgi and W/o Vineet Choudhary R/o-H.No.-B-601,Mayur-Dhawj Apartment,Plot.No.-60, I.P.Extn.PatparGanj, Delhi-110092,have changed my name to Sharmil Choudhary. 0040524949-8

I,Rakesh Dotania,S/o-Om Prakash Dotania,R/o-RZC-75-A,Gali-No.5,Nihal-Vihar,Delhi-110041,that my,name has been wrongly-written as Rakesh Kumar Dotania in my caste certificate,No. 135218.The actual name of mine is Rakesh Dotania. 0040524932-6

I,Rajes Kumar S/o Vadhnath Chourasiya R/o-618-A-5 Shankar Gali,Vishwas Nagar,Shahdara Delhi-110032,inform that name of mine hasbeen written as Rakes Kumar in my Bank A/c,Handicaped Certificate. The actual name of mine is Rajesh Kumar which may be amended accordingly. 0040524949-9

I,Md Rafique Alam,S/O Md Taha,R/O-Masjid Andhra Bhawan,Complex,Jaswant Singh Lane,New-Delhi G.P.O.,New-Delhi-110001,Do inform That My Name Is Wrongly-Mentioned In Voter-Id-Card As RAFIQ Alam And My Father's Name Is Mentioned As TAHIR Hussain My Correct-Name Is MD Rafique Alam And My Father Correct-Name Is MD Taha Should Be Mentioned,For All,Purposes. 0040524932-3

I,Bhupal Singh Rawat,S/o-Khem Singh,inform that,I was permanent residing at Village-Singhar,P.O.-Khunabora,Tehsil & Distt.-Champawat,P.S.-Lohaghat,Uttarakhand-262524,now I am currently residing at Plot.No.279-DE, & 279-F,Third-Floor,(LHS),Vipin Garden,Uttam Nagar, New.Delhi-110059. 0040524527-9

I, Md Raziuddin,S/o Mohammad Moinuddin Siddique R/o-Shop.No.27, Kh.No.-48, G/F, F/Side, Gali.No.2, Saidulajab,Delhi-110030.have changed my name to Mohammad Raziuddin Siddique. 0040524978-1

I,Bhupal Singh Rawat,S/o-Khem Singh,inform that,I was permanent residing at Village-Singhar,P.O.-Khunabora,Tehsil & Distt.-Champawat,P.S.-Lohaghat,Uttarakhand-262524,now I am currently residing at Plot.No.279-DE, & 279-F,Third-Floor,(LHS),Vipin Garden,Uttam Nagar, New.Delhi-110059. 0040524527-9

I, Tagaram R/o K-109, 1st-Floor, Kirti Nagar, New Delhi, have changed my name to Tagaram Chouhan, permanently. 0040524892-1

I, Sushil S/o Lt. Sh. Ram Chander R/o D-74 Delhi Citizen Society, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Sushil Bahamania for all purposes. 0040524904-1

I, Sunil Kumar Agarwal S/o Sh. Dev Narain Dokania R/o H.No. 158-A, Rajendra Park Extn., Gali No. 6B, Nangloi, New Delhi-110041, I inform that Sunil Kumar Dokania, Sunil Kumar and Sunil Kumar Agarwal are of one and same person. That this document is used for all purpose i.e. Bank, LIC, Passport and other related Government official documents. That in future I will be known as Sunil Kumar Agarwal. 0040524911-1

I, Suman Lata W/o Vijay Kumar Khandelwal residing M-463, Guru Harkishan Nagar, Paschim Vihar, Delhi, have changed my name to Suman Khandelwal for all purposes. 0040524879-1

I, Sukhdev R/o 1243, Sector 5, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh have changed my name to Sukhdev Luthra for all purposes. 0070689189-1

I, Subhash Chand S/o Chander Bhan Bhardwaj R/o 101/5, Shiv Park , Nangloi Delhi-110041 Have Changed My Name to Subhash Chander Bhardwaj. 0070689197-1

I, Sonu S/o Ompal R/o Village Bashariya Sector-8, Dist-Gurgaon-122503 Have Changed My Name to Sonu Chauhan. 0070689198-1

I, Soniya Kumari D/o Krishan Chand R/o 682, Village Khera Khurd, Khera Kalan, Delhi-110082,have changed my name to Sonia Kumari. 0040524923-3

I, Shweta Kumari D/o Late.Rajender Kumar W/o Siddarth Puri R/o A-4.GF, New-Multan-Nagar, New-Delhi-56,-have changed my name to Shweta Puri, after-marriage. 0040524923-5

I, Shivi Agarwal W/o Ankur Aggarwal R/o B-60, Sector-27, Noida(U.P.) have changed my name to Shivi Aggarwal for all future purposes. 0040524916-1

I, Shanawaz Ahmed s/o Shamim Ahmed R/o C12/120, Yamuna Vihar, Delhi-110053, have changed my name to Shahnawaz Ahmed. 0040524923-1

I, Sanjay Kumar Roongta S/o Shri Hari Krishna Roongta R/o Flot No. C602, Express Greens, Near Mahgun Metro Mall, Sector -1, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010, have change my name from Sanjay Kumar Roongta to Sanjay Roongta for all purposes in future as per the Affidavit sworn in before the Notary Public on 18.12.2019. 0040524876-1

I, Pinki Kumar W/o Ummed Raj Chouhan R/o K-109, 1st-Floor, Kirti Nagar, New Delhi, have changed my name to Pinki Chouhan, permanently. 0040524892-2

I, Mohammed Anwar / Mohd Anwar Aman S/o Mohammed Amin R/o C-21, C-block, Sharda Puri Delhi-110015 Have Changed My Name to Mohammed Anwar Aman. 0070689203-1

I, Meghna Midha D/o V.K.Midha now W/o Ashish Kumar R/o C-1/219, Janakpuri, New Delhi-110058, have changed my name as Meghna Kumar for all future purposes. Meghna Midha and Meghna Kumar is one and same person. 0040524886-1

I, Manoj Gupta S/o Om Prakash Gupta R/o-250-A, J&K-Pocket Dilshad-Garden, Delhi-110095, have changed my name to Manoj Kumar Gupta. 0040524932-5

I, Krishan Kumar Nouta S/O Bujha Ram, R/O H.no.546, group-I, DDA-Janta-flats, Hastsal,Uttam-Nagar,New-Delhi-110059.have changed my name to Krishan Kumar,for all purposes. 0040524923-10

I, Km Neenu Kumari W/O Dushant Tulsiani R/O F-24, Lajpat-Nagar-3, New Delhi-110024,Have Changed My Name To Priyanka Tulsiani,For All Purposes. 0040524923-7

I, Km Dharm Lata Rai alias Poonam Rai D/O Late. Sh. Kalp Nath Rai W/o sh. Durgesh Rai R/O B-4, Hanuman mandir, Ganesh nagar, pandav nagar, Laxmi Nagar, Delhi - 110092. 0070689192-1

I, Kirti D/o Inder Pal Sethi R/o B-4 280-281 Block B-4 Sultan Puri, Delhi-110082, have changed my name to Kirti Sethi for all purposes. 0040524918-1

I, JC-376486H Subedar Major Sushil Jha S/o Sh. Bachcha Jha R/o Village-Isahah Pur, Post-Sarisab Pahi, Dist. Madhubani, Bihar-847424, informs that in my army service documents my son's name is wrongly written as Pradumn Kumar Jha instead of Pradumn Jha (correct) as per 10th class certificate. 0040524890-2

I, JC-376486H Subedar Major Sushil Jha S/o Sh. Bachcha Jha R/o Village-Isahah Pur, Post-Sarisab Pahi, Dist. Madhubani, Bihar-847424, informs that in my army service documents my daughter Madhu Kumari's date of birth is wrongly written as 13/11/2003 instead of 13/09/2001 (correct) as per 10th class certificate. 0040524890-1

I, JAVED AKBAL ALIAS JAVED KHAN S/O ABDUL ZABBAR R/O H.NO.533, GALI NO.1,New Sabhapur Gujran Karawal Nagar,Khajuri Khas Delhi-110090 have changed to my name Javed Khan for all purpose. 0040524949-13

I, Heena W/o-Uvesh Ahmad R/o-H-7/C, Abul-Fazal-Enclave, Part-1, Jamia'Nagar, New'Delhi-110025,have changed my name'from Hina @ Noor Jahan to Heena for all,purposes. 0040524949-1

I, Harpreet S/o Shri Jeet Singh R/o G-12/19, Upper Ground Floor, Budh Vihar Phase 1, Delhi-110086, have changed my name from Harpreet to Harpreet Singh for all future purposes. 0040524878-1

I, Harleen Kaur Sawhney D/O Joginder Singh Sawhney, Residing At-D-20,Narmada-Apartments, Alaknanda, Kalkaji, New-Delhi-110019,Have Changed My Name To Harleen Gurnani,For All Purposes. 0040524923-8

I, Harendra Mohan S/O Balam Singh R/O C-5, Khasrano 34, Kurmanchal Vihar, Ilaichipur, Loni, Ghaziabad, Up-201102. Changedmy Nameto Harendra Mohan Rawat. 0040524949-4

I, Gurvinder S/o Dalveer Singh R/o RZF-122, Nihal-Vihar, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name to Gurvinder Singh,for all purposes. 0040524923-4

I, Gunjan Sang W/o Jasmeet Singh R/o 202 Kohat-Enclave, Pitampura Delhi-110034, changed my name to Gunjan Kaur for all purposes. 0040524932-7

I, Deepak Kumar S/o-Raj Kumar R/o-H.No.6918,1st-Floor Green-Meadows DLF-4 Galleria Gurugram,Haryana-122009,have changed my name'from Deepak Kumar to Deepak Kumar Gandhi for'all purposes. 0040524949-2

I, Chanda Rani W/o Yakob Umma Reddy R/o B-504, 5th Floor, Tarika Appt., CGHS Society Sector-43 Gurgaon - 122001 Have Changed My Name to Chanda Umma Reddy. 0070689199-1

I, Baljeet Kaur kohli W/O Didar Singh R/O 23/86B, Tilak-Nagar, New Delhi-110018.have changed my name to Baljeet Kaur,for all purposes. 0040524923-9

I, Balakrishnan S/o Mr. Radhakrishnan, R/o Flat No,894, Block-31, DDA Flats, Kalkaji, New Delhi-110019. That my name is Balakrishnan and R.Balakrishnan both names are of the same person. 0040524928-1

I, Asish Anjani Kumar Sharma S/o Anjani Kumar Sharma R/o-E-4/2001,ECO Village-1,Greater-Noida U.P.-201301,have Changed my name to Ashish Anjani Sharma. 0040524582-1

I, Ashima D/o Rajiv Anand R/o RZ-121 Shiv Block Gali No-3, Raghu Nagar, Pankha Road, New Delhi-110045 have changed my name to Ashima Anand. 0070689193-1

I, Anjali Bharti W/o Mahesh Kumar Sagar R/o G-9, 903, Nirala Greenshire Sector-2 Greater Noida West-201306 Have Changed My Name to Anjali Sagar. 0070689194-1

I, Amandeep Singh S/o Sh.Devender Singh R/o A-7/96, Sector-15, Rohini, Delhi-110089, informs that my name has been wrongly written as Amandeep in my 10th class certificate & marksheet. My actual name is Amandeep Singh, which may be amended accordingly. 0040524882-1

I, Ajay, S/o Sh. Hari Ram, R/o H.No.-E-1/367, Street No.-5, Near Gagan Cinema, Nand Nagri, Seema Puri, Delhi-110093, have changed my name to Ajay Maurya for all purposes. 0040524880-1

I, Mohit S/o Vinod Gulati R/o-A-2/67, Sector-8, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Mohit Gulati for all purposes. 0040524932-4

I hitherto kuown as Meenakshi Soni D/O-Sunder Das Keswani R/O-Flat.NO.-701,Tower-9, Vipul-Garden,Dharuhera, Haryana-122106 India,have changed my name and shall hereafter be known as Meenakshi Keswani. 0040524949-7

I hitherto known as Puchka Gupta S/o Shri Shekhar Gupta, resident of C-6/53, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016, employed as Senior Lecturer in Economics at the University of Essex, UK,do hereby solemnly affirm and declare that I have changed my name to Abhimanyu Gupta. 0040524899-1

I hitherto know as Ram Kumari,W/O-Late.Rajbir R/O-691 Ghitorni-Village Delhi-110030.have changed my name and shall hereafter be known as Om Kumari. 0040524932-9

I Sudha Rani W/O Mr.Harinder Singh R/O-M-92/C Pratap-Vihar Sector-12,Ghaziabad-201009 U.P.have changed my name to Simranjit Kaur for all purposes. 0040524932-8

I Satnam Singh Bansal S/O Malkiat Singh Bansal R/O-Wz-1476 Nangal Raya Delhi-110046 Have Changed My Name To Satnam Singh. 0040524923-6

I Nitin Kumar Gupta S/o-Sushil Kumar Gupta R/o-21/31 Mall-Road, Civil-Lines, Delhi-110054.have changed my name to Nitin Gupta.for all purposes. 0040524923-2

I Joti D/o Prem Masih and W/o Danveer Paul R/o Ghanieke, Bangar, Gurdaspur, Punjab-143513, have changed my name to Joti Paul. 0070689201-1

I Harpreet Kaur Kochar. W/O Avneet Singhr/O-J-3/73 1st-Floor Rajouri-Garden Delhi-110027, Changed My Name To Harpreet Kaur. 0040524949-3

I Gaurav Naresh S/o Shiv Naresh Singh R/o-M-145, Vikas Puri Delhi-18 have changed my name to Gaurav Singh. 0040524932-2

I Chetan Naresh S/o Shiv Naresh Singh R/o-M-145, Vikas Puri Delhi-18 have changed my name to Chetan Singh. 0040524932-1

I Chatar Priti Madhukar D/O. Madhukar Trambak Chatar, R/O Subhash Building Line No.2, Near Waichal Hospital, Tapdiya Nagar, Umari, Pr. Akola, Jatherpeth Akola, Maharashtra Pin – 444005 DOB: 28/10/1989 Have Changed My Name From Chatar Priti Madhukar To Priti Parag Rahulkar For All Purposes. 0070689164-1

I, Rashmi Devi W/O-Jagdish Kumar R/O 561-C,I-Floor, Rishi Nagar, Rani Bagh, Delhi-110034 Have Changed My Name To Rashmi. 0040524949-6

I, Jesica Singh D/O Satinder Singh R/O B-209.Ashok Vihar Phase-1 Delhi-110052.Have Changed My Name To Jessica Madan. 0040524826-7

खोया+पाया

Original Lease Deed of Prop. No. 4/24, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi-110005, (Reg. No.1064, Additional Book No.1, Volume No.51, Pages from 96 to 100, dated 24.10.1942, has been lost. If found, Contact Kiran Dhall-9999884457. 0040524927-1

I,Mena Kumari w/o Sunil Kumar R/O H.No.A-10,Bud Vihar,Tajpur Pahari, Badarpur,Delhi-110044,have informed Mena Kumari & Meena Kumari one and same person. 0040524932-11

I,Anju Verma,w/o-Late.Sh.Trilok Verma I,have misplaced,my original-Allotment-Latter, Demand-Latter, PEL, NOC and Other-Possession Related paper,Physical-Possession, Receipt-Challan of Staking-Charges,Plot Status doc and Sale.Tax and Application. No.2503,and income Tax paper related to Firm of M/S Dev Raha Paints and Papers of Bawana Industrial-Area Block-A,Sec-4,Delhi-110039,If anyone finds it,kindly contact-8826683254. 40524932-10

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that our clientMrs. Krishna Gupta Wife of Late Mr. Satish Chandra Gupta, R/o B 213 Ground Floor Greater Kailash 1 New Delhi 110048 is the mutateeof property bearing **No. 75, area measuring 450 sq. mtrs, in Block-D**, Situated at Sector-26, Noida, Distt-GautamBudh Nagar, U.P, hereinafter called "the said property" Vide Mutation Letter no.4455 dated 19.05.2019, issued by NOIDA Authrotiyin respect of the said property as Mr. Satish Chandra Gupta passed away on 08/12/1998, leaving behind following first class legal heir-

Relationship with Deceased

1. Mrs. HemaMaira	Daughter
2. Mr. Arjun Gupta	Son
3. Mr. Ravi Chanra Gupta	Son
4. Mrs. Krishna Gupta	Wife

In this connection, our client has further informed us that she has lost / misplaced from her custody the following Original documents in respect of the said property:

A. Original Transfer Deed dated 15.03.1990, executed by Mr. Abdul Hameed Raina, in respect of the Property bearing no. **75, area measuring 450 sq. mtrs, in Block-D**, Situated at Sector-26, Noida, Distt-GautamBudh Nagar, U.P., in favour of Mr. Satish Chandra Gupta. The said Transfer Deed dated 15.03.1990 is duly registered as Document no. 1437, Mussana no. 1438, Book no. I, Volume no. 661, on Page no. 383-389, registered on dated 31.03.1990, SRO-NOIDA.

The General Public is hereby informed that any person who happens to find the above mentioned original document is called upon to return the same to us at our address stated here-in-below within 10 days from the date of publication of this notice. The General public is hereby also warned that any use of above documents / deeds anywhere in any manner will be treated as null and void and illegal and the person doing so will be liable for such act as per law.

Advocate
M/s Intellective Law Offices
A-74, LGF,Defence Colony,
New Delhi -110024

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large, on behalf of our client **Mr. Rajnish Khurana S/o Late Kesar Dass Khurana R/o A-115, Indra Nagar, Delhi-33 Owner of Schedule Property.**

Mrs. Ram Piari acquired Schedule Property through POI through L & DO vide Lease Deed & Deed of Conveyance of Building Construction on Leasehold Sites dated 31.03.1969. Unfortunately Mrs. Ram Piari died. Thereafter L & DO Mutated/Substituted the schedule property to Mr. Kesar Dass Khurana vide Substitution Letter dated 19.09.1991.

Thereafter Conveyance Deed dated 25.09.2001 was executed by The President of India through L & DO in favour of Mr. Kesar Dass Khurana in respect of Schedule Property.

Unfortunately Mr. Kesar Dass Khurana died on 03.07.2008 leaving behind following legal heirs as Per Hindu Succession Act 1956 1) Mrs. Indra Khurana, 2) Mrs. Chander Mohini, 3) Mrs. Swaran Kanta, 4) Mr. Ravinder Khurana, 5) Mr. Rajnish Khurana. There are no further legal heirs except above five.

Thereafter 1) Mrs. Indra Khurana, 2) Mrs. Chander Mohini, 3) Mrs. Swaran Kanta, 4) Mr. Ravinder Khurana, Relinquish their own Share of Schedule Property in favour of Mr. Rajnish Khurana vide Relinquishment Deed dated 07.06.2013 registered at SRO-VI-A vide Document No. 5472, Book No. 1, Volume No. 4695, Pages 154-158, regd. date 07.06.2013.

And the schedule property is to be mortgaged with J & K Bank Shalimar Bagh Branch.

If any person (s) having any objection regarding the Schedule Property/ ownership rights/Title Or claim, please raise objection with documentary proof within 15 days of Publication at the below address.

Schedule Property

Property bearing No. 115, in Block-A, area measuring 53 sq. yds., situated at Indra Nagar, near Adarsh Nagar, Delhi.

Sachin Maheshwari (Advocate)
Khaitan & Khaitan
A-38, Kailash Colony, New Delhi-110048
Tel-011-49774545, Mob.-9911380328

PUBLIC NOTICE

All concerned are hereby informed through this Public Notice that my client Sh Kamal Khanna S/o Late Sh Narayana Dass Khanna R/o 6984, Kila Kadam Sharif, Nabi Karim, Paharganj, Delhi has debarred his son and daughter in law namely Sh Vinay Khanna & Smt Hemlata Khanna from his all moveable and immoveable property. My client shall not be held responsible for any of their acts, deed and things in whatsoever in any manner.

SAKET GAKHAR (Advocate)
Ch. No. T-14, Tehsil Lane,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला श्रीमती रेखा पत्नी स्व. श्री ओम प्रकाश निवासी 3242 केसरूवालान स्कूल वाली गली पहाड़ गंज नई दिल्ली ने अपनी छोटी पुत्री शिवान्गी गोला को दुर्व्यवहार व नियंत्रण से बाहर होने के कारण उन्हें अपनी सभी चल-अंचल सम्पत्ति से बेदखल कर रही है व उनसे सभी प्रकार के सम्बंध विच्छेद कर लिये है। यदि कोई व्यक्ति इनसे कोई भी लेन-देन रखता है या इसके उपर कोई भी केस मुकदमा होता है, तो मेरी मुवक्किला उत्तरदायी नही होगी।

अमित नैय्यर (अधिवक्ता)
चै.नं. बी-17, बी.जी.एस. ब्लॉक,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

PUBLIC NOTICE

Under instructions from and on behalf of my client General Public is informed that **Sh. Som Nath** S/o Late Shri Sardari Lal R/o H.No.2, Block-K-2, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-59 has debarred his son **Shri Amit**, from all his movable and immovable properties & assets, as he has become unfaithful dishonest, disobedient & bad behavior towards my client. My client & other family members will not be responsible for his any kind of liabilities dealings, acts criminal proceedings, obligation, financial transactions claims etc. My client has severed all relations with him.

K.K. Tyagi (Advocate) UG-19, Suneja Tower-I, Distt. Centre, Janakpuri, Delhi.

PUBLIC NOTICE

My clients Bharat Bhushan Ohri S/o Shri Roshan Lal Ohri and his wife namely Smt. Rita Ohri both R/o 31/1C, Laxman Park, Krishna Nagar, Delhi-110051 and H.No.49, Silver Park, Shiv Puri, Krishna nagar, Delhi-110051 have severed all their relations from their son namely Akash Ohri S/o Shri Bharat Bhushan Ohri and his wife Smt. Monika and their children debarred them from all their movable/immovable properties and all assets due to their disobedience, misbehavior and and misconduct towards my clients. My clients shall not be responsible for their any acts, deeds and transactions in future.

Sd/-
TANYA KATHURIA
(Advocate)
Ch. No. E-220,
Karkardooma Courts, Delhi-32

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client SUKHBIR SAINI S/o DAL CHAND SAINI R/o H. No. 16 Village Shalimar Bagh Delhi- 110088 has disowned and severed all their relations with their son RAHUL SAINI debarred them from their moveable and immovable properties/assets and their personal life Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibilility

KAMAL SINGH (Advocate)
Enrl. No. D-748/14.

PUBLIC NOTICE

This is ~~to state that Ms. Neera Bo~~se, W/o Late Mr. Tapan Kumar Bose is a permanent Resident of P2A-063, Princeton Estate, DLF City Phase-5, Gurugram, Haryana (Property).

Further, She is the joint owner of the above mentioned Property i.e. P2A-063, Princeton Estate, DLF City Phase-5, Gurugram, Haryana, along with her husband Late Mr. Tapan Kumar Bose who passed away on May 3, 2013. Now Ms. Neera Bose is desirous of introducing her son Mr. Biswajit Bose as a joint owner in the above mentoned Property in place of her deceased husband. The above contents are true and correct to the best of my knowledge. Please take notice of this letter accordingly.

Ankur Khandelwal (Advocate)
3rd Floor, Ocus Technopolis,
Sector-54, Gurgaon

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Shashi W/o. Sh. Pardeep Kumar R/o. 1979/80 Basti Julahan Idgah Road Sadar Bazar Delhi - 110006, disowned her son namely Shankar, from her all moveable & immovable properties and broken her relations with him as he is not obeying, respecting to my client as well as her other family members. My client and her other family members will have no concern with any liabilities or any transactions pertaining to him in any manner at any time in future

G.L. GOSWAMI-ADVOCATE
Off-Cum-Resi: 24/18, Street No. 6,
Jharoda Mazra, Part-III, Delhi -110084

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Milind Kumar Sharma S/o. Late Sh. Babu Lal Sharma and Smt. Kiran Sharma W/o. Sh. Milind Kumar Sharma both R/o. E-16/54, Sector-8, Rohini, New Delhi-110085 severed all their relations with their son Sh. Sudhanshu Sharma, and their Daughter in Law Smt. Gunjan Sharma both R/o. A-2/257, Third Floor, Sector-8, Rohini, New Delhi-110085 and my said Clients have debarred them from their movable and immovable properties. Anyone deal with them at their own risk and consequences. My Clients shall not be responsible in any manner for the same.

(AKHIL GOGIA) ADVOCATE

PUBLIC NOTICE

Be it known to the General Public At Large that vide the deed of Relinquishment Dt. 18th November 2019, executed and registered in the office of the Sub-Registrar Wazirabad Distt. Gurgram, Haryana my client Mr. Rajiv Nayar relinquished his entire share with respect to Apartment No. W-048 along with the parking space No. PW-098 in Regency Park-II, DLF City, Phase IV, Gurugram Haryana in favour of his brother (my client) Mr. Ravi Nayar after the demise of my clients parents Mr. Ashok Nayar (Father) and Mrs. Susham Nayar (Mother). Accordingly my client (Mr Ravi Nayar) is the sole and exclusive owner of the aforesaid apartment and vide letter Dt. 18.11.2009 my client has written to Ms DLF Limited to substitute the name of Mr. Ravi Nayar and to mutate the demised property W-048, Regency Park I, DLF City, Phase IV, Gurugram Haryana along with the parking space No. PW-098 in his name.

Sd/- **MUKUL DHAWAN**
ADVOCATE
B-47 SOUTH EXTENSION PART-I
NEW DELHI-110049

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Smt. Anita Devi, W/o Ved Prakash, R/o K-69, 3rd Floor, Gurudas Nagar, Govt. School Lane, Laxmi Nagar, New Delhi-110092, have disowned and disinterited and detached all the ties with her son Shri Bhupender and daughter-in-law Smt. Gulafshah, both presently residing at N-33, Naveen Shahdra, New Delhi-110092, due to their bad behaviour and cold attitude towards my client and her other family members, from the inheitance of all her properties and now they have no right, title, interest or claim of any nature whatsoever in the estate and assets of my client. Anybody dealing with the said son and daughter-in-law shall be doing so at their own cost, risk, responsibility and consequences and my aforesaid client shall not be liable and responsible for the same.

Monika Nagar (Advocate)
Ch.No.112, Civil Wing,
Tis Hazari Court, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

It's notified to all that one original motor cover note No. 5598988 book No.869646 is missing / lost on 12/12/2019. FIR Dated 12.12.2019 No. 1991445 already lodged with P.S.Crime Branch New Delhi. Use / misuse of said cover-note in any manner is punishable under relevant law. Oriental Insurance company Ltd. shall not be liable for any liability. Subhash Chand Bharti Deputy Manager.O.I.C.L.D04, New Delhi

PUBLIC NOTICE

It is publicly informed that my client Shri Madan Gopal Gulati, Shri Ram Parkash Gulati, Shri Ashok Kumar Gulati & Shri pradeep Gulati S/o Late Sh. Nand Lal Gulati R/o 39, Hathi Khana, Bahadurgarh Road, Delhi, have lost few documents i.e. Sale Deed in favour of Mohammed Ibrahim (executed by Delhi Improvement Trust Dt.25.5.1945), Sale Deed in favour of (1) Sh. Chet Ram S/o Sh. Mool Raj & (2) Smt. Ram Rekhi D/o S. Attar Singh (executed by Modh. Yasin for self and attorney of Sultan Ahmed, Abdul Khaleq & Mussammat Chaman Are Begum all are sons and daughter of Mohammed Ibrahim) in respect of Property No.39, Block-Hathi Khana, Area Measuring 239.7 Sq. Yds., on Bahadurgarh Road, Delhi, and they/he/she has the Necessary NCR Report regarding the same, vide NCR/LR No.1910156, Dt.19.11.2019. Any person who founds the same or any other person (s)/Bank/financial institution claims to the owner or claims to have any right, title, interest in the said property in part or full, then he/she/they shall contact either my client at the said client address or at my number/address i.e. 9810587572/Shop No.4, GF, RU-Block, DDA Market, Pitampura, Delhi, within Fifteen Days from this Notice.

Sd/-
DHIRAJ CHAWLA (Advocate)
Chamber No. 4, RU Block DDA Market, Pitampura, Delhi

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instruction from and on behalf of my clients "**Sh. Ashwani Kumar** S/o Late Ram Prakash & **Smt. Reeta Rani** W/o Sh. Ashwani Kumar both R/o B-11, New Gobind Pura, Gali No.8, Krishna Nagar, Delhi-110051, have disowned their son Namely **Ritesh Kumar** and their legal heirs, due to his misbehavior & dishonesty from all their moveable, immovable assets & ceased all relations with him. Anybody dealing with him will do so at his/her/their own risks. My clients will not be responsible for his any act, transaction in any manner. **J.C. Trikha** (Advocate) Ch.No.M-4, C.S., Tishazari Courts, Delhi.

सार्वजनिक सूचना

हम मुहम्मद इकबाल और मेरी पत्नी नुसरत जहां पता फ्लैट नं. 3, द्वितीय फ्लोर, प्लॉट नंबर सी-19/1, हिंडन विहार, सेक्टर 49, जी.बी. नागर, यू.पी. 201301 हम सूचित करते हैं हमारा बेटा शाहनवाज इकबाल और उनकी पत्नी गुलबहार को गलत आचरण व अभद्र व्यवहार के कारण अपनी सभी चल-अचल संपत्ति से बेदखल करते हैं। और अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध समाप्त करते हैं भविष्य में हमारे पुत्र शाहनवाज इकबाल व उसकी पत्नी गुलबाहर, कोई वाद विवाद उत्पन्न करते हैं तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसके लिए हमारा या हमारे परिवार जिम्मेदार नहीं होंगे।

SHIVAM SHARMA
(ADVOCATE)

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

M. PURI
ONLINE
GS PAPER 2
AD

सलमान और सलमान

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

दबंग 3

रेटिंग- ★★

निर्देशक- प्रभु देवा

कलाकार- सलमान खान, सई मांजरेकर, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, किच्चा सुदीप।

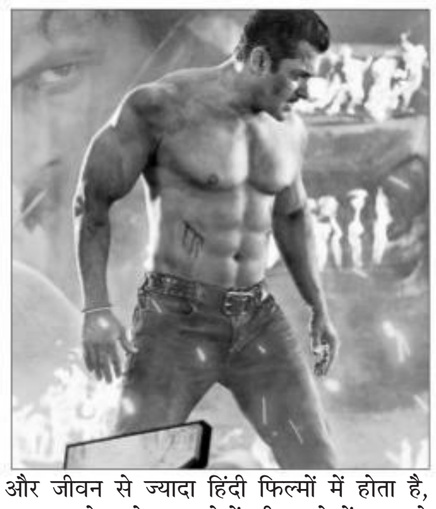

जैसा कि अक्सर होता है दबंग- श्रृंखला की पिछली दो फिल्मों की तरह इसमें भी शुरू से आखिर तक सलमान खान ही मौजूद हैं। कह सकते हैं कि 'दबंग-3' पूरी तरह से सलमान, सलमान, सलमान है। नाचते हुए सलमान, गाते हुए सलमान, प्रेम करते सलमान, शर्टलेस सलमान, पूरे कपड़े में सलमान, खलनायक की धुलाई करते सलमान, यानी एक्शन में सलमान। किसिम किसिम के अंदाज में सलमान। फिल्म की अगर कोई कहानी है तो वह भी मोटे तौर पर सलमान ही हैं। यानी लगभग हर फ्रेम में सलमान खान ही हैं। अगर आप सलमान के दीवाने हैं तो इसे देखते हुए कहेंगे, वाह सलमान, आह सलमान, हाय सलमान। और कहते हुए हॉल में सीटी मारेंगें। और अगर सलमान के दीवाने नहीं हैं तो कहेंगे- 'पौन तीन घंटे की इस फिल्म में तो सलमान के अलावा कुछ है ही नहीं भाई।' हालांकि, ये दबंग श्रृंखला की ये फिल्म सिक्वेल नहीं है बल्कि प्रीक्वेल है। यानी इसमें चुलबुल पांडे (सलमान खान) के शुरुआती जीवन की कहानी है। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तब चुलबुल की रज्जो (सोनाक्षी सिन्हा) से शादी भी नहीं हुई थी। तब चुलबुल एकदम चुलबुल था और इश्क करने वाला एक नौजवान था। उसे प्रेम था खुशी (सई मांजरेकर) से जो बेहद मासूम थी। पर जैसा कि जीवन में होता है, और जीवन से ज्यादा हिंदी फिल्मों में होता है, इश्क करने वाले कुछ लोगों की नजरो में खटकने भी लगते हैं। तो चुलबुल और सई के इश्क पर भी बाली की काली साया पड़ गई। बाली जो एक खूंखार शख्स था। वह चुलबुल की जिंदगी पर ग्रहण की तरह लग गया। क्या किया उसने चुलबुल के साथ और चुलबुल ने आगे चलकर उसके यानी बाली के साथ क्या किया और उससे चुन चुन कर बदला लिया 'दबंग- 3' का किस्सा है। ये फिल्म भी उत्तर प्रदेश पर आधारित है। फिल्म कुछ लोकप्रिय गानों से भरी है। खासकर 'मुन्ना बदनाम हुआ' वाले बोल वाला गाना लोगों की जुबान पर पहले से ही चढ़ गया है। इसमें सलमान के साथ फिल्म के निर्देशक प्रभुदेवा भी नाचते हुए दिखते हैं। प्रभुदेवा मुख्य रूप से डांसर और डांस कोरियोग्राफर ही रहे हैं इसलिए लगे हाथ, जब भी किसी फिल्म में निर्देशक होते है, अपने पैर भी आजमा लेते हैं। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा की भूमिका बहुत छोटी है लेकिन सई का रोल लंबा है। सई के व्यतित्व में एक आकर्षण और ताजगी है। आगे उनका क्या होगा, ये कहना कठिन है क्योंकि सलमान की कुछ हीरोइनें फिल्म दुनिया में जमी रहती है, और कुछ गायब हो जाती हैं। बहरहाल, इस फिल्म में तो सई का सितारा बुलंद है। और जहां तक फिल्म के खलनायक किच्चा सुदीप का सवाल है, अपने काम में वे उस क्रूर शख्स की तरह लगे हैं जो फिल्म में चरित्र की मांग थी। फिल्म में सलमान का एक डायलाग है- 'हम क्लास और मास दोनों के लिए काम करते हैं।' मास यानी आम जनता की बात सही है लेकिन जहां तक क्लास यानी भद्र या शिष्ट जनों वाली बात है ये डॉयलाग फिट नहीं बैठता।

जरूरतमंदों को दी गई आंखों की दवा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

परम शक्ति सेवा संस्था की ओर से शाहदरा के मानसरोवर पार्क में जरूतमंद लोगों की आंखों का उपचार किया गया। उन्हें आंखों में डालने की लिए दवाई दी गई। यह संस्था बीते कई सालों से इलाके में शिविर लगा कर जरूरतमंदों के आंखों का उपचार करवाती है।

संस्था के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा ने कहा कि इस साल भी जरूतमंद लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही जोड़ों के दर्द का भी उपचार किया गया और उन्हें इसके उपचार से जुड़ी जानकारी दी गई। बताया गया कि वे किस तरह से अपने जोड़ों को ठीक रख सकते हैं। वहीं, कार्यक्रम के संचालक विकास शर्मा ने बताया कि इस दौरान संस्था की कार्यसमिति का पुनर्गठन भी किया गया।

(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)
पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (डब्ल्यूजेडसीसी)
उदयपुर के निदेशक पद हेतु विज्ञापन

भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (डब्ल्यूजेडसीसी) उदयपुर के निदेशक का एक पद भरने हेतु पात्र उम्मीदवारों से दो प्रतियों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। डब्ल्यूजेडसीसी, उदयपुर देश भर में विभिन्न क्षेत्रों की लोक और जनजातीय कलाओं एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों में से एक है।

यह नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा के आधार पर होगी जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी और पदधारी का कार्य निष्पादन उत्कृष्ट होने पर 2 वर्ष तक आगे बढ़ाई जा सकती है। भारत सरकार में कार्यरत उपसचिव/निदेशक रेंक के वो अधिकारी जिन्हें कला एवं संस्कृति से संबंधित संस्थान में कार्य करने का अनुभव हो, सांस्कृतिक क्षेत्र के जाने-माने व्यक्ति (पेशेवर कलाकार, विद्वान या विशेषज्ञ जिन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का यश और अनुभव हो) पात्र होंगे। सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिनो के अन्दर माननीय राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। आवेदन प्रपत्र और अन्य ब्यौरे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in और डब्ल्यूजेडसीसी की वेबसाईट www.wzccindia.com पर उपलब्ध है।

(निदेशक प्रभारी)
डब्ल्यूजेडसीसी, उदयपुर

प्रगत संगणन विकास केंद्र
शुद्धिपत्र
सी डैक CDAC

सी-डैक भर्ती विज्ञापन सं. CORP/GR.A/03/2019 को विभिन्न समाचार-पत्रों में 19 दिसंबर 2019 को प्रकाशित किया गया। इसमें दी गई आवेदन की अंतिम तिथि को 12 जनवरी, 2020 पढ़ा जाए। इस विज्ञापन में दिए गए अन्य नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं है।

davp 06132/11/0014/1920

केन फिन होम्स लिमिटेड
CanFin Homes Ltd
प्रथम तल, डीडीए बिल्डिंग, निकट पारस सिनेमा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, सीआईएन सं.: L85110KA1987PLC008699
दूरभाष : 7625079108, 011-26435815, 26430236, ई-मेल: delhi@canfinhomes.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]
POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [(Rule 8(1)1

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं कथित अधिनियम और पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में कैन फिन होम्स लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वसूली की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज सहित सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए निम्नलिखित तिथियों पर एक माँग सूचना जारी की थी।

कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)
नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक कर्जदार के सम्मुख नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा नीचे लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

संख्या	कर्जदारों तथा जमानतियों के नाम	सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि
1.	(1) श्री विकास कुमार पुत्र राकेश कुमार (2) श्रीमती प्रिया वर्मा पत्नी विकास कुमार	फ्लैट सं. एफएफ-3, प्रथम तल, एमआईजी (पिछला हिस्सा), प्लॉट सं. 208, सेक्टर-1, वसुन्धरा, जिला-गाजियाबाद, उ.प्र. पिन-201012, उत्तरः प्लॉट सं. 1/207, पूर्वः 18 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट सं. 1/99, दक्षिणः प्लॉट सं. 1/209	10/10/2019	रु. 29,23,150/-	18 दिसम्बर, 2019
2.	(1) श्रीमती साक्षी प्रिया पत्नी मयंक श्रीवास्तव पत्नी मयंक श्रीवास्तव (2) श्री मयंक श्रीवास्तव पुत्र महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	फ्लैट सं. 3099, दूसरी मंजिल (छत के अधिकार रहित), सेक्टर-4सी, प्रज्ञा कुंज, आवासीय कॉलोनी, वसुन्धरा, जिला-गाजियाबाद, उ.प्र. पिन-201014 उत्तरः एएस, पूर्वः पीईआर, पश्चिमः साइट, दक्षिणः प्लान	10/10/2019	रु. 25,04,632/-	18 दिसम्बर, 2019
3.	(1) श्रीमती कमलेश देवी पत्नी ब्रह्म प्रकाश (2) श्री ब्रह्म प्रकाश पुत्र अलबेल सिंह	मकान नं. 15, खसरा नं. 502, गली नं. 10, अम्बेडकर कॉलोनी, ग्राम-डासना, परगना डासना, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन 201302, उत्तरः 10 फीट चौड़ी लाख, पूर्वः रामचन्द्र का प्लॉट, पश्चिमः मंगल सेन का प्लॉट, दक्षिणः बुध प्रकाश का खेत	02/09/2019	रु. 11,63,630/-	18 दिसम्बर, 2019

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य एतद्वारा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार वसूली की तिथि तक भावी ब्याज सहित प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित राशि के लिए सीएफएचएल के प्रभार का विषय होगा।

ह./- अधिकृत प्राधिकारी
कैन फिन होम्स लिमिटेड

तिथि : 18.12.2019 स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे.

फॉर्म-ए
सार्वजनिक सूचना
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 6 के अधीन)

श्री वर्धमान राईस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारो के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	श्री वर्धमान राईस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	02.03.2009
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज- दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/सीमित दायित्व पहचान	U01403DL2009PTC188059
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालय: एलडी-1, पीतमपुरा दिल्ली-110034 (भारत)। फैक्टरी स्थल: गोहाना रोड, पानीपत, हरियाणा 132103, भारत।
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिसोधन की शुरुआती तिथि	04.12.2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	दिवाला शुरू करने की तिथि से 180 दिन जो 01 जून, 2020 है।
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	विकास गर्ग, और IBBI/IPA-002/IP-P00189/2017-2018/10506
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	म. नं. 2045, प्रथम तल, सैक्टर 15-सी, चंडीगढ़-160015, इमेल: vgargcs@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	म. नं. 2045, प्रथम तल, सैक्टर 15-सी, चंडीगढ़-160015, इमेल: vgargcs@gmail.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	03.01.2020
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन ऋणी की श्रेणी, यदि कोई है	श्रेणी की नामः लागू नहीं
13.	श्रेणी में ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवाला पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. 2. लागू नहीं 3.
14.	(क) संबंधित फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध है:	weblink: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पताः म. नं. 2045, प्रथम तल, सैक्टर 15-सी, चंडीगढ़-160015

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आदेश दिनांक 04 दिसंबर, 2019 (माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली से 20 दिसंबर, 2020 को ईमेल द्वारा आदेश प्राप्त हुआ) को **श्री वर्धमान राईस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड** की कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।

श्री वर्धमान राईस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 03.01.2020 को या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारो को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारो को अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि नंबर 12 के अंतर्गत सूचीबद्ध अनुसार श्रेणी से संबंधित वित्तीय ऋणधारकों को फार्म सीए में श्रेणी (निर्दिष्ट श्रेणी) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के अंतर्गत सूचीबद्ध 3 दिवालियापन पेशेवरों से प्राधिकृत प्रतिनिधि की वरीयता को दर्शाना होगा-लागू नहीं।

गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

ह./-
विकास गर्ग,
दिनांकः 20.12.2019 श्री वर्धमान राईस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर
स्थानः चंडीगढ़ पंजीकरण नं. IBBI/IPA-002/IP-P00189/ 2017-2018/10506

सीजीएचएस का विस्तार सौ नगरों तक होगा : हर्षवर्धन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

स्वास्थ्य के प्रति सरकार के उद्देश्य के अभियान के अंतर्गत चलाए गए 'ईट राइट इंडिया' और 'फिट इंडिया' अभियान की चर्चा की।

सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) की सेवाओं का विस्तार अब 100 नगरों तक किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने गुरुवार को विकासपुरी में नए सीजीएचएस स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समय 72 शहरों में 329 एलोपैथिक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र और 86 आयुष केंद्रों के साथ सीजीएचएस की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे 12 लाख 9 हजार प्राथमिक कार्ड धारक और 35 लाख 72 हजार लाभार्थियों को सेवाएं मिल रही हैं। इनमें से 17 लाख लाभार्थी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हैं। 2 लाख 50 हजार लाभार्थियों की आयु 75 वर्ष से अधिक है। लगभग 58 फीसद सीजीएचएस के लाभार्थी वर्ष में एक बार सीजीएचएस की सेवाएं प्राप्त करते हैं।

डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि 2014 के बाद सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार 72 नगरों तक किया गया जबकि पहले यह 30 नगरों तक सीमित था। इससे पता चलता है कि सरकार की अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में मंत्रालय ने सीजीएचएस केंद्रों के माध्यम से विभिन्न पक्षों और लाभार्थियों से स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी और सुझाव प्राप्त किए थे। एक नवीन पहल के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के पास महीने में कम से कम एक बार सीजीएचएस कल्याण केंद्रों के डॉक्टर उनका हाल-चाल जानने के लिए पंहुचेंगे बशर्ते कि वे 5 किमी के दायरे में रहते हों।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एम्स की संख्या बढ़ाकर 21 की गई है। उन्होंने कहा कि 6 एम्स कार्यरत हैं। 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम प्रगति पर है और इन्हें मुख्य रूप से देश के आकांक्षी जिलों में बनाया जा रहा है। उन्हें इसके लिए लंबी दूरी तक नहीं जाना पड़ें। उन्होंने बचाव और अनुकूल

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष
सीए/32/सीएए/सीएचडी/एचआरवाई/2019

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के मामले में और महादेव सुपर कोट प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 1/आवेदक कम्पनी 1) और सॉफ्ट विजन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 2/आवेदक कम्पनी 2) और सोनोली प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 3/आवेदक कम्पनी 3) और सॉच डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 4/आवेदक कम्पनी 4) और सुपिरियर सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 5/आवेदक कम्पनी 5) और एडवांसर प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 6/आवेदक कम्पनी 6) और महादेव सुपर कोट विधान प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 7/आवेदक कम्पनी 7) और आलौकिक कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 8/आवेदक कम्पनी 8) और पार्थ इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 9/आवेदक कम्पनी 9) और आकर्शण एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरिती कम्पनी /आवेदक कम्पनी 10) के बीच समामेलन की योजना के मामले में ।

पार्थ इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथा तल, एम2के कॉर्पोरेट पार्क, ब्लॉक-एन, मेफील्ड गार्डन, सैक्टर-51, गुरूग्राम, हरियाणा-122003 में है

.....आवेदक कम्पनी 9

पार्थ इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, आवेदन कम्पनी 9 के प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक की सूचना एवं सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण **(एनसीएलटी)** की चंडीगढ़ पीठ ने अपने आदेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 **("आदेश")** के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 230 से 232 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों (वर्तमान में उस पर लागू सांविधिक संशोधन(नों) या अधिनियमन(नों) सहित) के अनुसरण में महादेव सुपर कोट प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 1/आवेदक कम्पनी 1) और सॉफ्ट विजन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 2/आवेदक कम्पनी 2) और सोनोली प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 3/आवेदक कम्पनी 3) और सॉच डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 4/आवेदक कम्पनी 4) और सुपिरियर सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 5/आवेदक कम्पनी 5) और एडवांसर प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 6/आवेदक कम्पनी 6) और महादेव सुपर कोट विधान प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 7/आवेदक कम्पनी 7) और आलौकिक कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 8/आवेदक कम्पनी 8) और पार्थ इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी 9/आवेदक कम्पनी 9) और आकर्षण एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरिती कम्पनी /आवेदक कम्पनी 10) के बीच समामेलन की योजना पर विचार करने और यदि जरूरी हुआ तो संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के लिए पार्थ इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड **(आवेदक कम्पनी 9)** के प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में आगे एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक कम्पनी 9 के प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक **(अधिकरण द्वारा बुलाई गई बैठक)** निम्नानुसार आयोजित की जाएगी जिसके लिए आवेदक कम्पनी नं. 9 के कथित प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत लेनदारों को निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है।

क्र.सं.	बैठक	दिन, तिथि एवं समय	स्थान
1.	प्रतिभूत लेनदार	शुक्रवार, 31 जनवरी 2020 का अप. 3.00 बजे	चौथा तल, एम2के कॉर्पोरेट पार्क, ब्लॉक एन, मेफील्ड गार्डन, सैक्टर-51, गुरूग्राम, हरियाणा-122003
2.	अप्रतिभूत लेनदार	शुक्रवार, 31 जनवरी 2020 को अप. 4.30 बजे	चौथा तल, एम2के कॉर्पोरेट पार्क, ब्लॉक एन, मेफील्ड गार्डन, सैक्टर-51, गुरूग्राम, हरियाणा-122003

कथित योजना की प्रतियां और प्रॉक्सी फार्म के साथ व्याख्यात्मक विवरण आवेदक कम्पनी 9 के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है । अधिकरण द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का पात्र व्यक्ति व्यक्तिगत या प्रॉक्सी के माध्यम से वोट दे सकता है बशर्ते कि निर्धारित प्रारूप में सभी प्रॉक्सी फार्म आवेदक कम्पनी 9 के पंजीकृत कार्यालय चौथा तल, एम2के कॉर्पोरेट पार्क, ब्लॉक एन, मेफील्ड गार्डन, सैक्टर-51, गुरूग्राम, हरियाणा-122003 में उपरोक्त कथित अधिकरण द्वारा बुलाई गई बैठक से 48 घंटे पूर्व पहुंच जाएं। प्रॉक्सी फार्म आवेदक कम्पनी 9 के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

एनसीएलटी ने अधिकरण द्वारा बुलाई गई कथित बैठक के लिए श्री सत्यवीर सिंह, अधिवक्ता को अध्यक्ष और श्री अभिषेक गुप्ता, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा श्री विश्वजीत गुप्ता, कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उपरोक्त कथित योजना, यदि अधिकरण द्वारा बुलाई गई बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो यह एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता/-	हस्ता/-
अमित गोयल	सत्यवीर सिंह
निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधिपार्थ इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	बैठक के लिए नियुक्ति अध्यक्ष

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2019
स्थान : गुरूग्राम

पंजाब एंड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
बी ओः राजपुर चुंगी, शाखा, आगरा (उ.प्र.), टेली. नंः 05622330638, ई-मेलः a0706@psb.co.in

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]

कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54 के अंतर्गत) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने मांग सूचना तालिका में नीचे वर्णित तिथियों को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता तथा राशि के समक्ष वर्णित तिथियों को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक, बीओः राजपुर चुंगी, शाखा के चार्ज के अधीन होगा। सांकेतिक कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	खाता/ऋणधारक/मार्टगैजर/ गारन्टर का नाम	सम्पत्ति (चल/अचल) का विवरण	बकाया राशि (जैसा कि धारा 13(12) के अंतर्गत सूचना में वर्णित है)	मांग सचना तिथि	कब्जा की तिथि
1.	ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) 1) श्री मुनीश नागर, पुत्र श्री स्वामी प्रसाद निवासीः 37/18 बाई पास रोड, आत्मा राम शो रूम के निकट, न्यू आगरा, दयालबाग, आगरा-282005 2) श्रीमती सुजाता सिंह, पत्नी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासीः ई/829, शहीद नगर, आगरा-282001	"गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः खसरा नं. 207ए, मौजा कौलखा, तहसील एवं जिला-आगरा, एरिया 96.15 वर्ग मी. की सम्पत्ति। बिक्री प्रलेखः बही नं. 1, जिल्द नं. 3909, पेज 55/86 में क्रम सं. 5150, तिथि 7.9.2015 के साथ उप रजिस्ट्रार, आगरा, सदर IV, जिला आगरा के कार्यालय के मानचित्र में" **सम्पत्ति की चौहद्दीः** पूर्वः रोड पश्चिमः अन्य की भूमि उत्तरः श्री चन्द्रभान की सम्पत्ति दक्षिणः श्रीमती कमलेश का प्लॉट	रु. 14,57,516.34 (रुपये चौदह लाख सत्तावन हजार पांच सौ सोलह तथा पैसे चौंतीस मात्र) 31.7.2019 को तथा आगे का ब्याज, लागत एवं खर्चे आदि	16.8.2019	17.12.2019
2.	ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) 1. श्रीमती आशा देवी, पत्नी श्री जीवन लाल निवासीः अमरपुरा बीचपुरी रोड, शाहगंज, आगरा-282010 2. श्री जीवन लाल, पुत्र श्री स्वरूप चन्द निवासीः अमरपुरा बीचपुरी रोड, शाहगंज, आगरा-282010 3. श्री लीला राम, पुत्र श्री दुलीचंद निवासीः 211-212, शास्त्रीपुरम, ए ब्लॉक, आगरा-282007 4. श्री चेतन कुमार, पुत्र श्री लीला राम निवासीः 211-212, शास्त्रीपुरम, ए ब्लॉक, आगरा-282007	"गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 6 एवं 7, खसरा नं. 83ए, अमरपुरा, मौजा-कलवारी, तहसील एवं जिला-आगरा, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर में आवासीय सम्पत्ति। बिक्री प्रलेखः बही नं. 1, जिल्द नं. 7389, पेज 323/342 में क्रम सं. 12420, तिथि 20.12.2010 में तथा उसके साथ उप-रजिस्ट्रार, आगरा सदर द्वितीय जिला आगरा के कार्यालय के मानचित्र में" **सम्पत्ति की चौहद्दीः** पूर्वः विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिमः प्लॉट नं. 8 उत्तरः ओम प्रकाश की भूमि, दक्षिणः रोड	रु. 5,26,490.30 (रुपये पांच लाख छब्बीस हजार चार सौ नब्बे एवं पैसे तीस मात्र) 31.7.2019 को तथा आगे का ब्याज, लागत एवं खर्चे आदि	16.8.2019	17.12.2019
3.	ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) 1) श्री सुरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री राजा राम निवासीः 16, दुर्गा नगर, नगला पाडी दयालबाग, आगरा-282005 2) श्री गौरव कुलश्रेष्ठ, पुत्र श्री विष

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	17.5 डि.से.	17.5 डि.से.	15.8 डि.से.	16.8 डि.से.
न्यूनतम	6.4 डि.से.	6.4 डि.से.	6.4 डि.से.	6.4 डि.से.

विधेयक खारिज होने पर आइएमए ने लगाई गुहार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों को हिंसा से बचाने के लिए प्रस्तावित विधेयक ठंडे बस्ते में डाले जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए उनसे दखल की मांग की है। इसके पहले गृह मंत्रालय ने अलग कानून की जरूरत खारिज कर दी है।

देश में तीमारदारों की ओर से चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों व कर्मियों पर होने वाले हमले व हिंसा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक केंद्रीय कानून की मांग को लेकर चिकित्सकों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा पर रोक लगाने के लिए विधेयक का मसविदा तैयार किया था। और इसे संसद के हाल में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया।

आइएमए ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे कानून की जरूरत को माना था और संसद में भरोसा भी दिया था। इसमें कहा गया था कि मसविदा विधेयक सार्वजनिक पटल में है, इसलिए देश के चिकित्सा पेशेवरों को उम्मीद थी कि यह कानून बनने वाला है।

तिरंगे के तले पुरानी दिल्ली में शुक्रवार को भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध राष्ट्र ध्वज लेकर किया।

सीएए : प्रदर्शन की वजह से घंटों जाम में फंसे रहे लोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। जामिया, जामा मस्जिद, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलावा जंतर मंतर और इंडिया गेट पर सुबह से ही प्रदर्शनकारी पहुंचने लगे थे। पुरानी दिल्ली के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रहे यात्रियों को अपने-अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतर आने के कारण जामा मस्जिद और लाल किले की ओर जाने वाले कई मार्गों में भीषण जाम नजर आया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि पुराने लोहा पुल, पुश्ता रोड और सीलमपुर से यमुना विहार जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद है।

इसके साथ ही पिछले कई दिनों से जामिया, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जाकीर नगर और कालिंदी कुंज में भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इस कारण भी इन इलाकों में रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। आइटीओ, मंडी हाउस, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर दफ्तर से घर जाते वक्त बड़ी संख्या में वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहे। शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में विद्यार्थी और सामाजिक संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे।

एक और आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि सीलमपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वाले और ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले आरोपी रहीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों सीलमपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी और पुलिस और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करने के साथ-साथ मारपीट भी की थी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी और अद्धसैनिक बल के जवानों को चोटें पहुंची थी। इससे पहले भी कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और दिल्ली महिला कांग्रेस प्रमुख शर्मिष्ठा को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया।

नोएडा और गाजियाबाद में भी इंटरनेट सेवा बाधित रही

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

- नोएडा में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निकाला मार्च
- दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर लिया निर्णय

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए इंटरनेट सेवा बंद और एसएमएस सेवा बाधित कर दी थी। गाजियाबाद में शनिवार सुबह 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी।

वहीं, शुक्रवार को नोएडा में पुलिस के आला अधिकारियों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को समझाया कि वे कानून-व्यवस्था को कायम रखें तथा किसी भी उपद्रवी के बहकावे में ना आएं। नगर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में चल रहे प्रदर्शन का असर जनपद गौतम बुद्ध नगर में ना हो इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने एक साथ संयुक्त रूप से पैदल मार्च निकाला।

पुलिस ने बताया कि नोएडा के सेक्टर आठ स्थित जामा मस्जिद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समझाया गया कि वे आपसी सौहार्द को बनाए रखें तथा किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। उन्होंने बताया कि मार्च में मुस्लिम समाज के कई प्रबुद्ध लोग भी पुलिस के साथ शामिल हुए तथा उन्होंने भी मुस्लिम समाज के लोगों से संयम व धैर्य बनाए रखने की अपील की। एसपी ने बताया कि पूरे जनपद में पुलिस के अधिकारी लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं तथा शांति व सौहार्द बनाने की अपील कर रहे हैं।

स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद

गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन ने दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए शहर के निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि शनिवार को जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं, नोएडा में शिक्षण संस्थान के बंद रहने का निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है।

दिल्ली मेट्रो के 13 स्टेशन रहे बंद, यात्री हुए परेशान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर शुक्रवार को शिव विहार सहित 13 व गुरुवार को 14 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए जाने से बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित हुए हैं। स्टेशन बंद किए जाने की सूचना पहले से नहीं होने से तमाम यात्री गंतव्य से अधिक दूरी तक यात्रा करने व किराए का अधिक भुगतान करने को विवश भी हुए। वहीं, कुछ यात्री गंतव्य स्टेशन से पहले उतरकर दूसरे वाहन ढूढ़ते नजर आए।

डीएमआरसी ने बताया कि शुक्रवार को जौहरी एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। डीएमआरसी ने शुक्रवार को किए ट्वीट में जानकारी दी है कि 285 मेट्रो स्टेशनों में से वायलेट लाइन पर चावड़ी बाजार, लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट, पिंक लाइन पर जाफराबाद और मौजपुर बाबरपुर और मजेंटा लाइन पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्टेशनों को सुरक्षा एजंसियों के निर्देश पर बंद कर दिया गया था। इनके अलावा राजीव चौक, प्रगति मैदान और खान मार्केट स्टेशनों के भी प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए। हालांकि राजीव चौक पर ट्रेन बदलने का विकल्प खुला था। अन्य स्टेशनों पर मेट्रो सेवा सामान्य रूप से चली

विरोध में प्रदर्शनों के मद्देनजर गुरूवार को भी दिल्ली के 14 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए थे। इससे पहले डीएमआरसी ने सात मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहने की जानकारी दी थी। अचानक होने वाले इस बंद के कारण यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठंड व कोहरे के कारण सड़क यातायात पहले ही प्रभावित चल रहा है।

भाजपा के डिजिटल रथ बताएंगे कच्ची कॉलोनियों की कहानी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के लिए उठाए गए कदमों की कहानी भाजपा के डिजीटल रथ बताएंगे। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सभी संसदीय क्षेत्र के लिए दो-दो रथ रवाना किए हैं। ये 14 रथ आने वाले दिनों में दिल्ली की कॉलोनियों में घूमते नजर आएंगे और इनके माध्यम से 1731 कॉलोनियों के लिए भाजपा सरकार ने क्या कार्य किए हैं उनकी कहानी बताएंगे। इनके माध्यम से भाजपा रविवार को दिल्ली में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के लिए भी जनता को आंमत्रित करेंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद देने के लिए यह रैली बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार इन कॉलोनियों को नियमित करने के साथ 2022 तक लोगों को पक्का मकान देने का भी काम कर रही है।

जामिया के विद्यार्थियों का पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

- प्रदर्शनकारियों में विश्वविद्यालय के छात्र, स्थानीय लोग और बच्चे भी शामिल रहे। उन्होंने पोस्टर, बैनर और तिरंगा लेकर छोटे-छोटे जुलूस निकाले

इंटरनेट पर पाबंदी, आवाजाही में बाधा और कड़ाके की ठंड के बावजूद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर सड़क पर सैकड़ों लोग जमा हुए और संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ शुक्रवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस विश्वविद्यालय में बाहर रविवार को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई में 50 से अधिक विद्यार्थियों के घायल होने के बाद विरोध प्रदर्शन का यह पांचवा दिन है। प्रदर्शकारियों में विश्वविद्यालय के छात्र, स्थानीय लोग और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने पोस्टर, बैनर और तिरंगा लेकर छोटे-छोटे जुलूस निकाले।

इस दौरान आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों को किसी के भी प्रति कोई नकारात्मक नारा नहीं लगाने के लिए आगाह किया। लोगों ने सड़क के दोनों तरफ मानव श्रृंखला बनाई, ताकि यातायात प्रभावित न हो। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सफेद टोपी पहनी थी, जिस पर लिखा था 'नो सीएए, नो एनआरसी' उन्होंने दावा किया कि स्थानीय आप विधायक अमानतुल्लाह ने ये टोपियां बनवाई हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की दीवारों पर चिपकाए गए पोस्टरों में सीएए और एनआरसी का विरोध किया गया है और धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता की अपील की गई है। इलाके के लोग प्रदर्शनकारियों को पर्चे देकर हिंसा न करने की अपील कर रहे थे। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों में दिल्ली पुलिस को लेकर गुस्सा था। उस इलाके से पुलिस की एक गाड़ी गुजरने पर नारेबाजी में तेजी देखने को मिली।

'अफवाहों से भ्रमित ना हों विद्यार्थी'

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने शुक्रवार को संस्थान के विद्यार्थियों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से भ्रमित नहीं हों। विद्यार्थियों को लिखे पत्र में उन्होंने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय उनके (छात्रों के) साथ है और उन्हें पूर्ण वित्तीय एवं भावनात्मक सहयोग उपलब्ध कराएगा। संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के छात्र आगे रहे हैं। अख्तर ने 15 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर में हुए पुलिस के प्रवेश को निंदनीय बताया था और मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी।

आम आदमी पार्टी ने शुरू की चुनाव की तैयारियां

अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल, नारे के साथ 'आप' होगी मैदान में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

'अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल' नारे के साथ आम आदमी पार्टी (आप) इस बार चुनाव मैदान में होगी। शुक्रवार को 'आप' ने इस नारे के साथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के चुनाव 2020 में होने तय हैं। 'आप' ने एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है, जिसे 35 लाख लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं थे।

'आप' नेता व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अच्छे बीते पांच साल-लगे रहो केजरीवाल नारे की 'आप' विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह नारा दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। आम आदमी पार्टी ने 2015 में 70 सीटों में से 67 पर जीत दर्ज की थी। पार्टी ने इस बार चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंसल्टेंसी कंपनी आई-पैक के साथ समन्वय किया है। इनकी चुनाव रणनीति पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुख्यमंत्री बनें। अब तक हुई सभाओं में ये संकेत मिले हैं।

जनता के बीच से ही इस बार चुनाव के लिए पार्टी का नारा भी निकल कर आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विकास के लिए वोट किया था। पांच साल में सरकार ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र मे बेहतरीन कार्य किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने पांच साल का एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है। यह रिपोर्ट कार्ड 24 दिसंबर से सात जनवरी के बीच जनता के बीच लेकर जाएगा। इसके अतिरिक्त पार्टी संयोजक गोपाल राय ने बताया कि 25 दिसंबर से यह रिपोर्ट आम जनता के बीच ले जाया जाएगा।

खास जरूरतों के बच्चों को हुई ज्यादा दिक्कत

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

प्रदर्शन के पहले ही दिन से बंद है कालिंदी कुंज की ओर से आवाजाही

नोएडा सेक्टर-132 में माता भगवती चड्ढा निकेतन में पढ़ते हैं ये बच्चे

दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले कई दिनों से जामिया और कालिंदी कुंज के पास शाहीन बाग इलाके में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे हुए हैं। जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने एहतियातन कालिंदी कुंज के पास नोएडा की ओर से आवाजाही बंद कर दी है। इसका खामियाजा 20 से 25 बच्चे जो शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जो नोएडा सेक्टर-132 स्थित माता भगवती चड्ढा निकेतन में पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे कालिंदी कुंज, सरिता विहार और बदरपुर इलाके में रहते हैं। बच्चों के परिजनों ने बताया कि वाहनों की आवाजाही बंद होने वजह से स्कूल बस नहीं आ रही है। इस कारण बच्चें स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

सरिता विहार में रहने वाली ऐन्नी के पिता एस राहुल ने बताया कि वह एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उनकी 11 साल की बेटी नोएडा स्थित स्कूल में पढ़ती है। पर उग्र प्रदर्शन के बाद से स्कूल बस नहीं आ रही है। उन्होंने इस संबंध में जब स्कूल प्रशासन से बात की तो कहा गया कि जब स्थिति समान्य नहीं हो जाती। स्कूल बस सेवा शुरू नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है, जब इस प्रकार की समस्या सामने आई है।

हर दिन दी जाती है थेरेपी

राहुल ने बताया कि ऐसे बच्चों को हर दिन एक खास तहर की थैरेपी दी जाती है। स्पीच थेरेपी देकर उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी प्रकार ऑक्यूपेशन थेरेपी के माध्यम से उन्हें चलना, बैठना, बातचीत करना सीखया जाता है। साथ ही स्पेशल एजुकेशन की क्लास रोज होती है। इस क्लास में बच्चों को रोजमर्रा के बातों को सिखाया जाता है। इन बच्चों को इस तरह की क्लास या फिर थेरेपी छूट जाने से आगे की क्लास और थेरेपी में खासी दिक्कत होती हैं। पर प्रदर्शन और विरोध के कारण इन बच्चों का हर दिन नुकसान हो रहा है।

कब शुरू होगी आवाजाही पता नहीं

वहीं, इस संबंध में जब स्थानीय पुलिस से बातचीत की गई तो एक अधिकारी ने बताया कि इस बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि कालिंदी कुंज की ओर से कब आवाजाही शुरू होगी। जब तक स्थिति समान्य नहीं हो जाती, तब तक नोएडा से दिल्ली की ओर आवाजाही बंद रहेगी।

विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 24 को बुलाई बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक 24 दिसंबर को बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली में नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव कराए जाने संबंधी तैयारियों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। दिल्ली की छठी विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 14 फरवरी को खत्म हो रहा है।

सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की एक बैठक 24 दिसंबर को बुलाई है। बताया गया कि इस बैठक में दिल्ली चुनाव कार्यालय नए मतदाता सूची से लेकर चुनाव कराने के लिए की जा रही अन्य तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग को जानकारी देगा। समझा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही हिंसा और प्रदर्शनों आदि के मसले पर भी इस बैठक में चर्चा होगी ताकि संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों आदि का नए सिरे से निर्धारित किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि ऐसे संकेत हैं कि चुनाव आयोग की इस बैठक के कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है और जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव कराए जा सकते हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए एक ही चरण में मतदान कराए जाने की संभावना है।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
न्यू फ्रेन्डस कालोनी शाखा
32, कम्यूनिटी सेन्टर
न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली-110025,
फोन नं. 011-26839206, 28898171

अनुबन्ध-IV {देखें नियम 8(1)} कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इण्डिया** की और से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 8 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 11.07.2019** को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी **मैसर्स मैरिका इण्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड, निदेशक/गारंटर श्री नवीन गोयल एवं श्री सुजीत कुमार गोपाल** को नोटिस में वर्णित **कार्यशील पूंजी की सीमा** की बकाया राशि **रु. 95,94,765.98/- (रुपए पन्चानवे लाख चौरानवे हजार सात सौ पैसंठ एवं अन्तानवे पैसे मात्र)** एवं दिनांक 28.06.2017 से आगे के ब्याज सहित उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था ।

ऋणी/गारंटर द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी/गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा **दिनांक 10 दिसम्बर, 2019** को ले लिया है ।

ऋणी/गारंटर एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इण्डिया के बकाया **रु. 70,74,541.88/-(रुपए सत्तर लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ इकतालिस एवं अट्ठासी पैसे मात्र)** व दिनांक 28.06.2017 से आगे के ब्याज सहित राशि के अधीन होगा ।

अधिनियम की धारा 13 के उपभाग 8 के प्रावधान के तहत सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिऐ उपलब्ध समय उधारकर्ता के ध्यान में लाया जाता है ।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति के सभी भाग और अंश के साथ फ्लेट नं. 163, छठा तल, बिना छत के अधिकार के प्लॉट नं. डी 19, कैसल टॉवर नं. 1, शिव कला लक्जरी अपार्टमेन्ट- II, सेक्टर 51 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. जोकि रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत, श्री सुजीत कुमार गोपाल के स्वामित्व में है।

चौहद्दी: उत्तर में: फ्लैट नं.-162, **दक्षिण में:** जीएफ में खुला,
पूर्व में: जीएफ में खुला स्थान, **पश्चिम में:** फ्लैट नं. -164

दिनांक : 10.12.2019
स्थान : नई दिल्ली
मुख्य प्रबन्धक/प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इण्डिया

नोट: माननीय डीआरटी लखनऊ द्वारा दिनांक 15.06.2019 को नियम 8(1) के तहत जारी पिछले कब्जा सूचना आदेश को वापिस ले लिया गया है और दुबारा कब्जा सूचना का नया नोटिस जारी किया जा रहा है।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

सिंचाई घोटाले में अजित पवार शामिल नहीं : एसीबी

नागपुर, 20 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को बंबई हाई कोर्ट के नागपुर पीठ के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसे करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले में राकांपा नेता अजित पवार की कोई 'आपराधिक जवाबदेही' नहीं मिली है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी पवार को दिए गए इस 'क्लीन चिट' को खारिज करती है और वह इसके खिलाफ अदालत का रुख भी कर सकती है।

इससे पहले एसीबी की नागपुर और अमरावती शाखाओं ने भी जो हलफनामा दायर किया था उनमें यही बात कही थी, लेकिन इस मामले में कथित घोटाले की जांच के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हलफनामा दायर करे।

पुणे जिले के बारामती से राकांपा विधायक पवार महाराष्ट्र में 1999-2009 के बीच कांग्रेस-राकांपा सरकार के दौरान जल संसाधन विकास मंत्री थे। उनकी पार्टी अब शिवसेना और कांग्रेस के साथ प्रदेश में सत्ता में है। एसीबी के एजंसी के महानिदेशक परमबीर सिंह ने नागपुर पीठ के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा कि ब्यूरो की जांच में कथित घोटाले में पवार की कोई भूमिका नहीं मिली है।

राकांपा नेता को दिए गए क्लीन चिट को खारिज किया भाजपा ने

इसमें कहा गया, 'जहां तक प्रतिवादी 7 (पवार) की भूमिका का संदर्भ है, कोई आपराधिक जवाबदेही नहीं मिली है।' इसमें कहा गया कि सितंबर में और फिर इस महीने पवार ने उन्हें भेजी गई प्रश्नावली का जवाब दिया था। एसीबी नागपुर ने इससे पहले 27 नवंबर को ऐसा ही हलफनामा दायर किया था। इससे एक दिन बाद ही प्रदेश में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महा विकास आघाडी सरकार बनी थी। नए हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता फडणवीस ने कहा कि यह 'भ्रामक' है।

देवेंद्र फडणवीस फिलहाल नेता विपक्ष हैं। उन्होंने यहां पर कहा, 'यह हलफनामा भ्रामक है और अदालत में टिक नहीं पाएगा। हम विधानसभा में यह मुद्दा उठाएंगे।'

विधानसभा का शीत सत्र यहां चल रहा है। विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'हम एसीबी द्वारा दायर हलफनामे को पूरी तरह खारिज करते हैं। यह हलफनामा मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसमें पूरी जवाबदेही अधिकारियों पर डाली गई है।' भाजपा नेता ने कहा, ''अगर जरूरत पड़ी, हम अदालत में भी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे।'

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 65/2019 — ई-नीलामी बिक्री सूचना — तिथिः 15.11.2019

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मै. जे.आर. डायमंड्स एवं अन्य

''आदेश''

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 15.11.2019 के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मै. जे.आर. डायमंड्स एवं अन्य के मामले में ई-नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगीः

यह नीलामी बिक्री वेबसाईट https://www.bankeauctions.com पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः **23.1.2020 को 3.00 बजे अप से 4 बजे अप तक।** (यदि जरूरी हुआ, समाप्ति से पूर्व बोली प्राप्त होने पर 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

क्रम सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	शॉप नं. 2, दूसरा तल (बिना छत के अधिकार के), म्यूनिसिपल नं. 2578 एवं 2579, गली नं. 5, खसरा नं. 273 में, ब्लॉक-एम, नाईवाला इस्टेट, बेडनपुरा, करोलबाग, दिल्ली	रु. 14,50,000/- ईएमडीः रु. 1,45,000/-
2.	शॉप नं. 4, दूसरा तल (बिना छत के अधिकार के), म्यूनिसिपल नं. 2578 एवं 2579, गली नं. 5, खसरा नं. 273 में, ब्लॉक-एम, नाईवाला इस्टेट, बेडनपुरा, करोलबाग, दिल्ली	रु. 14,50,000/- ईएमडीः रु. 1,45,000/-
3.	तीसरे तल का भाग (बिना छत के अधिकार के), म्यूनिसिपल नं. 2523 तथा पुराना नं. 2556, खसरा नं. 301, ब्लॉक-एम, वार्ड-XVI, गली नं. 7 एवं 8, बेडनपुरा, करोलबाग, दिल्ली	रु. 56,70,000/- ईएमडीः रु. 5,67,000/-

नियम एवं शर्ते

1. नीलामी/बोली वेबसाईट के माध्यम से ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति द्वारा होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को अग्रिम में सेवा प्रदाता के पास भागीदारी का पंजीकरण कराना होगा तथा ई-नीलामी में भाग लेने के लिये यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। निर्धारित पद्धत्ति में वांछित धरोहर राशि का भुगतान कर हीं वह प्राप्त किया जा सकता है।
3. ईएमडी का भुगतान 21.01.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मै. सी 1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, गुड़गांव, हरियाणा-122015, हेल्पलाइन नं. +91 124-4302020/21/22/23/24, मो.: 09813887931, ईमेल आईडी- support@bankeauctions.com से ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करेंः डीआरटी-III, दिल्ली के रिकवरी प्रकोष्ठ।
6. संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाईट https://www.bankeauctions.com देखें।
7. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य के नीचे नहीं बेचा जायेगा।
8. बोलीदाता **रु. 1,00,000/-** के गुणक में प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।
9. संपत्ति की बिक्री **''जैसा है जहां है आधार तथा जो भी वहां है आधार'' पर की जायेगी।**
10. सफल बोलीदाता को बिक्री की घोषणा के अगले दिन के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी को समायोजित करने के बाद 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि अगले दिन रविवार या अवकाश होता है तो फिर अगले कार्य दिवस को।
11. सफल बोलीदाता को सम्पत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा।
12. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे से वंचित हो जाएंगे। आगे, उनकी अंतिम बोली राशि तथा उस राशि जिस पर बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई क्रेता को ही करना होगा।
13. रिकवरी अधिकारी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त हैं तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
14. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि को या उससे पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।

बिक्री उद्घोषणा की सेवा के शपथ पत्र दाखिल करने तथा 20.12.2019 को अग्रिम कार्रवाई के लिये मामले को सूचीबद्ध की जाये।

(अनिल कुमार यादव)
रिकवरी अधिकारी-I, अति. प्रभार

J&K Bank

बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग
द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

अंचल कार्यालय (उत्तर), प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर-44, गुड़गांव (हरियाणा)- (भारत)
टे.: + 91 (0) 0124-4715800; + 91 (0) 0124-4715800, iapmd.del@jkbmail.com. www.jkbank.com

संदर्भ सं.: जेकबी/जडआडी (उत्तर)/आईएपीएमडी/2019 — तिथिः 27.11.2019

1. श्री गुरुदयाल आर्य, पुत्र धरनीधर आर्य, निवासीः डी-19, नेहरु कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (ऋणधारक सह-मार्टगैजर)
2. श्री संजय शर्मा, पुत्र गुरुदयाल आर्य, निवासीः डी-19, नेहरु कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (ऋणधारक)
3. श्री अर्पणा सिंह, पुत्र श्री विजय सिंह पँवार, निवासीः ग्राम ब्राहमण वाला, पोस्ट ऑफिस माजरा. देहरादून, उत्तराखंड-248001 (गारन्टर)
4. श्री शाहनवाज खान, पुत्र श्री लयाकत अली खान, निवासीः ग्राम ब्राहमण वाला, पोस्ट ऑफिस माजरा. देहरादून, उत्तराखंड-248001 (गारन्टर)

प्रिय महोदय/महोदया,

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि., जेएंडके कंपनी अधिनियम, 1977 (संवत) के अंतर्गत स्थापित एक बैंकिंग कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एम.ए. रोड, श्रीनगर में है तथा अन्य स्थानों सहित एक शाखा कार्यालय 56-राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड में है, यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित (जिसकी अवधारणा के आशय में उसके उत्तराधिकारी तथा एसाइन्स, रुचि रखने वाले उत्तराधिकारी आदि शामिल हैं) के लिए तथा उसकी ओर से मै, अनिल कुमार हांडू वर्तमान में एक्जीक्यूटिव प्रबंधक, बाधित परिसम्पत्ति पोर्टफोलियो प्रबंध विभाग, अंचल कार्यालय दिल्ली (उत्तर) गुड़गांव के रूप में पदस्थापित तथा इस संदर्भ में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत, एतद्द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निम्नलिखित सूचना सर्व करता हूं।

1. कि आपके अनुरोध पर बैंक ने वर्ष 2007 में आपके लिये रु. 6.00 लाख (रुपये छः लाख मात्र) की साख सुविधा स्वीकृत की थी तथा सुविधा प्राप्त करने के लिये

आपने बैंक के पक्ष में अधोलिखित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संदर्भ में अन्य बातों के अतिरिक्त विधिवत प्रतिभूत दस्तावेजों को निष्पादित किया तथा प्रतिभूति हित का निर्माण किया हैः

क) श्री गुरुदयाल आर्य, पुत्र धरनीधर आर्य के नाम में सम्पत्ति नं. डी-19, एम.आई.जी., माप 188.14 वर्ग मी. जो नेहरु कॉलोनी, देहरादून में स्थित है, का इक्विटैबल मार्टगैज।

2. आपने ऊपरोक्त सुविधा प्राप्त की लेकिन, प्रतिभूत ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की और इस प्रकार उन नियमों एवं शर्तों का उल्लघंन किया जिस पर उक्त ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। आपके द्वारा की गई चूक के उपरांत आपकी उक्त ऋण खाता को 30.10.2019 से आपकी खाता को बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार ''गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति'' के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।

अब, 31.10.2019 को आपकी ऋण खाता में निम्न राशि बकाया हैः

आवास ऋण सुविधाः रु. 2,50,148.00

ऊपर पैरा 2 में वर्णित बकाया राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत परिभाषित रूप में बैंक ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' है।

अतएव अब, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, ऊपर नामित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा आपको निर्देश देता हूं कि क्रेडिट्स, यदि कोई हो, को घटाकर समय- समय पर बैंक द्वारा वहन की गई/ वहन की जाने वाली अन्य लागतों तथा चार्जेज तथा 12% मासिक रेस्ट्स फ्लोटिंग रेट के साथ 1.11.2019 से उस पर ब्याज के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 2,50,148.00/- (रुपेय दो लाख पचास हजार एक सौ अड़तालिस मात्र) की 56-राजपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड में उसकी शाखा में बैंक की लेखा पुस्तकों में आपकी देय राशि का भुगतान कर बैंक के प्रति अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा बैंक आपकी जोखिम एवं लागतों पर अधिनियम (सुप्रा) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अपनी प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित किसी या सभी उपायों का अवलंबन करेगाः

i. प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा करना।
ii. प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण करना।
iii. प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंध के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना।
iv. लिखित में सूचना द्वारा किसी भी समय ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करना जो बैंक को भुगतान के लिए आपसे किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्तियों को अर्जित किए हों।

3. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना के बाद बैंक की पूर्व लिखित प्राप्त किये बिना उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरित करने से निषिद्ध है। एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप प्रतिभूत क्रेडीटर के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में उपरोक्त परिसंपत्तियों का व्यवसाय नहीं करेंगे जो प्रतिभूत क्रेडीटर के हित के विरुद्ध है। साथ ही, आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों जिसके आप ट्रस्टी हैं को संरक्षित रखने के कर्त्तव्य से बंधे हैं। यदि आपने पहले ही इन परिसंपत्तियों को अंतरित कर दिया हो अथवा इस सूचना की सर्विस के बाद अंतरित करेंगे तो आप इस अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई के भागी होंगे।

4. पुनः, कृपया ध्यान रहे कि यदि आप इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करने में विफल होते हैं तथा बैंक अधिनियम (सुप्रा) की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत कोई कार्रवाई करता है तो आप पुनः इस सिलसिले में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिय उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री राशि से बैंक की संपूर्ण बकाया वसूल नहीं होती है तो बैंक आप तथा उसके देनदार किसी अन्य व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से शेष बकाये की वसूली की कार्रवाई करेगा।

5. यह सूचना लम्बित ऋण वसूली कार्रवाई अथवा किसी अन्य न्यायालय/ अपीलीय अधिकरण/ प्राधिकरण में बैंक के सभी अधिकारों, उपचारों तथा तर्कों तथा साथ ही उपरोक्त देयता के संदर्भ में बैंक में प्रस्तुत की गई किसी अन्य प्रतिभूति से बकाए की वसूली करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जाती है।

6. आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार आप सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन/ निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ संपूर्ण बकाये राशि का भुगतान कर सकते हैं।

कृपया, यह भी ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन से पूर्व बैंक द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

7. यह मांग सूचना ऋण राशि का रिकॉल है तथा यदि इस सूचना के अनुपालन में प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन के बाद आपकी सम्पूर्ण देयताएं पूरी नहीं होती है तो शेष राशि की वसूली के लिये बकाया राशि के प्रतिभूत क्रेडीटरों से मांग करने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है। पुनः कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना को हमारी बकाया राशि की वसूली के लिये आगे मांग करने के अधिकार सहित किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के वैवर के रूप में नहीं माना जाये।

(अनिल कुमार हांडु)
प्राधिकृत अधिकारी
द जे एंड के बैंक लि.

J&K Bank

बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग
द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

अंचल कार्यालय (उत्तर), प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर-44, गुड़गांव (हरियाणा)- (भारत)
टे.: + 91 (0) 0124-4715800; + 91 (0) 0124-4715800, iapmd.del@jkbmail.com. www.jkbank.net

संदर्भ सं.: जेकबी/जडआडी (उत्तर)/आईएपीएमडी/2019 — तिथिः 27.11.2019

1. श्री तौफीक खान, पुत्र श्री ताजमीर खान, निवासीः 142-आजाद कॉलोनी, माजरा, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (ऋणधारक सह-मार्टगैजर)
2. श्री तौसीफ खान, पुत्र श्री ताजमीर खान, निवासीः 142-आजाद कॉलोनी, माजरा, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (ऋणधारक सह-मार्टगैजर)
3. श्री तौकीर खान, पुत्र श्री ताजमीर खान, निवासीः 142-आजाद कॉलोनी, माजरा, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (ऋणधारक सह-मार्टगैजर)
4. श्री तनवीर खान, पुत्र श्री ताजमीर खान, निवासीः 142-आजाद कॉलोनी, माजरा, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (ऋणधारक सह-मार्टगैजर)
5. श्रीमती रेशमा खान, पत्नी श्री तौफीक खान, निवासीः 142-आजाद कॉलोनी, माजरा, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (ऋणधारक)
6. श्री सरवर अहमद, पुत्र श्री अकबर अहमद, निवासीः 143-एमडीडीए कॉलोनी, दलानवाला, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (गारन्टर)
7. श्री प्रवीण सेहगल, पुत्र श्री दीवान चंद, निवासीः 109-मोहल्ला शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (गारन्टर)

प्रिय महोदय/महोदया,

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि., जेएंडके कंपनी अधिनियम, 1977 (संवत) के अंतर्गत स्थापित एक बैंकिंग कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एम.ए. रोड, श्रीनगर में है तथा अन्य स्थानों सहित एक शाखा कार्यालय 56-राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड में है, यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित (जिसकी अवधारणा के आशय में उसके उत्तराधिकारी तथा एसाइन्स, रुचि रखने वाले उत्तराधिकारी आदि शामिल हैं) के लिए तथा उसकी ओर से मै, अनिल कुमार हांडू वर्तमान में एक्जीक्यूटिव प्रबंधक, बाधित परिसम्पत्ति पोर्टफोलियो प्रबंध विभाग, अंचल कार्यालय दिल्ली (उत्तर) गुड़गांव के रूप में पदस्थापित तथा इस संदर्भ में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत, एतद्द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निम्नलिखित सूचना सर्व करता हूं।

1. कि आपके अनुरोध पर बैंक ने वर्ष 2007 में आपके लिये रु. 10.50 लाख (रुपये दस लाख पचास हजार मात्र) की साख सुविधा स्वीकृत की थी तथा सुविधा प्राप्त करने के लिये

आपने बैंक के पक्ष में अधोलिखित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संदर्भ में अन्य बातों के अतिरिक्त विधिवत प्रतिभूत दस्तावेजों को निष्पादित किया :

1. श्री तौफीक खान, 2. श्री तौसीफ खान, 3. श्री तौकीर खान 4. श्री तनवीर खान, सभी पुत्र श्री ताजमीर खान के नाम में मौजा माजरा, परगणा सेन्ट्रल दून, जिला देहरादून में स्थित निर्मित क्षेत्र के साथ सम्पत्ति खसरा नं. 515/1 (वर्तमान खसरा नं. 629 का) माप 148.69 वर्ग मी. का इक्विटैवल मार्टगैज।

2. आपने ऊपरोक्त सुविधा प्राप्त की लेकिन, प्रतिभूत ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की और इस प्रकार उन नियमों एवं शर्तों का उल्लघंन किया जिस पर उक्त ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। आपके द्वारा की गई चूक के उपरांत आपकी उक्त ऋण खाता को 30.10.2019 से आपकी खाता को बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार ''गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति'' के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।

अब, 31.10.2019 को आपकी ऋण खाता में निम्न राशि बकाया हैः

आवास ऋण सुविधाः रु. 6,46,681.00

ऊपर पैरा 3 में वर्णित बकाया राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत परिभाषित रूप में बैंक ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' है।

अतएव अब, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, ऊपर नामित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा आपको निर्देश देता हूं कि क्रेडिट्स, यदि कोई हो, को घटाकर समय- समय पर बैंक द्वारा वहन की गई/ वहन की जाने वाली अन्य लागतों तथा चार्जेज तथा 12% मासिक रेस्ट्स के साथ 1.11.2019 से उस पर ब्याज के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 6,46,681 (रुपये छः लाख छियालिस हजार छः सौ इक्कासी मात्र) की 56-राजपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड में उसकी शाखा में बैंक की लेखा पुस्तकों में आपकी देय राशि का भुगतान कर बैंक के प्रति अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा बैंक आपकी जोखिम एवं लागतों पर अधिनियम (सुप्रा) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अपनी प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित किसी या सभी उपायों का अवलंबन करेगाः

i. प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा करना।
ii. प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण करना।
iii. प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंध के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना।
iv. लिखित में सूचना द्वारा किसी भी समय ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करना जो बैंक को भुगतान के लिए आपसे किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्तियों को अर्जित किए हों।

3. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना के बाद बैंक की पूर्व लिखित प्राप्त किये बिना उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरित करने से निषिद्ध है। एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप प्रतिभूत क्रेडीटर के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में उपरोक्त परिसंपत्तियों का व्यवसाय नहीं करेंगे जो प्रतिभूत क्रेडीटर के हित के विरुद्ध है। साथ ही, आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों जिसके आप ट्रस्टी हैं को संरक्षित रखने के कर्त्तव्य से बंधे हैं। यदि आपने पहले ही इन परिसंपत्तियों को अंतरित कर दिया हो अथवा इस सूचना की सर्विस के बाद अंतरित करेंगे तो आप इस अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई के भागी होंगे।

4. पुनः, कृपया ध्यान रहे कि यदि आप इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करने में विफल होते हैं तथा बैंक अधिनियम (सुप्रा) की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत कोई कार्रवाई करता है तो आप पुनः इस सिलसिले में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिय उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री राशि से बैंक की संपूर्ण बकाया वसूल नहीं होती है तो बैंक आप तथा उसके देनदार किसी अन्य व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से शेष बकाये की वसूली की कार्रवाई करेगा।

5. यह सूचना लम्बित ऋण वसूली कार्रवाई अथवा किसी अन्य न्यायालय/ अपीलीय अधिकरण/ प्राधिकरण में बैंक के सभी अधिकारों, उपचारों तथा तर्कों तथा साथ ही उपरोक्त देयता के संदर्भ में बैंक में प्रस्तुत की गई किसी अन्य प्रतिभूति से बकाए की वसूली करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जाती है।

6. आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार आप सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन/ निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ संपूर्ण बकाये राशि का भुगतान कर सकते हैं।

कृपया, यह भी ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन से पूर्व बैंक द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

7. यह मांग सूचना ऋण राशि का रिकॉल है तथा यदि इस सूचना के अनुपालन में प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन के बाद आपकी सम्पूर्ण देयताएँ पूरी नहीं होती है तो शेष राशि की वसूली के लिये बकाया राशि के प्रतिभूत क्रेडीटरों से मांग करने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है। पुनः कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना को हमारी बकाया राशि की वसूली के लिये आगे मांग करने के अधिकार सहित किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के वैवर के रूप में नहीं माना जाये।

(अनिल कुमार हांडु)
प्राधिकृत अधिकारी
द जे एंड के बैंक लि.

कार्पोरेशन बैंक

आंचलिक कार्यालय, आर.पी.जी. टॉवर, 495/1, मगंल पाडें नगर, मेरठ-250001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [Rule - 8(1)]

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नसंघरण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रभावीकरण) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कार्पोरेशन बैंक** अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों

जनसत्ता

21 दिसंबर, 2019

हिंसा का प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध की आग में देश के कई इलाके जिस तरह से जल उठे हैं, वह विचलित करने वाला है। शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां विरोध-प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण नहीं कर लिया हो। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए, नागरिकता कानून के विरोध में उतरी भीड़ हिंसक हो गई और उसमें छह लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले यानी गुरुवार को लखनऊ में ऐसा मंजर देखने को मिला। गुजरात के अमदाबाद, बनासकांठा सहित कई शहरों में गुरुवार को लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस पर उतरा। इस तरह के दंगे जैसे हालात और पुलिस पर हमले सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति लोगों के गुस्से की अभिव्यक्ति हैं। जाहिर है, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोग भारी गुस्से में हैं। ऐसे में जिस तरह के हालात के बनते जा रहे हैं, वे पुलिस, खुफिया और सुरक्षा एजंसियों के लिए बड़ी नाकामी को भी बता रहे हैं।

लेकिन इन विरोध-प्रदर्शनों ने जिस तरह का हिंसक रूप धारण कर लिया है और लोग कानून हाथ में लेने से जरा नहीं हिचक रहे हैं, वह कहीं ज्यादा गंभीर बात है। लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना और प्रदर्शनों के जरिए इसे व्यक्त करना हर नागरिक का अधिकार है। पर प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, पथराव, आगजनी जैसी घटनाओं को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाओं से कुछ भी हासिल नहीं होता और यह सिर्फ गुस्सा जाहिर करने का गलत तरीका है। इससे सिर्फ सरकारी और निजी संपत्ति का ही नुकसान होता है। पर आक्रोश के दौरान हम इस बात को भूल जाते हैं। हालांकि यह हकीकत है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन तभी उग्र होते हैं जब किसी भी पक्ष की ओर से कोई उकसावे वाली कार्रवाई हो। जैसे ही एक पक्ष का संयम टूटता है, हालात बेकाबू होते जरा देर नहीं लगती। अक्सर ऐसी नौबत तब आती है जब प्रदर्शनकारियों के बीच शरारती तत्त्व घुस आते हैं, जिनका मकसद ऐसे जायज विरोध-प्रदर्शनों के उद्देश्य को विफल करना होता है और नतीजा यह होता है कि पूरा प्रदर्शन हिंसक हो उठता है। ऐसे में पुलिस अगर पुलिस भी संयम और समझ से काम नहीं लेती तो उसका नतीजा वही होता है जो हाल में दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने स्वीकार भी किया कि जामिया की हिंसा में कोई छात्र नहीं था, बल्कि कुछ शरारती तत्वों ने यहां हिंसा फैलाई।

इसी तरह गुरुवार को पश्चिम बंगाल में एक जगह प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वाली भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने एक समुदाय विशेष के प्रतीक माने जाने वाले वस्त्र पहन कर इसे अंजाम दिया और बाद में जांच में यह सामने आया कि ये लोग एक राजनीतिक दल विशेष से जुड़े थे। अगर पुलिस और खुफिया तंत्र चौकस और जिम्मेदार व ईमानदार हों तो शरारती तत्त्वों की पहचान कर उन्हें पहले से ही हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हिंसा भड़कने के बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति आग में घी का काम करती है। लेकिन हमारे राजनीतिक दलों के लिए यही लाभकारी होता है। इस बात से हर कोई सहमत है कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जिस भारत ने हमेशा से अहिंसा का पाठ पढ़ा है, उस देश में अगर ऐसी हिंसा भड़क उठती है तो यह अफसोस की बात है।

इंसाफ की राह

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मुकदमे में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अभियुक्त को जो सजा सुनाई है, वह मौजूदा दौर में कई लिहाज से बेहद अहम है। हाल के दिनों में बलात्कार के बढ़ते मामलों और उसके और ज्यादा विकृत होते जाने के मसले पर सामाजिक प्रतिक्रिया में आक्रोश फैल रहा है और यह मांग उठ रही है कि बलात्कार के दोषियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि अपराधियों के भीतर खौफ पैदा हो। लेकिन विडंबना यह है कि इस अपराध के मुकदमे में समूची कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसका असर फैसले पर पड़ता है। खासतौर पर अपराधी अगर ऊंचे रसूख वाला है तो उस पर लगे आरोपों को साबित करना एक बड़ी चुनौती होती है। उन्नाव की घटना में बलात्कार का आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और अपने प्रभाव में क्षेत्र में काफी दबंग माना जाता है। अपने रसूख का इस्तेमाल करके उसने अपने ऊपर लगे इस आरोप से बचने की हर संभव कोशिश की। लेकिन अदालत ने फैसले ने यह साबित किया कि इंसाफ के दरवाजे पर कानून सबके लिए बराबर है।

गौरतलब है कि आरोप सामने आने के बाद इस मसले पर कानूनी प्रक्रिया के तहत लंबी जद्दोजहद चली और हाल में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और बलात्कार का दोषी ठहराया था। यह इस मसले पर उन सभी लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात थी, जो मामले की गंभीरता और आरोपी के राजनीतिक कद को देखते हुए सजा को लेकर आशंकित थे। लेकिन अदालत ने जब सेंगर को उम्रकैद और एक महीने के भीतर पच्चीस लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई तो वह फूट-फूट कर रोने लगा। संभव है, यह सजा के उच्च पैमाने के साथ-साथ अपने कद के प्रभाव की नाकामी से उपजा अफसोस रहा होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि अपने रसूख के बल पर ऐसे लोग न केवल अपराध को अंजाम देते हैं, बल्कि अपने प्रभाव और पहुंच का इस्तेमाल करके पीड़िता की आवाज दबाने से लेकर फैसले तक को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस मामले में पीड़िता के पिता को फर्जी मुकदमे में फंसाने से लेकर हिरासत में उनकी मौत से लेकर खुद उसकी कार जिस तरह जानलेवा हादसे की शिकार हुई, वह बहुत कुछ बताता है।

ऐसा अक्सर देखा गया है कि बलात्कार के मामलों में अपराधी की सजा तय हो जाती है, लेकिन उसके बाद पीड़िता के सामान्य जीवन के सामने कैसी चुनौतियां पेश आएंगी, उस पर गौर नहीं किया जाता। लेकिन उन्नाव मामले में आया फैसला इस लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है। दरअसल, अदालत ने इस बात का ध्यान रखा है कि कुलदीप सिंह सेंगर का जो अतीत रहा है, उसे देखते हुए पीड़िता की सुरक्षा कैसे तय की जाए। इसलिए अदालत ने कई बातें बिल्कुल साफ तय की है। सेंगर पर हुए जुर्माने की रकम में से ही पीड़िता को दस लाख रुपए दिए जाएंगे। पीड़िता और उसका परिवार एक साल तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिलाए गए किराए के घर में रह सकेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार किराया चुकाएगी। इसके अलावा, सीबीआइ खुद पीड़िता और उसके घरवालों की सुरक्षा की न केवल व्यवस्था करेगी, बल्कि हर तीन महीने में उनके जीवन पर खतरे का आकलन भी करेगी। जाहिर है, जिस दौर में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामलों में सजा की दर को लेकर चिंता जताई जा रही है और इस मसले पर त्वरित न्याय सुनिश्चित किए जाने के लिए विशेष व्यवस्था की मांग जोर पकड़ रही है, उसमें उन्नाव मामले में अदालत का फैसला एक उम्मीद की तरह है।

कल्पमेधा

लगन उलटी दिशा में मनुष्य को नहीं दौड़ा सकती, जिस प्रकार तेज बहती नदी अपने प्रवाह के विरुद्ध नौका नहीं बहा सकती।

– फील्डिंग

कैसे साफ होगी गंगा?

प्रमोद भार्गव

हकीकत तो यह है कि जब तक गंगा के तटों पर स्थापित कल-कारखानों को गंगा से बहुत दूर नहीं ले जाया जाता, गंगा गंदगी से मुक्त होने वाली नहीं है। इस योजना में कानपुर के चमड़ा शोधन कारखानों और गंगा किनारे लगे सैकड़ों चीनी और शराब कारखानों को अन्यत्र विस्थापित करने के कोई प्रावधान ही नहीं थे। इनका समूचा विषाक्त कचरा गंगा को जहरीला तो बना ही रहा है, उसकी धारा को अवरुद्ध भी कर रहा है।

'गंगा नदी नहीं, मेरी मां है', हाल में इस उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री ने गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाए जाने के लिए अपने कोष से सोलह करोड़ तिरपन लाख रुपए दान दिए। गंगा नदी के लिए किसी प्रधानमंत्री ने अपने कोष से इतनी बड़ी राशि दान दी हो, ऐसा पहले कभी देखने में नहीं आया। राष्ट्रीय गंगा परिषद् की कानपुर में हुई समीक्षा बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे मिशन का सच जांचा-परखा और दस्तावेजों का भी परीक्षण किया। गोमुख से गंगा-सागर तक सफाई का डिजिटल प्रस्तुतिकरण भी देखा। पर प्रधानमंत्री इस काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। निराशा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए 2015-2020 तक के लिए बीस हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, ताकि पांच राज्यों में बहने वाली गंगा संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाए। किंतु अभी तक सीवरेज संयंत्र बनाने में आठ करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुए हैं। जाहिर है, नमामि गंगे मुहिम को बीते पांच साल में वह सफलता नहीं मिली, जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी।

नमामि गंगे परियोजना को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने भी निराशा जाताई है। कैग ने ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया है कि केंद्र सरकार स्वच्छ गंगा मिशन के लिए आवंटित धनराशि के एक बड़े हिस्से का उपयोग ही नहीं कर पाई है। नतीजतन सफाई अभियान चलाने के बावजूद गंगा की हालत वही है, जो पहले थी। यह रिपोर्ट दो साल पहले आई थी। गंगा सफाई अभियान से लंबे समय से जुड़े आइआइटी कानपुर के प्राध्यापक विनोद तारे भी गंगा को मैली बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) बना कर गंगा के पानी को साफ करना चाहती है, लेकिन गंगा की सहायक नदियों की गंदगी को दूर करने के कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। ये नदियां और नाले साफ हो जाएंगे तो गंगा बरसात में अपने आप निर्मल होती चली जाएगी। आइआइटी-बीएचयू के प्राध्यापक और गंगा सफाई के लिए प्रतिबद्ध विश्वंभरनाथ मिश्र का कहना है कि एमएलडी नाले का पानी सीधे गंगा में जा रहा है। बारह से चौदह करोड़ लीटर प्रतिदिन का जो ट्रीटमेंट प्लांट वाराणसी में लगाया गया है, वह पुरानी तकनीक का है, जो इसके हानिकारक जीवाणुओं को खत्म नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा गंदे नाले भी गंगा में बह रहे है। इस योजना के शुरू होने पर 2015 में केंद्र सरकार ने छियानवे एसटीपी निर्माण की अनुमति दी थी, किंतु अक्तूबर, 2018 तक चौबीस फीसद ही संयंत्र बन पाए। उनतीस सयंत्रों पर तो कोई काम ही शुरू नहीं हुआ। ऐसे में 2020 तक निर्मल व अविरल गंगा का लक्ष्य पूरा होना असंभव है।

केंद्र के वित्त पोषण से शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आजीविका की जीवन रेखा कहलाने वाली गंगा का कायाकल्प कर इसका सनातन स्वरूप बहाल करना है। लेकिन इस योजना को निरापद और निर्बाध रूप से अमल में लाने के परिप्रेक्ष्य में जो आशंकाएं पहले थीं, उनकी पुष्टि कैग ने कर दी है। दरअसल गंगोत्री से गंगासागर तक का सफर तय करने के बीच में गंगा जल को औद्योगिक हितों के लिए निचोड़ कर प्रदूषित करने में चमड़ा, चीनी, रसायन और शराब कारखाने और जल विद्युत परियोजनाएं सहभागी बन रही हैं। गंगा सफाई की इस सबसे बड़ी मुहिम में उन पर न तो नियंत्रण के व्यापक उपाय दिखे हैं और न ही बेदखली के।

गंगा सफाई की पहली बड़ी पहल राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी। तब शुरू हुए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम पर हजारों करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए थे, लेकिन गंगा जस की तस बनी रही। इसके बाद गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यूपीए सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित करते हुए, गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया। लेकिन हालत तब भी नहीं बदले। भ्रष्टाचार, अनियमितता, अमल में शिथिलता और जबावदेही की कमी ने इन योजनाओं को दीमक की तरह चट कर दिया। भाजपा ने 2014 के आम चुनाव में गंगा को चुनावी मुद्दा बनाया था। इसके बाद इसके लिए नया मंत्रालय भी बनाया गया और जापान के नदी सरंक्षण से जुड़े विषेषज्ञों की मदद ली गई। उन्होंने भारतीय अधिकारियों और विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा उत्साह भी दिखाया। किंतु इसका निराशाजनक परिणाम यह निकला कि भारतीय नौकरशाही की सुस्त और निरंकुश कार्य-संस्कृति के चलते उन्होंने परियोजना से पल्ला झाड़ लिया।

नमामि गंगे की शुरुआत गंगा किनारे वाले पांच राज्यों में दो सौ इकतीस परियोजनाओं की आधारशिला रख कर की गई थी। इससे पहले देश या दुनिया में इतनी बड़ी परियोजना कहीं शुरू हुई हो, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। इनमें उत्तराखंड में सैंतालीस, उत्तर-प्रदेश में एक सौ बारह, बिहार में छब्बीस, झारखंड में उन्नीस और पश्चिम बंगाल में बीस परियोजनाएं क्रियान्वित होनी थीं। हरियाणा और दिल्ली में भी सात योजनाएं गंगा की सहायक नदियों पर लागू होनी थीं। अभियान में शामिल परियोजनाओं को सरसरी निगाह से दो भागों में बांट सकते हैं। पहली, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने और बचाने की। दूसरी, गंगा से जुड़े विकास कार्यों की। गंगा को प्रदूषित करने के कारणों में मुख्य रूप से जल-मल और औद्योगिक ठोस व तरल अपशिष्टों को गिराया जाना है। जल-मल से छुटकारे के लिए अधिकतम क्षमता वाले जगह-जगह सीवेज संयंत्र लगाए जाने थे। गंगा के किनारे आबाद चार सौ ग्रामों में 'गंगा-ग्राम' नाम से उत्तम प्रबंधन योजनाएं शुरू होनी थीं। इन सभी गांवों में गड्ढे युक्त शौचालय बनाए जाने थे। सभी ग्रामों के श्मशान घाटों पर ऐसी व्यवस्था होनी थी, जिससे जले या अधजले शवों को गंगा में बहाने से छुटकारा मिले। श्मशान घाटों की मरम्मत के साथ उनका आधुनिकीकरण भी होना था, विद्युत शवदाह गृह बनने थे। साफ है, ये उपाय संभव हो गए होते तो कैग की रिपोर्ट में गंगा सफाई को लेकर इतने सवाल नहीं उठते।

नमामि गंगे परियोजना में उन तमाम मुद्दों को छुआ गया था, जिन पर यदि गंभीरता से अमल होना शुरू हो जाता, तो गंगा एक हद तक शुद्ध दिखने लगी होती। हकीकत तो यह है कि जब तक गंगा के तटों पर स्थापित कल-कारखानों को गंगा से बहुत दूर नहीं ले जाया जाता, गंगा गंदगी से मुक्त होने वाली नहीं है। इस योजना में कानपुर के चमड़ा शोधन कारखानों और गंगा किनारे लगे सैकड़ों चीनी और शराब कारखानों को अन्यत्र विस्थापित करने के कोई प्रावधान ही नहीं थे। इनका समूचा विषाक्त कचरा गंगा को जहरीला तो बना ही रहा है, उसकी धारा को अवरुद्ध भी कर रहा है। कुछ कारखानों में प्रदूषण रोधी संयंत्र लगे तो हैं, लेकिन वे कितने चालू रहते हैं, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है। इन्हें चलाने की बाध्यकारी शर्त की परियोजना में अनदेखी की गई है।

उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर एक लाख तीस हजार करोड़ की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए पहाड़ों को जिस तरह से छलनी किया जा रहा है, उसी का परिणाम देवभूमि में मची तबाही थी। ये परियोजनाएं गंगा की धारा को उद्गम स्थलों पर ही अवरुद्ध कर रही हैं। यदि प्रस्तावित सभी परियोजनाएं वजूद में आ जाती हैं तो गंगा और हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों का जल पहाड़ से नीचे उतरने से पहले ही निचोड़ लिया जाएगा, तब गंगा अविरल कैसे बहेगी? पर्यावरणविद् भी मानते हैं कि गंगा की प्रदूषण मुक्ति को गंगा की अविरलता के तकाजे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लिहाजा टिहरी जैसे सैकड़ों छोटे-बड़े बांधों से धारा का प्रवाह जिस तरह से बाधित हुई है, उस पर सरकार खामोश है।

सेहत कोई मजाक नहीं

योगिता यादव

दुनिया मेरे आगे

जिगर, फेफड़े, नाक, आंत और आंख इन सबकी शरीर में खास जरूरतें हैं, लेकिन केवल आम आदमी के लिए। खास लोग इनसे खास तरह के प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे जिगर अगर शायर का हो तो वह लिवर के बजाय दिल का काम भी कर सकता है और 'दिल अजीज' की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। हिंदी फिल्म के किसी गीत में जिगर बीड़ी जलाने के काम भी आ सकता है। यह देह से विदेह हो जाने की अलौकिक अवस्था है। जब आपकी देह पर आपके आसपास का कोई असर नहीं रह जाता। आप उसका सदुपयोग और दुरुपयोग अपनी मनोवांछित इच्छा से कर सकते हैं।

हमारे एक नेता जी उसी अलौकिक अवस्था का आह्वान करते हुए पिछले दिनों कह रहे थे कि लोगों को प्रदूषण पर अनावश्यक भय का वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए; अभी तक ऐसा कोई भारतीय अध्ययन सामने नहीं आया है, जो यह बताए कि प्रदूषण के कारण मनुष्य की उम्र घट रही है। उन्होंने यह 'चमत्कारिक' बयान संसद में उठे एक सवाल के जवाब के तौर पर दिया। दरअसल, गलती से किसी अध्ययन के आलोक में यह पूछ लिया गया था कि आप प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, जबकि अध्ययन के अनुसार प्रदूषण से लोगों की उम्र साढ़े चार साल तक घटती जा रही है। निश्चित ही जिन्होंने यह सवाल पूछा होगा उनके लिए अभी तक उस अलौकिक अवस्था में पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया होगा! इसलिए उन्होंने आम आदमी की सेहत पर असर करने वाले प्रदूषण से निपटने के उपाय पूछा होगा। उनकी तरह और बहुत से सामान्य लोग हैं जो प्रदूषण के खतरे से डरे हुए हैं और इससे बचने की रणनीति बना रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी उनमें शामिल है।

यह जानने की जरूरत है कि एम्स में प्रदूषण के शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए एक विशेष केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का नाम इकोटॉक्सिकोलॉजी रखा गया है। एम्स के निदेशक ने साफ शब्दों में यह बताया है कि प्रदूषण दुनिया भर में सेहत के लिए संकट खड़ा कर रहा है। इसमें हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद तीनों तरह का प्रदूषण शामिल है। इसके कारण हर साल नब्बे लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। करीब पांच महीने पहले गंगाराम अस्पताल में आया एक ऐसा ही एक मामला इस बात की पुष्टि करता है। यहां एक अट्ठाईस वर्षीय युवती को फेफड़ों का कैंसर हो गया। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया, न ही उसके परिवार में धूम्रपान का कोई इतिहास रहा है। वह कैंसर के चौथे चरण पर पहुंच चुकी है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। इस पर अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजह दिल्ली में बढ़ता जा रहा वायु प्रदूषण हो सकता है। फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह धूम्रपान है। सिगरेट में सत्तर ऐसे रसायन होते हैं, जिनसे कैंसर हो सकता है। वही सारे रसायन अब दिल्ली की हवा में भी शामिल हो गए हैं। ऐसी हवा में सांस लेने वालों के फेफड़े आखिर कब तक स्वस्थ रह सकते हैं! डॉक्टर सलाह देते हैं कि सरकार को प्रदूषण पर विस्तृत अध्ययन करवाना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव डेंगू के मच्छर की तरह तुरंत नजर नहीं आते, बल्कि दस साल तक का समय लेते हैं।

अक्तूबर में एम्स के एक और अध्ययन ने प्रदूषण के गंभीर परिणामों के सबूत पेश किए। विश्व ऑर्थराइटिस दिवस के अवसर पर एम्स में एक संवाददाता सम्मेलन में एक डॉक्टर ने बताया कि प्रदूषण के कारण लोगों की हड्डियों की सेहत भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसके लिए उन्होंने साढ़े तीन सौ ऐसे लोगों पर शोध किया जो पिछले दस वर्ष या उससे ज्यादा समय से दिल्ली में ही रह रहे थे। इनमें से करीब बीस फीसदी यानी सत्तर मरीजों में प्रदूषण से गठिया होने की पुष्टि हुई है।

आंखें सबसे पहले वायु प्रदूषण के संपर्क में आती हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रदूषण के दुष्प्रभावों से भी वे बच नहीं सकती। खुद कई चिकित्सकों का मानना है कि वातावरण में मौजूद सभी हानिकारक तत्त्वों का प्रभाव आंखों की सेहत पर होता है। एम्स में ही बारह हजार लोगों की आंखों का अध्ययन किया जा रहा है, जो दिल्ली की शहरी आबादी से ताल्लुक रखते हैं। इनमें हवा में मौजूद प्रदूषण और पराबैंगनी किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

जाहिर है, सादा शब्दों में यह समझने की जरूरत है कि प्रदूषण किसी बीमारी का नाम नहीं है, जिससे अचानक जान चली जाए। बल्कि यह कई बीमारियों का आधार है, जिससे श्वास, फेफड़े, त्वचा, आंख और लिवर संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं। इससे सिर्फ उम्र ही नहीं घटती, बल्कि एक बड़ी आबादी उम्र से पहले बूढ़ी हो सकती है। सेहत सरकारी कमर्चारियों को मिलने वाला वेतन-भत्ता नहीं है, जो देरी हुई तो बकाए के साथ मिल जाएगा। यह प्रदूषण के कारण हर दिन खराब हो रही है। इसके लिए हर दिन सजग और सतर्क रहने की जरूरत है।

असंतुलित विकास

हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा स्त्री-पुरुष असमानता के संबंध में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले वर्ष की तुलना में चार पायदान खिसक कर 112 वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि सन 2006 में भारत 98 वें पायदान पर था। इस रिपोर्ट के मुताबिक रैंकिंग जारी करने के लिए चार मापदंडों को आधार बनाया गया है- आर्थिक क्षेत्र में अवसर, राजनीतिक सहभागिता, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य व जीवन प्रत्याशा। भारत की स्थिति राजनीतिक सहभागिता को छोड़ कर शेष तीनों मापदंडों में लगातार बिगड़ती जा रही है। आखिरकार जब केंद्र और राज्य सरकारें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए बड़े-बड़े दावे करती हैं तो हम इस स्थिति में क्यों है कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भी हमसे ऊपर हैं?

हाल के वर्षों में जब महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हों तो यह रिपोर्ट हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली नहीं होनी चाहिए। सवाल है कि आजादी के सत्तर वर्ष बाद भी हम अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल क्यों नहीं मुहैया करा पा रहे हैं? इससे उनकी आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी दिनोंदिन घटती चली जा रही है। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में अभी तक की सर्वाधिक अठहत्तर महिला सांसद चुन कर आई हैं। सही है कि हमने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के मापदंड में उन्नति किया हैं, लेकिन इन्हीं चुनी हुई महिला सांसदों का सबसे अधिक दायित्व बनता है कि महिलाओं के मुद्दों को अधिक से अधिक उठाएं। क्या ये सांसद अपनी संख्या के मुताबिक महिलाओं से संबंधित मुद्दों को संसद में उठाने में कामयाब रही हैं? बहुत-सी महिला सांसदों की देश में महिलाओं पर बढ़ते बलात्कार या यौन हिंसा के मुद्दे पर चुप्पी सवाल उठाती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद महिलाओं के स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा के मापदंड मे गिरावट से किए गए सारे प्रयास नाकाफी प्रतीत होते हैं। उम्मीद है कि हमारी सरकारें इस रिपोर्ट से सबक लेंगी और वास्तव में धरातल पर महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर काम करेंगी।

● *अभिषेक पाल, आंबेडकर नगर, दिल्ली*

सौहार्द का तकाजा

पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम में जहां देश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी सड़कों पर हैं, वहीं नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध से इतर नौजवानों के बीच पनप रहे संप्रदायिकता के बीज खतरनाक साबित हो सकते हैं। सांप्रदायिकता का विचाराधात्मक प्रभाव जब समूचे समाज में तेजी से फैल रहा हो तो उससे युवाओं को बचा पाना बेहद मुश्किल है। हकीकत तो यही है कि युवा और विद्यार्थी- ये दोनों समूह सांप्रदायिक विचारधारा के केंद्र में रहे हैं। सांप्रदायिकता की जमीन को पकाने के लिए कच्चा माल समाज के भीतर से और उसकी विरासत से ले लिया जाता है, जिससे किसी को यह न महसूस हो कि यह किसी और की विचारधारा है। आज बच्चों के मन-मस्तिष्क में बचपन से ऐसे विचारों की सिंचाई कर दी जाती है, जिससे वे परस्पर धर्मों के विरोधी बन जाते हैं। हमारे नेताओं के भाषण, टीवी, समाचार पत्रों के शीर्षक, सामाजिक वातावरण, सभी उग्र सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक रहे हैं।

राममनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक 'भारत विभाजन के गुनहगार' में लिखा है कि आजादी के बाद भारत में जिस विषय के अध्ययन पर अत्यधिक महत्त्व दिया जाना था, वह था विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। अबुल कलाम आजाद ने भी अपनी पुस्तक 'इंडिया विन्स फ्रीडम' में लिखा कि जब मैं क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुआ तो मेरे अधिकतर हिंदू साथी मुझे लेकर सशंकित रहते थे, लेकिन जब वे मेरे द्वारा इस्लाम से परिचित हुए तो मेरे इतने करीब आ गए कि नमाज के लिए जमीन उबलब्ध कराते और नमाज के समय की याद दिलाते। मतलब यह कि सभी धर्मों के परवर्तित तत्त्वों को अलग कर दिया जाए तो सभी धर्मों का मूल एक ही है। तमाम समाज सुधारकों ने इन्हीं मूल तत्त्वों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया और शिक्षाप्रद बताया। आज आवश्यकता है विभिन्न धर्मों के बीच संवाद स्थापित कर राष्ट्र और समाज के व्यापक हितों को सिद्ध करने की और राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े वाहक विद्यार्थियों को सशक्त करने की।

● *आलोक पांडेय, एडीसी, प्रयागराज*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जनभागीदारी जरूरी

समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां पनपने के पीछे मादक पदार्थ जिम्मेदार हैं। मादक पदार्थ शराब, गांजा, अफीम, स्मैक और चरस के नशे से युवा जकड़ा हुआ है। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सरकार या नशामुक्ति संस्थाएं इसके लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक जागरूकता कार्यक्रमों को चलाने के साथ जनभागीदारी को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना यह संभव नहीं हो सकता।

● *अली खान, जैसलमेर*

अहिंसा का रास्ता

आजकल कई लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांधी का अपमान और गोडसे का महिमामंडन कर रहे हैं। कुछ लोग हिंसा को इस तर्क के साथ जायज ठहरा रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कृत्य करने वालों को गोडसे के सिद्धांतों पर चल कर खत्म किया जाना चाहिए। आज देश में नागरिकता बिल के विरोध में कई हिस्सों में हिंसात्मक विरोध किया जा रहा है। यह कैसा विरोधाभास है कि जो एक कदम पर हिंसा को जायज ठहराने के लिए तर्क देते हैं, लेकिन आज एक बिल के विरोध में उठी हिंसात्मक ज्वाला को शांत करने के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाने की बात कर रहे हैं! क्या उन्हें हिंसा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है?

हमें स्वीकार करना ही होगा कि अहिंसा वाला कदम ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और कारगर है, न कि गोडसे का। गोडसे के समर्थकों को पहले अपने भीतर से गोडसे और उसकी हिंसा के विचार को बाहर निकालना चाहिए। असहयोग जैसे आंदोलन ही जायज और विरोधी कदम हैं। किसी को मारना या काटना, तोड़ना-फोड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि नुकसान और गहरी खाई में धकेलने वाला अनुचित कदम होता है।

● *हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन*

www.readwhere.com

सादगी बेमिसाल

गहलोत सरकार का एक साल पूरा हो गया। राजस्थान में पहली सालगिरह के जश्न के कहीं चर्चे नहीं सुने गए। जबकि इससे पहले सूबे में वसुंधरा राजे की सरकार की कार्यशैली भी तो राजसी ही थी। अपनी सरकार की वर्षगांठ भी वे शाही तरीके से ही मनाती थीं। पर गहलोत को सादगी पसंद है। महारानी के दरबारी उनसे भी आगे थे। गहलोत ने वर्षगांठ पर तीन दिन के कार्यक्रम किए। इस बहाने अपनी छवि को और निखारने की ही कोशिश की। सूबे की जनता की सेहत के नाम किया पहला साल। सयाने कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में पहला सुख निरोगी काया होता है। गहलोत सरकार अब निरोगी राजस्थान अभियान चलाएगी। सेहत से जुड़े तमाम सरकारी विभाग सक्रिय होंगे। मुख्यमंत्री का जोर मिलावट की रोकथाम पर है। वे मिलावट खोरी को सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तभी तो ऐसे अपराधियों के लिए फांसी जैसे कठोर दंड की खुली हिमायत करते हैं। वसुंधरा राजे का हाल तो यह था कि कोई काम पसंद नहीं आता था तो वे नौकरशाही को सबक सिखाती थी। गहलोत ने वर्षगांठ की रूपरेखा का जिम्मा अपने मंत्रियों की एक समिति को सौंपा। मंत्रियों ने गहलोत की गांधीवादी और सादगी वाली छवि का पूरा ध्यान रखा। गहलोत सरकार के एक साल के कामकाज का अब जनता अपने हिसाब से मूल्यांकन करने लगी है। हालांकि सरकार ने अभी तक लंबे-चौड़े दावे करने से परहेज किया है क्योंकि लोकसभा चुनाव और पंचायती चुनाव के कारण ज्यादा समय मिला भी कहां होगा?

बेबाक बोल

घर से निकल कर कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की चिंता आज बदल गई है। मां-बाप को यह चिंता नहीं है कि उसके बच्चे को नंबर कितने आ रहे हैं, उसके प्लेसमेंट का क्या होगा और करियर किस दिशा में जाएगा। आज अभिभावकों की पहली चिंता यह है कि उसके बच्चे पर पुलिस लाठी तो नहीं चला रही, उसे सड़क पर घसीट कर थाने तो नहीं ले जाया जा रहा, लाठी और पत्थर से घायल हो किसी अस्पताल में तो नहीं पड़ा है। सबसे बड़ी चिंता यह कि उसकी राष्ट्रीयता और नागरिकता पर तो कोई शक नहीं किया जा रहा। किसी भी लोकतांत्रिक देश के विद्यार्थी उसके लिए सबसे अहम सार्वजनिक संसाधन होते हैं। शासन-प्रशासन विद्यार्थियों के साथ जैसा व्यवहार करता है उससे देश के हालात तय होते हैं। हिंसा और शको-शुबह के शिकंजे में आए विश्वविद्यालय के युवाओं पर बेबाक बोल।

हिंदुस्तान हूं मैं

मुकेश भारद्वाज

'मेरी हस्ती से हर शख्स बेजार क्यों है
मेरा सवाल, मेरा मजहब, मेरा किरदार और अब मेरी किताब
आपके दुश्मनों की फेहरिस्त पर हैरान हूं मैं
लगेगा वक्त थोड़ा मुझे खुद को पहचान लेने में
अब तक तो समझता था हिंदुस्तान हूं मैं'

विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा कैमरा लिए सवाल करने वालों से रोते हुए कह रही है, आप को क्या मतलब कहां जाऊंगी मैं, ऐसे भी लड़कियों को मारा जाता है, लाइब्रेरी में घुस गए। जिनको पढ़ाई करनी थी, जो सड़क पर नहीं थे उन्हें भी मारा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगी। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की चिंता छोड़ अभिभावकों का नया डर यह है कि कहीं मेरे बच्चे को पुलिस घसीट तो नहीं रही, कहीं वो अस्पताल में तो भर्ती नहीं, कहीं उसकी राष्ट्रीयता पर तो शक नहीं किया जा रहा।

पिछले लंबे समय से हम विश्वविद्यालयों में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर लिख रहे हैं। सार्वजनिक मंच पर सबसे खराब विधा होती है मैं-मैं करके लिखना, यह मेरा बच्चा और आपका बच्चा भी हो सकता है का उदाहरण देना। समस्या को एक नागरिक के तौर पर नहीं यह तुम्हारा भी हो सकता है करके देखना। लेकिन इस बार दिल दहल गया। सभी बच्चे बाहर पढ़ते हैं और हम गर्व और भरोसे की नींद सोते हैं कि वे डीयू, जेएनयू, जामिया जैसे परिसर में रहते हैं। इन परिसरों में दाखिले की सूची में अपनी औलाद का नाम देख मां-बाप जवान हो उठते हैं। अपनी औलाद के साथ अभिभावक भी डीयू, जेएनयू, जामिया का हिस्सा हो जाते हैं। विश्वविद्यालय परिसरों में घर के बने लड्डू-मठरी पहुंचते हैं तो छुट्टी में घर लौटते बच्चों से फरमाइश होती है कि अपने पुस्तकालय से अच्छी किताबें लेते आना। दिल्ली का कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने एक छात्र के साथ दूर के किसी शहर, कस्बे और गांव तक पहुंच जाता है।

हिंदुस्तान के कोने-कोने से लोग अपने बच्चों को यहां पढ़ने भेजते हैं क्योंकि इन संस्थानों ने हमें भरोसा दिलाया है। औलाद घर में है यह जितनी ज्यादा तसल्ली देता है उससे ज्यादा बेफिक्र हम इस बात को लेकर होते हैं कि वे विश्वविद्यालय परिसर में हैं, छात्रावास में हैं और सबसे सुखद पुस्तकालय में हैं। बेटा और बेटी फोन कर कहते हैं कि मोबाइल साइलेंट रहेगा, आज देर रात तक पुस्तकालय में रहेंगे। बच्चे नींद को दूर भगा रात भर किताब पढ़ेंगे यही बात सोच कर हम हिंदुस्तानी अभिभावकों को चैन की नींद आ जाती है। विश्वविद्यालय में किताब पढ़ती औलाद, एक आम अभिभावक के लिए इससे सुखद स्थिति कुछ नहीं हो सकती है।

पुस्तकालय में किताब पढ़ते विद्यार्थियों पर पुलिस ने लाठियां चला दीं। सर्द रात में अभिभावक तस्वीरें देख रहे हैं, उनके बच्चों के पढ़ने की जगह पर बिखरे खून की बूंदें, सुनसान पड़ा जलपानगृह और सांय-सांय करता परिसर। एक किताब नीचे गिरी है जिसके बीच में बुक मार्क लगा है। विद्यार्थी जीवन में बहुतों का जुनून होता है कि किताब पसंद आ गई तो उसे पहली बैठकी में ही खत्म कर देना है। यह किताब अधूरी पड़ी है और उसे पढ़नेवाला पता नहीं अस्पताल में है या अपने गृह प्रदेश लौट चुका है। लाइब्रेरी में एक कोने में स्वेट-शर्ट फेंका पड़ा है। जिस बच्चे की होगी उसके अभिभावकों की आत्मा कितनी सर्द हो गई होगी।

जब विश्वविद्यालय परिसर के अंदर और वो भी पुस्तकालय में बच्चे सुरक्षित न हों तो एक आम नागरिक क्या करे। वह अपने बच्चों को क्या कह कर दिलासा दे। ऐसा क्यों और कैसे होने दिया गया। जामिया की कुलपति कह रही हैं कि पुलिस उनकी इजाजत के बिना परिसर में पहुंची। कुलपति की आवाज में ग्लानि का भाव था कि उनके विद्यार्थी खुद को कितना डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही जामिया के द्वार से अपना सामान बांध कर घर लौटते छात्र-छात्राओं की तस्वीरें सामने आती हैं। शीतकालीन सत्र की समाप्ति के पहले इन्हें परिसर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लड़कियों के चेहरों की उदासी बता रही है कि प्रशासन की असावधानी ने कितने सपने और देश के लोगों का कितना बड़ा भरोसा तोड़ दिया है।

कुछ समय पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की लड़कियों ने शैक्षणिक माहौल को लेकर प्रदर्शन किया तो प्रशासन ने छात्राओं से संवाद के बजाए उनसे सख्ती से निपटना बेहतर समझा। प्रदर्शन कर रही लड़कियों पर लाठीचार्ज हुआ और इस हिंसक माहौल के बाद छात्राओं को हॉस्टल खाली करना पड़ा। बहुत सी लड़कियां अत्यंत साधारण परिवार से थीं और अपने परिवार में कड़ा संघर्ष कर विश्वविद्यालय के छात्रावास पहुंची थीं। उन्हें पढ़ाई-लिखाई के साथ अतिरिक्त मेहनत अभिभावकों को यह समझाने में करनी पड़ती थी कि विश्वविद्यालय परिसर उनके लिए कितना सुरक्षित है। छात्राओं के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई का सबसे बुरा असर इन्हीं लड़कियों के करियर पर पड़ा। कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो पुलिस की लाठी खाने के बाद दुबारा कॉलेज पढ़ने न आ सकीं। उनके साधारण परिवेश के अभिभावकों को लगा कि ऐसी पढ़ाई से बेहतर है इनकी शादी कर देना। विश्वविद्यालय परिसर के पहुंचने तक उनके संघर्ष को एक पुलिसवाले की लाठी ने बहुत पीछे की ओर धकेल दिया। पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण पड़े हैं कि हिंसक माहौल का सबसे बुरा असर लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई पर पड़ता है। सबसे पहले उनके ही हाथों से कलम छीन कर सुरक्षा के नाम पर घर में कैद कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालयों के युवा संधि रेखा पर होते हैं। आज पढ़ रहे हैं तो कुछ ही समय में इन्हें पढ़ाने और शोध करने के काम में लगना है। हर लोकतांत्रिक देश अपने इस प्रबुद्ध तबके पर गर्व करता है, इन्हें सबसे बड़ा सार्वजनिक संसाधन मानता है। देश की संसद ने नागरिकता कानून में संशोधन को पास किया। इसे लेकर भारत जैसे बहुलतावादी देश के विद्यार्थियों में शंका और जिज्ञासा का भाव उठना स्वाभाविक था। हमारे देश में नागरिकता और आजादी का एक-दूसरे से नाभिनाल संबंध रहा है। भारत में नागरिकता का विमर्श स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही आया है। 1947 के बाद जन्मे नागरिकों के लिए आजादी प्राकृतिक है तो उसके साथ नागरिकता भी प्राकृतिक है। अब ऐसा संदेश गया कि एक नागरिक को राष्ट्र राज्य को साबित करना होगा कि वो नागरिक है। इतने जटिल मसले पर विश्वविद्यालय परिसरों में बहस होना स्वाभाविक है। लेकिन विद्यार्थियों के सवाल के साथ संवाद कैसे करना है इसमें शासन और प्रशासन से बड़ी चूक हुई है।

विश्वविद्यालय बौद्धिकता का केंद्र रहे हैं और पूरे देश के लिखने-पढ़ने, सोचने-समझने वाले युवा आहत हैं कि उनकी मांगों पर संवाद करने के बजाए, उनकी शंकाओं का समाधान किए बिना हिंसक तरीके से डराया जा रहा है। आज पुलिस के डंडे से अपने साथी को बचाने के लिए एक युवा लड़की सामने आ जाती है। डंडे के सामने अपनी ऊंगली उठाने की हिम्मत करती है। देश के कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन की अगुआई लड़कियां कर रही हैं। ये लड़कियां उस जमीन को खोने के लिए तैयार नहीं हैं जो उन्हें आसमान छूने का हौसला देता है। सवाल पूछतीं इन निर्भीक लड़कियों और अपने विद्यार्थियों को सबसे अहम संपत्ति मानने वाली वीसी ने साबित कर दिया है कि विश्वविद्यालय परिसर अपनी भूमिका में खरे उतरे हैं। विश्वविद्यालय परिसरों का इतिहास गवाह है कि उन्होंने उन पुलिसवालों के मानवाधिकारों की भी जंग लड़ी है जिनके डंडे उन पर पड़े हैं। इन परिसरों को और बेहतर बनाने की जंग इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि नागरिकों के साथ खड़ा होने वाला बेहतर शासन और बेहतर पुलिस प्रशासन भी यहीं से निकलना है।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

सीएए पर न चढ़ाएं राजनीति का रंग

लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पार्टियों का हक बनता है कि सरकार के लिए फैसलों की कमियों को आमजन के सामने रखे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि यह अपने वोट बैंक के लिए लोगों की भावनाओं को भड़का कर देश की अनेकता में एकता की छवि को धूमिल करें। नागरिकता कानून पर भी शायद ऐसा कुछ ही हो रहा है। कुछेक राजनीतिक दल क्यों इस बिल का विरोध कर रहे, यह तो वो ही अच्छी तरह जानें, लेकिन केंद्र सरकार को नागरिकता कानून बनाने की क्या जरूरत थी? केंद्र सरकार को इस कानून की कमियों को दूर करने के उपाय अपनी हठधर्मिता को छोड़कर करने चाहिए, ताकि इससे देश को कोई नुकसान नहीं हो पाए। देश के हरेक धर्म के लोगों को देश की धर्म-संप्रदाय की संकीर्ण राजनीति से हमेशा बचकर रहना चाहिए, धर्म-संप्रदाय पर राजनीति करने वाले का मकसद लगभग अपना वोट बैंक ही होता है।

-**राजेश कुमार** चौहान, जलंधर।

आज गांधी होते तो

गांधी की 150वीं जयंती को पूरे देश में मनाया गया। इस साल के अंत में संविधान के कुछ पन्नों को भी पलटा गया। इंटरनेट, मोबाइल सेवा पर पाबंदी और कर्फ्यू। परीक्षाएं स्थगित। आज गांधी हमारे बीच होते तो वे हिंसाग्रस्त शहर, विश्वविद्यालयों के दृश्य को देखकर क्षुब्ध हो जाते।

-**नितेश कुमार सिन्हा**, मोतिहारी, बिहार।

दागियों से भरी संसद से उम्मीद?

भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि कितना भी अच्छा कानून हो अगर उसे लागू करने वालों की नीयत में खोट हो तो उस अच्छे कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आज भारतीय संसद में अधिकतर सांसद या तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने में हुए स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्षधरों की संतान बैठे हैं या अपने दामन पर तरह-तरह के अपराधों के दाग लगाए 'माननीय सांसद जी' बनकर बैठे हैं। लोकतंत्र के छद्म खोल में राजतंत्र कुंडली मारकर बैठा हुआ है।

-**निर्मल कुमार शर्मा**, गाजियाबाद।

टूटता तिलिस्म तड़पता जनमानस

बोध और विरोध के लेखक की व्यथा सामयिक है कि अधिकार और अहंकार के आसमान में जनता जनार्दन की वे सभी जरूरी आशाएं और उम्मीदें धूमिल न हो जाएं जिसके फलित होने के लिए हम आजादी की पहली सुबह से इंतजार कर रहे हैं। भुखमरी, बेरोजगारी, किसानी समस्या, न्यूनतम शिक्षा सह चिकित्सा सुविधाओं की चर्चा से संसद आज पलायन की भूमिका में है। काश! आज लोहिया के बचे-खुचे उपासकगण सड़क पर अपनी अहिंसक प्रभावकारी मौजूदगी दर्ज कर संसद को आवारागर्दी से बचाने की चेष्टा करते तो अधिक होनेवाले राष्ट्रीय नुकसान को कम किया जा सकता।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

सियासी गंध क्यों?

होना तो यह चाहिए था कि यहां न तो अंदर से और न ही बाहर से कोई राजनीतिक बू आनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसने दी? सरकार को भी चाहिए कि नीति या कानून ऐसे बने जो संघीय ढांचे को मजबूत करे और जनसामान्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। अगर कानून या नीति गले की हड्डी बन रही हो तो उसमें परिमार्जन की गुंजाइश तो बनती ही है। केंद्र की सरकार को इस पर मनन करना चाहिए।

-**डॉ. हर्षवर्द्धन**, शिक्षाविद्, कदमकुआं, पटना (बिहार)।

राजपाट

हाल बेहाल

योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने बुधवार को दावा कर दिया कि उनके ढाई साल के राज में सूबे में कोई दंगा नहीं हुआ। सब कुछ अमन-चैन से बीता। पर उसी दिन सूबे के हाई कोर्ट की राय अलग थी। दो जजों के एक खंडपीठ ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इससे पहले उन्नाव के चर्चित कांड में सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक की संलिप्तता पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था- लगता है कि यूपी में जंगलराज है। बहरहाल हाई कोर्ट ने तो सूबे के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को ही तलब कर लिया। बिजनौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस की मौजूदगी में दिनदहाड़े हत्या हो तो किसे हैरानी नहीं होगी। हाई कोर्ट ने नाराजगी में कहा कि यूपी में अदालतें भी सुरक्षित नहीं हैं। एक के बाद एक कई जिलों में अदालतों के भीतर गोलीबारी होना सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठाता ही है। हद तो मंगलवार को हो गई जब सत्तारूढ़ पार्टी के ही एक विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना की सलाह की भी अनदेखी करते हुए गुर्जर अपनी बात कहने पर अड़े रहे। उनके समर्थन में भाजपा के करीब सौ विधायक तो नारे लगा ही रहे थे, सपा, बसपा और कांग्रेस के विधायकों ने भी कहा कि सरकार अपने ही विधायक का गला घोट रही है। विधायकों ने सदन में विधायक एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हंगामे के कारण सदन में कोई कामकाज किए बिना बैठक दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल गुर्जर की पीड़ा यह है कि योगी आदित्यनाथ के राज में नौकरशाही पूरी तरह निरंकुश हो गई है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। कमीशन की दरें पहले से और बढ़ गई हैं। वे मुख्यमंत्री की जात के एक अफसर से प्रताड़ित बताए जाते हैं। पर सत्तारूढ़ दल का होने पर भी कोई उनकी मदद को तैयार नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि वे मुख्यमंत्री तक उनकी शिकायत रखेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने जिले के कलक्टर और एसपी को भी तलब करने की बात कही। बुधवार को गुर्जर को सभी विधायकों के दबाव में बोलने का मौका भी दिया गया। उनके भाषण से साफ लग रहा था कि सत्तारूढ़ दल के बजाए मानो कोई विपक्षी विधायक बोल रहा है। नंद किशोर गुर्जर ने गलत नहीं कहा। सूबे में न भाजपा के सांसदों, विधायकों को कोई पूछ रहा है और न मंत्रियों की ही बात उनके मातहत अफसर सुनते हैं। खुद भाजपा के कार्यकर्ता भी दबी जुबान से कहने लगे हैं कि भ्रष्टाचार कम होने के बजाए बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ के अलावा अगर किसी की धमक है तो वे हैं सुनील बंसल। जो हैं तो पार्टी के संगठन मंत्री पर नौकरशाही में भी हर कोई जानता है कि सरकार उन्हीं के इशारे पर चल रही है। खींचतान का आलम यह है कि चार महीने से सूबे में सरकारी मशीनरी के मुखिया यानी मुख्य सचिव की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है।

शह और मात

राजनीति भी शह और मात का खेल है आजकल। कौन किसे कब मात देगा, इसी पर चलती है सारी चकल्लस। उत्तराखंड कहने को छोटा सा सूबा ठहरा। लोकसभा की महज पांच सीटें हैं इस सूबे में। पर सियासी उठापटक यहां बारहों महीने बदस्तूर चलती है और इससे न भाजपा बची है और न कांग्रेस अछूती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हालांकि भाजपा की गुटबाजी और अंतरकलह पहले की तरह सतह पर नजर कम आती है। जबकि कांग्रेस के कुनबे का बिखराव और ज्यादा विस्तार ले रहा है। गुटबाजी शिखर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर ही पार्टी का हाल बेहाल हो तो उत्तराखंड जैसे सूबे की चिंता कौन करे? हरीश रावत को आलाकमान ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव यह सोचकर बनाया था कि वे सूबे में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से ऊपर उठेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रावत का दिल दिल्ली और गुवाहाटी से ज्यादा देहरादून में ही रमता है। आखिर जमीन से जुड़े नेता ठहरे। यह बात अलग है कि पार्टी के मौजूदा सूबेदार प्रीतम सिंह और विधायक दल की नेता इंदिरा हृदेश उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रहे। दोनों गुट एक-दूसरे पर भारी पड़ने के अवसर की ताक में ज्यादा दिमाग खपाते हैं। पार्टी को एकजुट कर सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ अभी तक तो कोई प्रभावी आंदोलन चलाया नहीं। उलटे पिछले दिनों पूर्व सूबेदार किशोर उपाध्याय ने यह हवा जरूर बनाई थी कि आलाकमान जल्द ही सूबे में कांग्रेस का कायाकल्प करेगा। सूबेदार और विधायक दल के नेता दोनों बदले जाएंगे। लेकिन चौदह दिसंबर को दिल्ली में हुई पार्टी की रैली से लौटने के बाद प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदेश ज्यादा आत्मविश्वास में दिखे। चर्चा है कि सोनिया गांधी से हरीश रावत और उपाध्याय की शिकायत की। फायदा भी हुआ और सोनिया की इजाजत मिलते ही प्रीतम सिंह ने किशोर उपाध्याय के जमाने से चली आ रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया। रावत और उपाध्याय गुट को इससे झटका लगा है। नतीजतन पार्टी में भी अचानक उथल-पुथल मच गई है।

अपने हुए बेगाने

मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का अजब हाल है। कमलनाथ को मुख्यमंत्री का पद संभाले साल भर हो गया है पर पार्टी की सूबेदारी अब तक नहीं छोड़ी। फैसला सोनिया गांधी को करना है। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ में पटरी कतई नहीं बैठ रही। सिंधिया परोक्ष रूप से धमकी दे चुके हैं कि उन्हें सूबेदार नहीं बनाया गया तो वे पार्टी छोड़ सकते हैं। उधर, दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह अलग अपने बयानों से बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं। सिंधिया ने भी अपनी ही सरकार पर व्यंग्य-बाण की बारिश की है। मसलन, पहले दो लाख तक के किसानों के कर्ज माफ नहीं होने का मुद्दा उठाया था तो उसके बाद तबादलों को लेकर सवाल उठाए। रही लक्ष्मण सिंह की बात तो चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर वे अपने भाई के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनके एक ट्विट की भी पिछले दिनों खूब चर्चा हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ देने पर उन्होंने तंज कस दिया- महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम, हर घड़ी बदल रहा है रूप, राजनीति छांव है कभी, कभी है धूप। हर पल यहां खूब खाओ, जो है समां कल हो न हो। इतनी उठा-पटक पर भी पार्टी की नेता शोभा ओझा बोलीं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपनी बात कहने को अधिकार है। पर हकीकत से कौन मुंह मोड़ सकता है। पूर्ण बहुमत की सरकार तो है नहीं। कमजोरी में तो अपने असंतुष्ट भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पार्टी सख्ती करे भी तो कैसे, उससे तो नुकसान का भी खतरा बढ़ता है।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

www.readwhere.com

भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद से जयशंकर का मिलने से इनकार

वाशिंगटन, 20 दिसंबर (भाषा)।

- सांसद प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी संसद में कश्मीर पर प्रस्ताव लाकर भारत से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का अनुरोध किया था।
- जयशंकर ने कहा कि उनकी ऐसे लोगों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिन्होंने अपना मन पहले ही बना लिया है और जो वस्तुस्थिति से अवगत नहीं हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल से मिलने से इनकार कर दिया है। जयपाल ने अमेरिकी संसद में कश्मीर पर प्रस्ताव लाकर भारत से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का अनुरोध किया था। जयशंकर ने गुरुवार को भारतीय पत्रकारों के एक समूह से कहा कि इस महीने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कश्मीर पर लाया गया प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर में हालात का निष्पक्ष चित्रण नहीं करता है। भारत और अमेरिका के बीच दूसरे टू प्लस टू संवाद से जुड़ी जयशंकर की वाशिंगटन डीसी की यात्रा संपन्न हो गई।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, 'मैं उस प्रस्ताव से अवगत हूं। मुझे लगता है कि इसमें जम्मू-कश्मीर के हालात को ठीक से समझा नहीं गया। भारत सरकार जो कर रही है उसका निष्पक्ष चित्रण भी नहीं किया गया है। और मुझे (जयपाल से) मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है।' उन्होंने कहा कि उनकी ऐसे लोगों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिन्होंने अपना मन पहले ही बना लिया है और जो वस्तुस्थिति से अवगत नहीं हैं।

जयशंकर ने कहा, 'मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूं जो निष्पक्ष हैं और चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उन लोगों से नहीं जो पहले ही अपना मन बना चुके हैं।' अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पहुंचने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी महिला जयपाल (54) ने इस महीने की शुरुआत में कश्मीर पर प्रस्ताव पेश किया था।

विरोध भले ही सीएए का लेकिन असली डर एनआरसी का

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

देश में जो हालात जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और तीन तलाक खत्म करने के कानून से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के फैसले से नहीं बने वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) ने कुछ ही दिनों में बना दिए। विरोध को भले ही विपक्षी दल हवा दे रहे हों लेकिन अल्पसंख्यक इसे अपने वजूद की लड़ाई मान कर लड़ने को उतावले हैं। उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले मुसलिमों को नागरिकता न देने से ज्यादा परेशानी इसके बाद देशभर में लागू किए जाने वाली राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से है।

मुसलिम मान कर चल रहा है कि उन्हें भारत का नागरिक साबित करवाने के लिए यह सरकार परेशान करने वाली है। इसके विरोध से भाजपा का एक वर्ग भले ही प्रसन्न हो रहा हो लेकिन भाजपा की मूल संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के रणनीतिकार भी परेशान हैं। उन्हें विरोध के इतना व्यापक होने का अनुमान न था। विरोध ज्यादातर अल्पसंख्यक बहुल वाले इलाकों में ही हो रहा है। इस आंदोलन के अगुआ इसे राजनीतिक रंग दिए जाने से परेशान हैं और वे चाहते हैं कि यह उन इलाकों में भी फैले जहां अल्पसंख्यक आबादी नहीं है। दिल्ली के एक नेता ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा की रणनीति कामयाब हो जाएगी।

पांच बार से दिल्ली के सीलमपुर से विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद ने बताया कि यह अनपढ़ मुसलमानों में नहीं पढ़े-लिखे लोगों में भी चर्चा है कि केंद्र की पूरी तैयारी एनआरसी के नाम पर अल्पसंख्यकों की नागरिकता खत्म करने या इसी बहाने उन्हें परेशान करने की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोल चुके हैं कि एनआरसी देशभर में लागू किया जाएगा, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। मतीन अहमद कहते हैं कि असम का अनुभव लोगों को परेशान कर रहा है। पचास साल से देश के नागरिक होने के प्रमाण मांगा गया और इसके लिए लाखों की नागरिकता रोकी गई है। देश में बड़े पैमाने पर गांवों से शहरों की ओर पलायन होते रहे हैं। इसमें बड़ी तादात में अल्पसंख्यक भी हैं जो कई दूसरे तरह की परेशनियों से गांवों से शहरों में आ गए। लोगों के पास अभी के प्रमाण तो मिल जाएंगे लेकिन सालों पुराने प्रमाण कितने लोगों के पास सुरक्षित होंगे। मतीन ने कहा कि लोगों को आशंका है कि इसमें एक वर्ग को प्रताड़ित किया जाएगा।

इसी तरह की बातें मुस्तफाबाद से विधायक रहे आल इंडिया हज कमेटी के उपाध्यक्ष हसन अहमद पूछते हैं। वे दिल्ली में सीएए के विरोध में हंगामा होने के समय से ही शांति मार्च निकालने से लेकर जगह-जगह सद्भावना बैठकें कर रहे हैं। वे लोगों से कहते हैं कि बड़ा मुद्दा तो सद्भावना बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर सद्भावना बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इस मुद्दे पर लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल हैं। केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह लोगों की शंकाएं दूर करे। यह कैसे संभव है कि जो अपना गांव बरसों पहले छोड़ चुका है, अपने इस देश के नागरिक होने का प्रमाण दे।

माना जा रहा है कि अभी विरोध तो सीएए का इस नाम पर है कि कानून में तीन देशों से आने वाले शरणार्थियों में मुसलिमों को शामिल नहीं किया गया है लेकिन विरोध का बड़ा कारण एनआरसी है जिसे मौजूदा केंद्र सरकार लागू करने की घोषणा कर रही है। अल्पसंख्यक समाज के लोग इससे डरे हुए हैं और उनके डर को गैर भाजपा दल हवा दे रहे हैं। इसलिए लगता नहीं है कि नागरिक संशोधन कानून के विरोध में चल रहा आंदोलन आसानी से थमने वाला है।

ममता अपने बयान से पलटीं

कोलकाता, 20 दिसंबर (भाषा)।

नए नागरिकता कानून पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए जाने संबंधी अपने बयान पर चौतरफा निंदा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को यू टर्न ले लिया और कहा कि उनका मतलब निष्पक्ष विशेषज्ञों की निगरानी में एक अभिमत (ओपिनियन पोल) कराने से था। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह लोगों की आवाज सुनें और संशोधित नागरिकता कानून को खत्म करें तथा समूचे देश में एनआरसी लागू करने की योजना को राष्ट्र हित में वापस लें।

बनर्जी ने शहर के अल्पसंख्यक बहुल इलाके पार्क सर्कस में एक प्रदर्शन सभा में कहा, 'यदि अटल जी (अटल बिहारी वाजपेयी) जीवित होते तो वह भाजपा से राजधर्म का पालन करने को कहते। लेकिन अब जो सत्ता (केंद्र) में हैं, वे इसका पालन नहीं करते।' वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को राजधर्म का पालन करने को कहा था। उन्होंने आश्चर्य जताया कि लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) कानून पारित होने के दौरान संसद में मौजूद रहने के बावजूद मोदी ने मत विभाजन में हिस्सा क्यों नहीं लिया।

अंतिम चरण में 71.69 फीसद पड़े वोट

पेज 1 का बाकी

ने शाम पांच बजे तक ईवीएम मशीनों में बंद कर दिए। इन सीटों में से सात सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं और वर्ष 2014 के विधानसभा चुनावों में इन 16 सीटों में से छह झामुमो ने और पांच भाजपा ने जीती थीं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि अंतिम व पांचवें चरण के लिए शांतिपूर्ण ढंग से 71.69 फीसद मतदान रिकार्ड किया गया है।

उन्होंने बताया कि शाम पांच बजे तक राजमहल विधानसभा सीट पर 67.23 फीसद, बोरियो सीट पर 71.58, बरहेट सीट पर 70.07 फीसद, लिट्टीपाड़ा सीट पर 70.01 फीसद, पाकुड़ पर रिकार्ड 76.10, महेशपुर पर 74.81, शिकारीपाडा पर 72.50, नाला पर 78.01, जामताड़ा पर 74.77, दुमका पर 59.73, जामा पर 65.27, जरमुंडी पर 71.53 फीसद, सारठ पर 75.97, पोडैयाहाट पर 69.61, गोड्डा पर 68.54 और महगामा सीट पर 67.23 फीसद मतदान की खबर है। पांचवें और अंतिम चरण की सीटों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से सुबह सात बजे मतदान प्रारंभ हुआ।

1987 से पहले जन्मे हैं तो भारतीय : गृह मंत्रालय

पेज 1 का बाकी

है। नागरिकता कानून में 2004 में किए गए संशोधनों के अनुसार जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद लेकिन एक जुलाई, 1987 से पहले हुआ हो, जिसका जन्म भारत में एक जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर, 2004 से पहले हुआ हो और जन्म के समय उनके माता या पिता भारत के नागरिक हों, वो वास्तविक भारतीय नागरिक हैं। 10 दिसंबर, 1992 को या उसके बाद लेकिन तीन दिसंबर, 2004 से पहले भारत के बाहर जन्मे लोग, जिनके माता या पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे, वो भी भारतीय नागरिक हैं। अगर किसी का जन्म भारत में तीन दिसंबर, 2004 को या उसके बाद हुआ हो और माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक है तथा दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है तो वो भी भारतीय नागरिक होंगे।

गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, नागरिकता कानून के 2004 के संशोधनों के मुताबिक असम में रहने वालों को छोड़कर देश के अन्य हिस्से में रहने वाले ऐसे लोग जिनके माता या पिता भारतीय नागरिक हैं, लेकिन अवैध प्रवासी नहीं हैं, उन्हें भी भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद हाल में बने कानून के बारे में यह स्पष्टीकरण आया है। अधिकारी ने कहा कि जिनका जन्म 1987 के पहले भारत में हुआ हो या जिनके माता-पिता का जन्म उस साल के पहले हुआ है, उन्हें कानून के तहत भारतीय माना जाएगा। असम के मामले में भारतीय नागरिक होने की पहचान के लिए 1971 को आधार वर्ष बनाया गया है।

इस बीच, सरकार के अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि अगर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास कोई सुझाव है तो सरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के लिए विधि मंत्रालय के साथ मिलकर नियम तैयार कर रहा है।

राजधानी में प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा, पुलिस पर पथराव

पेज 1 का बाकी

अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि सुबह से ही प्रदर्शनकारी जामा मस्जिद के आसपास जुटने लगे थे। दोपहर में जुमे का नमाज के बाद जंतर मंतर की ओर मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों ने उन्हें इजाजत देने से इनकार कर दिया। पर प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे दरियागंज की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच शाम साढ़े पांच बजे मस्जिद से भी अपील की गई कि अपने घरों को लौट जाएं और शांति बनाए रखें। करीब चार घंटे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद शाम को अचानक से बड़ी संख्या में लोग भीड़ में शामिल हो गए और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की पर भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुलिस पर हमले शुरू कर दिए। इसी बीच एक निजी वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पानी का बौछार कर और लाठीचार्ज कर स्थिति को संभाला। पुलिस ने बताया कि देर रात तक दरियागंज इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस ने पथराव करने वाले और तोड़फोड़ करने वाले 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन का सबसे अधिक असर जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में देखा गया। इसके साथ ही जंतर मंतर, संसद मार्ग, सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, जामिया, दरियागंज के अलावा उत्तर पूर्वी जिले और कई अन्य मुसलिम बहुल क्षेत्रों में लोग सड़क पर उतरे और विरोध जताया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर शुक्रवार सुबह अपने समर्थकों के साथ जामा मस्जिद के पास पहुंचे। वहां से वे जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकालना चाह रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें अनुमति नहीं दी लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर ने मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें बताया कि यहां पर धारा 144 लागू किया गया है। फिर भी जब वे नहीं माने तो पुलिस ने चंद्रशेखर को दरियागंज इलाके में हिरासत में ले लिया। पर कुछ समय बाद चंद्रशेखर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कुछ समय बाद फरार हो गया। उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा कि वे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हैं। वे संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने का तैयार नहीं थे कि आखिरकार वे कैसे फरार हुए और जामा मस्जिद पहुंचे।

शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दोपहर को बड़ी संख्या में एक समुदाय विशेष के लोग अपने-अपने इलाकों में सड़कों पर उतर गए। जामा मस्जिद के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले लोगों ने शुक्रवार को पुलिस के साथ सहयोग और शांति का संदेश देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गुलाब के फूल भेंट किए। स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता और मध्य जिला पुलिस उपायुक्त मनदीप सिंह रंधावा और अतिरिक्त डीसीपी को गुलाब के फूल दिए। रंधावा ने कि जामा मस्जिद में लोग हमारे साथ हैं और शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने मस्जिद के इमाम से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की।

झारखंड : किसी एक दल को बहुमत मिलने के आसार नहीं

पेज 1 का बाकी

की सहयोगी रही आज्सू को तीन से पांच सीटें, झारखंड विकास मोर्चाःप्रः को दो से चार सीटें मिलेंगी। अन्य छोटी पार्टियों और निर्दलीयों के खाते में चार से सात सीटें जाने की बात कही गयी है। आज तक के मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वेक्षण में झामुमो नेता हेमंत सोरेन को 29 प्रतिशत लोगों की पसंद बताया गया है वहीं भाजपा नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को 26 प्रतिशत लोगों की पसंद बताया गया है।

/इएबीपी-सी वोटर्स /इके एग्जिट पोल में जहां झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को 35 सीटें मिलने की बात कही गयी है वहीं भाजपा को 32 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गयी है। इस सर्वेक्षण ने आज्सू को पांच, झाविमो को तीन एवं निर्दलीय तथा अन्य को छह सीटें मिलने की बात कही है। यदि एबीपी-सी वोटर्स का सर्वेक्षण सही साबित होता है तो उसके अनुसार राज्य में एक बार फिर भाजपा-आज्सू की सरकार का भी गठन हो सकता है। राज्य की पिछली सरकार भी इन्हीं दलों ने मिलकर गठित की थी। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 81 सदस्यीय विधानसभा में 37 सीटें मिली थीं, आज्सू को पांच, झामुमो को 19, कांग्रेस को छह, झाविमो को आठ सीटें मिली थीं। अन्य दलों एवं निर्दलीयों को छह सीटें मिली थीं। बाद में झाविमो के छह विधायक दल बदल कर भाजपा में शामिल हो गए थे जिसके बाद झाविमो के पास महज दो सीटें रह गई थीं।

महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में विरोध

पेज 1 का बाकी

नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'किसलिए एनआरसी? बिल्कुल लागू नहीं होगा।' इससे पहले पांच राज्यों - पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी लागू करने से मना कर दिया था। इस बीच, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के विभिन्न राज्यों से प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की खबरें आईं। बंगाल व असम-पूर्वोत्तर में हालात सामान्य हैं, लेकिन तनावपूर्ण हैं। महाराष्ट्र के बीड, नांदेड़ और परभणी जिलों में भीड़ ने राज्य परिवहन निगम की बसों पर पथराव किया। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और गड़बड़ी वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुंबई से 570 किलोमीटर दूर स्थित नांदेड़ रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने एक बस को क्षति पहुंचाई। गुजरात में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले के सिलसिले में एक कांग्रेस पार्षद सहित 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शाह-ए-आलम इलाके में हो रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस को करीब 5,000 प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

उग्र प्रदर्शनों में छह की मौत

पेज 1 का बाकी

के मकसद से अलीगढ़, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और संभल, गाजियाबाद, नोएडा सहित लगभग दर्जन भर जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। गोरखपुर में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर आ गए और हिंसक प्रदर्शन हुआ।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक, फिरोजाबाद के नालवंद चौराहे में प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगी जिनकी अस्पताल में मौत हो गई। मुजफ्फरनगर और मेरठ में पथराव और आगजनी की खबरें हैं। बिजनौर में दो प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कानपुर में नौ प्रदर्शनकारियों को गोलियां लगी हैं। उनमें से एक की मौत हो गई, दो अन्य गंभीर हैं। कानपुर के अलग-अलग हिस्सों में भीड़ ने पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज की। कानपुर स्थित हलीम मुसलिम कॉलेज से यतीमखाने की तरफ मुंह पर कपड़ा बांधे हुए भीड़ पहुंची। नमाज के बाद युवकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। लगभग एक लाख की भीड़ ने पूरे शहर में तांडव शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इसके साथ ही ये लोग फूलबाग की तरफ बढ़े।

कानपुर के ही ग्वालटोली, बाबूपुरवा के बगही और मछरिया क्षेत्र से भी प्रदर्शन और आगजनी की खबरें हैं। इन जगहों पर प्रदर्शन के दौरान 13 लोग घायल हुए, जिनमें से नौ लोगों को गोली लगी। कानपुर में एक प्लाटून पीएसी तैनात की गई है। विभिन्न हिस्सों से पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी कानपुर अनंत देव का कहना है कि यह सुनियोजित हिंसा है और लोगों को आपसी गोलीबारी में गोली लगी है।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पुलिस की गाड़ियों के साथ-साथ आम लोगों के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। 10 बसें और कई अन्य वाहन फूंक डाले गए। उधर, अयोध्या में धारा 144 का उल्लंघन कर जुलूस निकाला गया। बहराइच में नमाज के बाद नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पथराव की वजह से बचाव के लिए पुलिस टीम ने भीड़ पर की फायरिंग व आंसू गैस के गोले दागे। गोरखपुर स्थित नक्खास में नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने पथराव किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मौके पर मची अफरातफरी में सड़क पर पत्थर, जूते-चप्पल नजर आए।

उत्तर प्रदेश के ही हमीरपुर जिले में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। सीतापुर जिले में लहरपुर और शहर में नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। शामली जिले से भी नमाज के बाद प्रदर्शन से जुड़ी खबरें हैं। अलीगढ़ जिले में भी शाह जमाल ईदगाह पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।

वाराणसी के बजरडीहा, जौनपुर व भदोही जिले में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया।

100 से ज्यादा रेलगाड़ियां चल रही हैं देरी से

पेज 1 का बाकी

ने बताया कि कुल 109 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली-आगरा मार्ग पर चलने वाली लगभग सभी गाड़ियां करीब दो घंटे की देरी से चल रही हैं। इनमें हैदराबाद दक्कन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली निजामुद्दीन एक्सप्रेस और चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस शामिल हैं। दोनों गाड़ियां एक घंटे विलंब से चल रही हैं। नई दिल्ली से सुबह पौने सात बजे रवाना होने वाली तेज एक्सप्रेस सुबह आठ बज कर 50 मिनट पर रवाना हुई। इसी तरह पूर्वा, वैशाली और पटना राजधानी सहित कई अन्य गाड़ियों की रफ्तार पर घने कोहरे का असर पड़ा है।

इस बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तर रेलवे के सभी पांचों डिवीजनों अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद कोहरा प्रभावित इलाके रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ आते हैं। जिससे इनकी ज्यादातर गाड़ियां प्रभावित होती है। दिल्ली में शुक्रवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस गिरावट के साथ करीब छह डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से राजधानी में दृश्यता घट गई। सुबह साढ़े पांच बजे पालम में दृश्यता शून्य और सफदरजंग में 300 मीटर दर्ज की गई। बाद में इसमें सुधार हुआ और साढ़े आठ बजे के आसपास पालम में दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई, लेकिन सफदरजंग में यह घट कर 200 मीटर हो गई।

जयपुर विस्फोट मामले में चार दोषियों को फांसी

पेज 1 का बाकी

पर हुआ था। इसके बाद बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य स्थानों पर धमाके हुए थे। राज्य सरकार की सिफारिश पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की थी। इन पांच के अलावा विस्फोट मामले में आरोपी शादाब, मोहम्मद खालिद व साजिद अब भी फरार हैं जबकि दो आरोपी मोहम्मद आतिफ व छोटा साजिद सितंबर 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए थे।

अदालत ने चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना है। इसके अलावा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया है।

कुलदीप सेंगर को ताउम्र जेल और 25 लाख का जुर्माना

पेज 1 का बाकी

द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के घर में रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को 15 हजार रुपए प्रति महीने किराया अदा करने का निर्देश भी दिया गया। अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत किसी लोकसेवक द्वारा किसी बच्ची के खिलाफ यौन हमला किए जाने के अपराध का दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ पीड़िता का बयान 'सच्चा और बेदाग' है। पॉक्सो कानून में इसी साल अगस्त में संशोधन किया गया था जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। यह घटना कानून संशोधित होने से पहले 2017 में घटने की वजह से मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होता। मामले की सह-आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी करते हुए अदालत ने कहा था कि सीबीआइ साबित नहीं कर सकी कि वह पीड़िता के यौन उत्पीड़न के मामले में सेंगर की साजिश में शामिल थी। ऐसा लगता है कि वह खुद भी परिस्थितियों की शिकार थी।

पॉक्सो कानून के तहत सेंगर को दोषी करार देते हुए अदालत ने कहा था कि सीबीआइ ने साबित किया कि पीड़िता नाबालिग थी और सेंगर पर इस कानून के तहत उचित तरीके से मुकदमा चलाया गया। एक अलग मामले में इसी महिला के साथ 11 जून, 2017 को तीन अन्य लोगों ने उन्नाव में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है।

इस साल 28 जुलाई को बलात्कार पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में महिला के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई। इस मामले में महिला के परिवार ने साजिश का आरोप लगाया था।

मौजूदा सुस्ती के बीच मजबूत होकर निकलेगा देश

पेज 1 का बाकी

गई थी। थोक मुद्रास्फीति का आंकड़ा 5.2 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले राजकोषीय घाटा 5.6 प्रतिशत तक पहुंच गया था।' प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुस्ती और मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकलने में देश पूरी तरह समर्थ है।

उन्होंने कहा कि 2024 तक पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को भी हासिल कर लिया जाएगा, यह लक्ष्य हासिल करना संभव है।' उन्होंने उद्योगपतियों से आगे बढ़कर निवेश करने और उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने को कहा। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा, 'संकल्प और सिद्धि के इस सकारात्मक माहौल में आपका हौसला पहले से बेहतर हो, आप पहले से बेहतर संपत्ति और रोजगार का सृजन करें।

सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। आप आगे बढ़ें, आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, भारत को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में भागीदारी निभाएं।' मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में चालू वित्त वर्ष के दौरान जुलाई- सितंबर 2019 तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई। विनिर्माण और उपभोक्ता खपत कमजोर पड़ने से आर्थिक वृद्धि की गति लगातार सुस्त पड़ती जा रही है। गिरती आर्थिक वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्ष में देश में जितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया उसका 50 प्रतिशत निवेश केवल पिछले पांच वर्ष में आया है। भारत में आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप परिवेश है। दुनिया के निवेशक पूरी आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश ढांचागत सुविधाओं के क्षेत्र में किया जाना है। हर घर जल पहुंचाने की योजना में 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो करोड़ घरों का निर्माण हो रहा है। किसानों की आय दुगुनी करने का काम जारी है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए वित्तपोषण की बेहतर, सरल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को असंगठित से बदलकर संगठित व्यवस्था में ला रही है। साथ ही इसका आधुनिकीकरण भी कर रही है। आज देश में किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योग जगत सभी की बात सुनने वाली सरकार है।

सरकार उनके सुझाव भी सुनती है और उस पर अमल भी करती है। मोदी ने कहा, 'आप लोगों को याद होगा कि कई सालों से उद्योग जगत, कारोबार करने को सुगम बनाने की मांग करता रहा है। कारोबार सुगमता के मामले में भारत दुनिया के 190 देशों में 142वें स्थान पर था लेकिन पिछले तीन साल में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद हम 63वें स्थान पर आ गए।

'ईज आफ डूइंग बिजनेस' मात्र चार शब्द हैं लेकिन इसे हासिल करने के लिए नियम, कानून, से लेकर प्रणाली तक में बदलाव जैसे कई कदम उठाने पड़ते हैं। आज के प्रतिस्पर्धा भरे माहौल में स्थिति में सुधार लाना और फिर उस नंबर पर टिके रहना बड़ी बात है।' मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आयकर विभाग के कामकाज में भी कई सुधार कर रही है। अब कर अधिकारी और करदाताओं का आमना-सामना नहीं होगा।

बंगाल के बाद केरल ने भी एनपीआर का काम रोका

तिरुवनंतपुरम, 20 दिसंबर (भाषा)।

केरल सरकार ने शुक्रवार को राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) से जुड़ी सभी गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया। यह आदेश लोगों के बीच पैदा इस आशंका के मद्देनजर लिया गया कि विवादित संशोधित नागरिकता कानून (सीएए)के बाद एनपीआर के जरिये अंततः राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ)की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सरकार ने एनपीआर को स्थगित रखने का फैसला किया है क्योंकि आशंका है कि इसके जरिए एनआरसी लागू की जाएगी।

www.readwhere.com

सार्वजनिक सूचना
(प्रपत्र सं. आइएनसी-26)

केंद्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

और

फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
CIN No. : U22229DL2006PTC153385
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एफ-170बी, वेस्टरन अवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062 में स्थित है

.....याचिकाकर्ता/आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र एमसीए) समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 16.12.2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संगम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते की और से
फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 19.12.2019 (वीरेंद्र कुमार शुमार)
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 03188418

सार्वजनिक सूचना
(प्रपत्र सं. आइएनसी-26)

केंद्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

और

सेंचुरी मेटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड
(पूर्व मे सेंचुरी मेटल रीसाइक्लिंग प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
CIN No. : U74899DL1994PLC060453
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : डब्लु-5/16, वेस्टरन अवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062 में स्थित है

.....याचिकाकर्ता/आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र एमसीए) समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 16.12.2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संगम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते की और से
सेंचुरी मेटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 19.12.2019 (मोहन अग्रवाल)
स्थान : नई दिल्ली प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00595232

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 1271/2018
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ..... आवेदक
अनाम
नवीन कुमार एवं अन्य ..... प्रतिवादी

सेवा में,
1. **नवीन कुमार**, निवासी जेई 12, फ्लैट सं. 3, खिड़की एक्सटेंशन एनआर, तिकोना पार्क, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 साथ ही : म.नं. 210, ग्राम एवं पोस्ट बीबीवाला, तहसील एवं जिला : भटिण्डा, पंजाब-151001
2. **श्रीमती आरुषि शर्मा पत्नी श्री नवीन कुमार**, निवासी जेई 12, फ्लैट सं. 3, खिड़की एक्सटेंशन एनआर, तिकोना पार्क, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
साथ ही : म.नं. 210, ग्राम एवं पोस्ट बीबीवाला, तहसील एवं जिला : भटिण्डा, पंजाब-151001
3. **शुभकामना बिल्डटेक प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय** : 197-ई, पॉकेट-IV, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091
साथ ही : **शुभकामना टेक्होम्स**, प्लॉट सं. जीएच-05/बी, सेक्टर-137, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उ.प्र.-201301.
साथ ही : जीएच-02/ए, सेक्टर-1, शुभकामना सिटी, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. साथ ही : ए-102, स्टार हाउस, सेक्टर-4, नोएडा-201301, उ.प्र.

जबकि उपर्युक्त नामधारी आवेदक ने आपके विरुद्ध रु. 82,20,648/- (रुपये बयासी लाख बीस हजार छः सौ अड़तालीस मात्र) की वसूली हेतु एक मुकदमा दायर किया है और जबकि अधिकरण की सन्तुष्टि तक यह प्रदर्शित किया गया है कि आपके पास सामान्य ढंग से सूचना नहीं पहुँचाई जा सकती है। अतः विज्ञापन द्वारा आपको **28.12.2019 को 10.30 बजे प्रातः** एलडी. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जा रहा है।
ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित होने में असफल रहने पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और फैसला किया जायेगा।
14 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित

कोर्ट की मोहर
अधिकरण के आदेशानुसार
कृते रजिस्ट्रार

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 1270/2018
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ..... आवेदक
अनाम
अनुज शर्मा एवं अन्य ..... प्रतिवादी

सेवा में,
1. अनुज शर्मा एवं
2. नेहा शर्मा, दोनों निवासी बी-12, जी-5, भूतल, डीएलएफ कॉलोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005. साथ ही : मकान नं. जी-1/1181, मानसरोवर पार्क, उत्तर-पूर्वी दिल्ली-110032. साथ ही : मकान नं. डी-46, गली नं. 4, ब्लॉक सं. डी, गामड़ी एक्सटेंशन, दिल्ली-110092. साथ ही : बी-1-28, डीएलएफ, दिलशाद कॉलोनी एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005.
3. शुभकामना बिल्डटेक प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय : 197-ई, पॉकेट-IV, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091
साथ ही : शुभमन टेक्होम्स, प्लॉट सं. जीएच-05/बी, सेक्टर-137, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उ.प्र.-201301.
साथ ही : जीएच-02/ए, सेक्टर-1, शुभकामना सिटी, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. साथ ही : ए-102, स्टार हाउस, सेक्टर-4, नोएडा-201301, उ.प्र.

जबकि उपर्युक्त नामधारी आवेदक ने आपके विरुद्ध रु. 39,63,322/- (रुपये उनतालीस लाख तिरेसठ हजार तीन सौ बाईस मात्र) की वसूली हेतु एक मुकदमा दायर किया है और जबकि अधिकरण की सन्तुष्टि तक यह प्रदर्शित किया गया है कि आपके पास सामान्य ढंग से सूचना नहीं पहुँचाई जा सकती है। अतः विज्ञापन द्वारा आपको 28.12.2019 को 10.30 बजे प्रातः एलडी. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जा रहा है।
ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित होने में असफल रहने पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और फैसला किया जायेगा।
14 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित

कोर्ट की मोहर
अधिकरण के आदेशानुसार
कृते रजिस्ट्रार

फॉर्म नंबर INC-26

[कंपनी के लिए उद्देश्य (निगमन) नियम, 2014 नियम 30 के अनुसार]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली के एनसीटी से महाराष्ट्र राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है

केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

और

स्पा सिक्योरिटीज लिमिटेड के मामले में जिस्का पंजीकृत कार्यालय 503, 5 वीं मंजिल, प्रकाश दीप बिल्डिंग, 7 टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली 110001 में स्थित है।

..... याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय को ''**दिल्ली के एनसीटी**'' से ''**महाराष्ट्र राज्य**'' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख नवंबर 30, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फ़ाइल कर एमसीए -21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीक से 14 दिनों के भीतर **बी -2 विंग, दूसरा फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निमन्लिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेंगे:503, 5 वीं मंजिल, प्रकाश दीप बिल्डिंग, 7 टॉलस्टॉय मार्ग नई दिल्ली 110001.

कृति एवं हित
एसपीए सिक्योरिटीज लिमिटेड
प्रबंध निदेशक
तारीख : 20 दिसंबर, 2019
स्थान : दिल्ली
DIN 00254658

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम-1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना।
ओ.ए. सं. 525/2019/डीआरटी-III के मामले में
बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मैसर्स वेद वती टेक्सटाइल एवं अन्य
आवेदक प्रतिवादी
सेवा में,

डी-1	**मैसर्स वेद वती टेक्सटाइल** **अपने प्रोपराइटर के माध्यम से** **श्री विपिन यादव,** **पंजीकृत पता** : दुकान नं. 3, प्लॉट नं. एच 17/4बी, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. एच 17/4बी, तीसरी मंजिल, टैंक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005
डी-2	**श्री विपिन यादव,** निवासी 98, दूसरी मंजिल, सुखदेव विहार, दिल्ली-110025

जबकि उपर्युक्त नाम के आवेदक ने आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और जबकि यह अधिकरण की सन्तुष्टि तक प्रदर्शित है कि आपको सामान्य ढंग से यह सूचना देनी सम्भव नहीं है, अतः विज्ञापन द्वारा आपको इस अधिकरण में 06.03.2020 को 10.30 बजे प्रातः उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई **की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला लिया जायेगा।**
11 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित।

अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

Corporation Bank
(A Premier Public Sector Bank)
अंचल कार्यालय-दिल्ली उत्तर, दूसरा तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नं.: 011-28754615, 28754642,
ईमेल आईडी: DLIREC@CORPBANK.CO.IN वेबसाईट: WWW.CORPBANK.COM

चल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्नामण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कॉर्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारकों एवं गारन्टरों से कॉर्पोरेशन बैंक के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित तिथि को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे वर्णित है।

शाखा का नाम एवं पता	के.जी. मार्ग शाखा, फोन नं. 011-23327927	
ऋणधारकों एवं गारटरों का नामः	**ऋणधारकः** तिरुपति ट्रांसलॉजिस्टिक्स प्रा.लि., प्लॉट 1, ब्लॉक ए 3, दूसरा तल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली **गारन्टरः** 1) श्री कमल किशोर गोयल, ए-10/510, सहारा ग्रेस, एम.जी. रोड, सहारा मॉल के पीछे, गुड़गाँव 2) अनीता गोयल, ए-10/510, सहारा ग्रेस, एम.जी. रोड, सहारा मॉल के पीछे, गुड़गाँव	**बकाया राशि** रु. 209889546.00/- तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 07: अशोक लैलैण्ड ट्रक 3518, निर्माण वर्ष 2011, पंजीकरण सं. HR55M9176, इंजिन नं. YBH679163, चैसिस नं. MB1TLDJB2BAYC6393
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 10.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ, आरक्षित मूल्यः रु. 2,50,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 25,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/tirupati_translogistics_pvt_ltd_2.pdf में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 20.12.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली **कॉर्पोरेशन बैंक**

pnb Housing Finance Limited
पंजी. कार्यालयः 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोनः 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः www.pnbhousing.com
शाखा का पताः यूजा-1, एसजी बीटा टावर, प्लॉट नं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201011 टेलाः 0120-2699117,
ईमेलः ghaziabad@pnbhousing.com, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्नामण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधो के अनुसार उस पर ब्याज के लिये पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारन्टर का नाम	मांग सचूना तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1	00306700001795 एवं 003066600001312 बीओः गाजियाबाद	श्री सुशील कुमार गुप्ता एवं मै. आरएमजी ट्यूब्स प्रा. लि. एवं श्रीमती सुनीता गुप्ता	6.12.2018 एवं 13.5.2019	13.05.2019 को रु. 84,88,978.87 एवं 6.1.2018 को रु. 84,49,263/- कुल रु. 1,69,38,241.90	18.12.2019 (सांकेतिक)	प्लॉट नं. बी-136, दूसरा तल, सेक्टर-7, टीएचए, सूर्या नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)

स्थानः गाजियाबाद, तिथिः 20.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

मांग सूचना

जैसा कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (जिसको कि आगे 'आर्सिल' कहा जाएगा) जो कि एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। आर्सिल कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (जिसको कि आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकृत की गई है एवं जैसे कि ऋणी/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/सह-आवेदको एवं सलाहकारों जैसा कि कॉलम क्रमांक 3 में दर्शाया गया है ने विभिन्न बैंको से ऋण प्राप्त किया था तथा यतः आर्सिल द्वारा कॉलम क्रमांक-2 में वर्णित ऋण खातों से संबंधित वित्तीय आस्तियों का अधिकरण किया गया था। जैसा कि अधिनियम के अनुसार आर्सिल के द्वारा सुरक्षित लेनदार के रूप में दिनांक 28/11/2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के सपठित सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित ऋणियों/सहऋणियों /जमानतदारों को जारी किए मांग सूचना पत्र द्वारा आगामी ब्याज सहित 60 दिवस के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये गए थे लेकिन उनमें से कुछ मांग सूचना पत्र किन्ही कारणों से उन पर तामील नहीं हो सके थे।

क्र सं.	ऋण खाता सं. एवं बैंक का नाम	ऋणी/सह-ऋणियों / जमानतदार के नाम	कुल बकाया राशि (रू. में) बकाया दिनांक
1.	461FSP42450670 बजाज फाईनेंन्स लिमिटेड	मैसर्स एचएमक्यू ट्रेडिंग कम्पनी (जरिये इसके प्रोपराईटर श्री जावेद कुरैशी) श्री मो. अफजल कुरैशी/ श्री मो. शाजिद कुरैशी/ श्री मो. दानिश कुरैशी/ श्री मो. शाजिब कुरैशी	रू. 53,84,208.67 दिनांक 28/11/2019 तक

संपार्श्विक सम्पत्ति का पता : अफजल कुरैशी, जावेद कुरैशी, दानिश कुरैशी, साजिद कुरैशी, शाजिब कुरैशी के नाम से कॉमर्शियल यूनिट नं./ स्पेस नं. 7बी, (क्षेत्रफल -27.87 वर्ग मीटर), 7 जी (क्षेत्रफल - 22.30 वर्ग मीटर), 7एफ (क्षेत्रफल-20.07 वर्ग मीटर) एवं 7एस (क्षेत्रफल-20.07 वर्ग मीटर) कुल क्षेत्रफल 90.31 वर्ग मीटर जो ब्लॉक नं. एस-4, (शू मार्केट के नाम से ज्ञात), संजय प्लेस कॉमर्शियल स्कीम, हरि पर्वत वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित। जिसकी चारों ओर की सीमाएं जैसा की डीड में दर्शाया गया है- पूर्व- गलियारा, पश्चिम- यूनिट नं.- 10, उत्तर- यूनिट नं.-8, दक्षिण- यूनिट नं.- 6

अतः कॉलम क्रमांक-3 में वर्णित ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/सह-आवेदको एवं सलाहकारों को सूचना पत्र जारी किया जाता है कि कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित ऋणियों/सह-ऋणियों/जमानतदारों/सह-आवेदको एवं सलाहकारों को कुल राशि का भुगतान इस सूचना पत्र के प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर करने को कहा जाता है, जैसा कि कॉलम नं. 4 में वर्णित दर्शाई गई दिनांक के अनुसार ऋण खातों के सम्बंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कुल राशि मय ब्याज एवं अन्य शुल्क जो कि भुगतान की जाने वाली तिथि तक अदा किए जाने हैं, का भुगतान नहीं किया जाता है तो आर्सिल द्वारा उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों पर सुरक्षित हित प्रवर्तन नियम के अनुसार उचित एवं आवश्यक कारवाई की जाएगी व ली गई सभी सुविधाए रोक ली जाएगी तथा अधिनियम में निर्देशित किये गये नियमों के तहत भी उचित कदम उठाए जाएंगे।

हस्ताक्षरः
दिनांकः 21.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः आगरा असेट रिकन्सट्रक्शन कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड

Arcil Premier ARC
असेट रीकन्सट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN NO:-U65999MH2002PLC134884 www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10 वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (प.), मुंबई-400028, फोनः +91 2266581300
शाखा पताः यूनिट नं. 304-305 सेक्टर, रूपा सोलिटेयर बिल्डिंग नं. -ए- मिलेनियम बिजनेस पार्क, महापे, नवी मुम्बई- 400710, महाराष्ट्र, फोनः +91 22 61563838

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	TECHNOPAK ADVISORS PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	28th September, 1994
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74140DL1994PTC061818
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	S-30, 2nd Floor, Uppals South End, Sohna Road, Gurgaon, Haryana ,122001
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	21st August, 2019 (order received by IRP on 23rd August, 2019)
7.	Date of invitation of expression of interest	21st December, 2019
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code can be obtained from: E mail at irpdm27@gmail.com, or cirp.technopak@gmail.com;
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Available at the website of IBBI (www.ibbi.gov.in) or can be sought by email at irpdm27@gmail.com, cirp.technopak@gmail.com;
10.	Last date for receipt of expression of interest	5 Jan 2020
11.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	15 Jan 2020
12.	Last date for submission of resolution plans	20 Jan 2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	30 Jan 2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	20 Jan 2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The information can be sought from the Resolution Professional by email at irpdm27@gmail.com, or cirp.technopak@gmail.com; The Said information shall be shared to prospective Resolution Applicant after receipt of confidentiality undertaking u/s 25(2) of the IBC
16.	Last date for submission of resolution plans	19 Feb 2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In a sealed Envelope at the office address of RP and by email at irpdm27@gmail.com, or cirp.technopak@gmail.com
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	09, March 2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Name : Deepak Maheshwari Reg. No. : IBBI/IPA-002/IP- N00531/2017-2018/11594
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Address : S-30 ,2nd Floor, Uppals South End, Sohna Road,Gurgaon,Haryana,122001 Email id irpdm27@gmail.com, or cirp.technopak@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Address : S-30 ,2nd Floor, Uppals South End, Sohna Road,Gurgaon,Haryana,122001 Email id irpdm27@gmail.com, or cirp.technopak@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Available with Resolution Professional
23.	Date of publication of Form G	21 Dec 2019

Note:
1) The timelines mentioned above are subject to the grand of extension by Hon'ble NCLT for completion of CIRP, as 180 days of CIRP in the instant matter are expiring on 17.20.2019. The CoC had resolved, in its meeting held on 19.12.2019, to seek the approval of Hon'ble NCLT for extension of time for completion of CIRP and accordingly instructed to IRP to file the application in this regards. The application is being filed simultaneously. All the dates mentioned above are subject to grand of extension by Hon'ble NCLT.

Deepak Maheshwari
Resolution Professional
Registration Number IBBI/IPA-0021P- N00531/2017-2018/11594
Registered Address S-30 ,2nd Floor, Uppals South End, Sohna Road,Gurgaon,Haryana,122001
Date 21.12.2019
Place: Delhi
For TECHNOPAK ADVISORS PRIVATE LIMITED

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN-L65910KL1992PLC006623,IVM70A (old), W638A(New), Manappuram House,Valapad, Thrissur, Kerala - 680 567.

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.01.2020 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

दिल्ली, दिल्ली, द्वारका सेक्टर 7 113760700010302, 0979, 0987, 0988, 1021, 1038, 1039, 1056, 1068, 1078, 1086, 1087, 1088, 1095, 1097, 1100, 1101, 1104, 1112, 1136, 1137, 1138, 1155, 1159, 1162, 113760730003964, गीता कॉलोनी 107590700020512, 1280, 1389, 1453, 1514, 1515, 1520, 1527, 1528, 1536, 1556, 1560, 1575, 1583, 1586, 1595, 1597, 1602, 1605, 1611, 1612, 1614, 1625, 1642, 1644, 1646, 1658, 1662, 1663, 1668, 1669, 1674, 1675, 1678, 1681, 1682, 1683, 1686, 1690, 1696, 1698, 1702, 1716, 107590730004374, 4375, 4816, 4828, 4839, 4841, 4843, 4970, 4978, 4979, 4980, 5017, 5027, 5032, 5033, कड़कड़डूमा 102760700009570, 9723, 102760700010133, 0136, 0140, 0143, 0147, 0148, 0158, 0159, 0160, 0168, 0172, 0191, 0197, 0198, 0222, 102760730004585, 4671, 4738, 4739, कालकाजी 100870700056218, 6519, 6591, 6755, 7522, 7892, 8022, 8104, 8194, 8236, 8243, 8274, 8461, 8509, 8557, 8639, 9800, 9870, 9895, 9902, 9938, 9955, 9964, 9978, 9988, 9989, 100870700060005, 0019, 0095, 0096, 0108, 0112, 0115, 0116, 0120, 0127, 0130, 0139, 0144, 0159, 0172, 0175, 0177, 0187, 0195, 0203, 0207, 0213, 0216, 0218, 0222, 0252, 0270, 0287, 0292, 0303, 0335, 0344, 0347, 0366, 0368, 0375, 0380, 0387, 0395, 0420, 0422, 0428, 0429, 0442, 0445, 0446, 0449, 0456, 0461, 0464, 0466, 0468, 0469, 0471, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0485, 0488, 0492, 0502, 0504, 0508, 0509, 0515, 0517, 0525, 0547, 0548, 100870730014455, 4456, 4482, 4774, 4800, 4829, 4864, 4866, 4936, 4969, 5121, 5128, 5129, 5146, 5166, 5275, 5280, 5282, 5356, 5357, 5394, क्रिष्णन नगर 108530700015485, 5498, 5499, 5544, 5664, 5665, 5931, 6439, 6443, 6455, 6456, 6467, 6498, 108530730012452, 2453, लक्ष्मी नगर 100890700052536, 2780, 4193, 4389, 5470, 5712, 5870, 5960, 6002, 7073, 7074, 7075, 7076, 7080, 7088, 7089, 7153, 7161, 7162, 7163, 7169, 7227, 7246, 7247, 7264, 7321, 7338, 7339, 7347, 7366, 7370, 7374, 7382, 7383, 7384, 7415, 7445, 7477, 7484, 7486, 7489, 7496, 7508, 7511, 7513, 7515, 7516, 7522, 7530, 7531, 7532, 7533, 7536, 7546, 7547, 7548, 7552, 7560, 7569, 7577, 7587,

इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

प्रगति मैदान में शुक्रवार को तीन दिवसीय ईवी एक्स्पो 2019 का उद्घाटन हुआ। इसमें पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी दर्शकों के सामने पेश किया गया। इस एक्सपो के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सुरक्षा कारणों से समारोह में तो नहीं आ पाए परंतु उन्होंने अपना संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में ईंधन के मुकाबले इलेक्ट्रिक काफी सस्ता है। इसलिए भविष्य में ई-वाहन एक अच्छा विकल्प साबित होगा जो प्रदूषण को घटाने के साथ-साथ भारतीय ई-वाहन उद्योग को आगे लाएगा।

इस मौके पर अध्यक्ष ई-रिक्शा समिति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व ईवी एक्सपो के संस्थापक निदेशक अनुज शर्मा ने कहा कि देश भर में वाहनों के धुएं से निकलने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में कदम बढ़ाना अब बेहद जरूरी हो गया है और हम इस इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदशनी के जरिए रोजगार के नए साधनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी कारगर साबित होंगे।

प्रदर्शन में हिस्सा ले रही ई-वाहन निर्माता भारतीय कंपनी नान्या ऑटो एक नई तकनीक एल5 किट के साथ आई है जिससे मौजूद ऑटो इलेक्ट्रिक द्वारा चलाए जा सकेंगे।

एअर इंडिया को कोष जुटाने के लिए 500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी

मुंबई, 20 दिसंबर (भाषा)।

सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एअर इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है। इससे एअरलाइन को परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ताजा कोष हासिल करने में मदद मिलेगी।

घाटे में चल रही एअर इंडिया ने पिछले सप्ताह मुख्य रूप से परिचालन जरूरतों को पूरा के लिए कोष जुटाने को लेकर 2,400 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी थी। एअरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने एअर इंडिया को 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है। यह एअरलाइन को बुधवार को दिया गया। उसने कहा कि सरकारी गारंटी से एअरलाइन को कुछ कोष हासिल करने में मदद मिलेगी। एअर इंडिया बैंकों के साथ पहले से कोष को लेकर बातचीत कर रही है। यह गारंटी 7,600 करोड़ रुपए की गारंटी का हिस्सा है जो चालू वित्त वर्ष में एअरलाइन को उपलब्ध कराई जाएगी।

अस्थायी अनुमान के अनुसार एअर इंडिया को 2018-19 में 8,556.35 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पिछले महीने नागर विमान राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा था कि अगर एअर इंडिया का निजीकरण नहीं हुआ तो उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ जाएगा।

'एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक प्रणाली (एआइएसएएम) ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के साथ सरकार की एअर इंडिया में 100 फीसद हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 100 फीसद रणनीतिक बिक्री के लिए रुचि पत्र जारी कर सकती है।

फिच ने भी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाया

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा)।

फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान पांच फीसद से घटा कर शुक्रवार को 4.6 फीसद कर दिया। उसका मानना है कि इस समय कंपनियों और उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास कम हो रहा है। हालांकि एजंसी ने देश की दीर्घकालिक वित्तीय साख 'बीबीबी' के स्तर पर बरकार रखी है और आगे के आर्थिक परिदृश्य को स्थिर बताया है।

वैसे फिच का अनुमान है कि साथ 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 5.6 फीसद और 2021-22 में 6.5 फीसद तक जा सकती है।

रेटिग एजंसी की राय में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में ढील तथा अवसंरचनात्मक उपायों से वृद्धि दर में क्रमिक सुधार होगा।

5.22 लाख करोड़ की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को हरी झंडी

नई दिल्ली , 20 दिसंबर (भाषा)।

दूरसंचार विभाग के सर्वोच्च नीति नियामक निकाय डिजिटल संचार आयोग ने 5.22 लाख करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को शुक्रवार को मंजूरी दी। इससे देश में 5जी सेवाओं का रास्ता बनेगा। सूत्रों के मुताबिक, डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने यहां आयोजित एक बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी की योजना को मंजरी दी।

सूचकांक, निफ्टी रेकार्ड ऊंचाई पर

मुंबई, 20 दिसंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी रही और बंबई शेयर बाजार का सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी मामूली बढ़त के साथ रेकार्ड ऊंचाई पर बंद हुए। आइसीआइसीआइ बैंक, एसबीआइ ओर एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों में तेजी से बाजार में बढ़त रही। यह लगातार चौथा सत्र है जब बाजार रेकार्ड ऊंचाई पर बंद हुए।

कारोबारियों के अनुसार रेटिग एजंसी फिच के 2019-20 के लिए देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर अनुमान कम किए जाने के बाद वृहत आर्थिक चिंता से लाभ हल्का रहा। तीस शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 7.62 अंक यानी 0.02 फीसद की मामूली बढ़त के साथ 41,681.54 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 41,809.96 अंक तक चला गया था।

इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12.10 अंक यानी 0.09 फीसद बढ़ कर नई ऊंचाई 12,271.80 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 12,293.90 अंक के उच्च स्तर तक गया।

सूचकांक के शेयरों में टाटा स्टील को सर्वाधिक लाभ हुआ। इसमें 3.23 फीसद की तेजी आई। उसके बाद एसबीआइ, येस बैंक, हीरो मोटो कार्प, आइसीआइसीआइ बैंक तथा भारती एअरटेल का स्थान रहा।

वहीं दूसरी तरफ वेदांता को सर्वाधिक नुकसान हुआ। कंपनी का शेयर 3.45 फीसद टूटा। कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा भी नुकसान में रहे।

कारोबारियों के अनुसार फिच रेटिंग द्वारा व्यापार और उपभोक्ता भरोसा कमजोर होने के आधार पर 2019-20 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 4.6 फीसद किए जाने के बाद निवेशकों ने बिकवाली की।

सार्वजनिक सूचना
(प्रपत्र सं. आइएनसी-26)

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और

संजीवनी नॉन फेरस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
CIN No.: U70109DL2006PTC154419

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एफ-170बी, वेस्टरन अवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062 में स्थित है
.....याचिकाकर्ता/आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र एमसीए) समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 16.12.2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा ।

कृते की और से
संजीवनी नॉन फेरस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(वीरेंद्र कुमार शुमार)
निदेशक
डीआईएन : 03188418
तिथि : 19.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना
(प्रपत्र सं. आइएनसी-26)

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और

रामायणा पॉलिमर प्राईवेट लिमिटेड
CIN No.: U25517DL2006PTC153382

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एफ-170बी, वेस्टरन अवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062 में स्थित है
.....याचिकाकर्ता/आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र एमसीए) समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 16.12.2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते की और से
रामायणा पॉलिमर प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(वीरेंद्र कुमार शुमार)
निदेशक
डीआईएन : 03188418
तिथि : 19.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना
(प्रपत्र सं. आइएनसी-26)

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और

ग्रांड मेटल रिसाइक्लिंग प्राईवेट लिमिटेड
CIN No. : U00331DL2005PTC139891

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एफ-170बी, वेस्टरन अवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062 में स्थित है
.....याचिकाकर्ता/आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र एमसीए) समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 16.12.2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते की और से
ग्रांड मेटल रिसाइक्लिंग प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(मोहन अग्रवाल)
निदेशक
डीआईएन : 00595232
तिथि : 19.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

EXIDE Life Insurance

Our Office is Shifting

Notice is hereby given pursuant to IRDAI Cricular No. 041 IRDA/BOO/ Dec - 06 to the policyholders that the sales office of Exide Life Insurance Company Limited situated at :

Ground Floor, Hotel Rock Sea, The Mall Shimla, Himachal Pradesh - 171 001

will be shifted to:

3rd Floor, Chotta Shimla Commercial Complex, Circular Road, Knollswood, Chotta Shimla, Shimla, Himachal Pradesh - 171 002

Landmark – Near Secretariat

w.e.f. February 08, 2020

For any assistance Call :
Toll Free : 1800 419 8228
Email:
care@exidelife.in

Exide Life Insurance Company Limited IRDAI Registration Number: 114, CIN: U66010KA2000PLC028273, Registered Office: 3rd Floor, JP Techno Park, No.3/1, Millers Road, Bengaluru - 560 001; Toll Free: 1800 419 8228; Visit: exidelife.in.

ब्रिज एण्ड रूफ कॉ (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No.: U27310WB1920GOI003601

एनआइटी न. एमओ/51180/एनआइटी/सिविल कार्य/एससी/01

कार्य "तलोजा, महाराष्ट्र में अडानी लॉजिस्टिक्स लि. के प्रस्तावित इंलेड कंटेनर डिपो (आईसीडी) के निर्माण" से संबंधित सिविल कार्य" के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी उप-ठेकेदारों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट http://www.bridgeroof.co.in पर जाएं।
शुद्धिपत्र/संशोधन, यदि कोई होगा, केवल कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा।
निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04.01.2020 (15.00 बजे तक) है।
प्रस्ताव खोलने की तिथि: 04.01.2020 को 16.00 बजे

एम एस टी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) MSTC LIMITED

जीवन विकास भवन, 30/31A, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
दूरभाष : 23214201, 23213945, फैक्स : 23216713

ई-नीलामी कार्यक्रम

एमएसटीसी द्वारा इंडस टावर्स की ओर से ई-नीलामी संख्या- निम्न स्थान के लिए हापुड़-29699, दिल्ली – 29698, लखनऊ – 29700 के माध्यम से डीसी और डीसी कनवर्टर (मॉड्यूल को छोड़कर), पीआईयू बैटरी चार्जर, थर्मल कोटिंग, अग्नि शामक, एमसीसीबी बॉक्स के साथ, वी आर्थिंग स्ट्रिप, डीसीडीबी, सीएटी-ए, डीजी- 10 केवीए –02 नग, 15 केवीए – 61 नग, 25 केवीए –10 नग, 40 केवीए –03 नग, एसी (0.9 टीआर- 2 नग, 2.5 टीआर- 22 नग)। टावर इत्यादि के निपटान के लिए 23.12.19 को ई-नीलामी का आयोजन करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.mstcecommerce.com / www.mstcindia.co.in पर जाएं।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड
(CIN: L15202DL1959PLC003786)
पंजी. कार्यालय: 100/101, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001
ई-मेल: investor@in.nestle.com
वेबसाइट: www.nestle.in
फोन: 011-23418891, फैक्स: 011-23415130

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर गुरूवार, 13 फरवरी, 2020 को आयोजित हाने वाली प्रस्तावित बोर्ड की बैठक में विचार किया जायेगा।

निवेशक वेबसाइट www.nestle.in या www.bseindia.com भी देख सकते हैं।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड
बी. मुरली
निर्देशक-कानूनी एवं कम्पनी सचिव
स्थान: गुरुग्राम
तिथि: 20.12.2019

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (एनडब्ल्यू) -II
एच-ब्लॉक, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110089
फोन: 27851040 (ईमेल:eenw2.djb@gmail.com)
प्रैस एनआईटी सं. 46 (2019-20)
प्रैस निविदा सूचना

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	धरोहर राशि/निविदा शुल्क	निविदा जारी की तिथि/आई.डी.सं.	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (एनडब्ल्यू)-II के अंतर्गत एसी-07, बवाना कस्टीच्युएन्सी में एनडीपीएल कार्यालय के निकट फिरनी रोड से अग्रवाल स्वीट, पहलादपुर गाँव तक जलापूर्ति प्रणाली का विस्तार	रु. 3263680/-	रु. 65,300/- रु. 500/-	18.12.2019 2019_DJB_185886_1	30.12.2019 के 3.00 बजे अप. तक।
2.	ईई (एनडब्ल्यू)-II के अंतर्गत एसी-01, नरेला में मामूरपुर कृष्णा नगर कालोनी में डीआई वाटर लाइन का पी/एल	रु. 3284900/-	रु. 65,700/- रु. 500/-	18.12.2019 2019_DJB_185890_1	30.12.2019 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/683
कार्यपालक अभियंता (एनडब्ल्यू) II

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (एसडब्ल्यू) II
द्वारका के निकट, डब्ल्यूटीपी, द्वारका, नई दिल्ली-110043
एनआईटी सं. 39 (19-20)
मद सं. 01 एवं 02

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	ईएमडी एवं निविदा शुल्क	पूर्णता अवधि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	विजवासन कंस्टीच्युएन्सी में ईई (एसडब्ल्यू)-II के अंतर्गत गली न. 11 में 5 नग ट्यूवेल्स (ट्यूवेल्स सं. 73) ए ब्लॉक, गली नं. 04, के ब्लॉक, प्रभु वाला बोरे, सीआईएसएफ कैम्प के सामने (ट्यूबवेल नं. 71), निकट प्रकाशसीटीआर, मकान ए-ब्लॉक तथा के-ब्लॉक, डीडीए पार्क, महिपालपुर एक्स्टें में ट्यूबवेल्स का री-बोरिंग। (2019_DJB_185977_1)	रु. 3827051/-	रु. 76600/- एवं रु. 500/-	120 दिन	19.12.2019, 5.00 बजे अप. से	3.1.2020, 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी)
हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/686
कार्यपालक अभियंता (एसडब्ल्यू) II

प्रतिशत दर ई-निविदा आमंत्रण
प्रैस सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालक अभियंता (सी), डाक सिविल प्रभाग दिल्ली द्वारा निम्न कार्यों के लिए ऑन लाइन प्रतिशत दर (सीपी डब्ल्यूडी-7) मिश्रित ई-निविदाऐं आमंत्रित हैं:
1. एनआईटी सं. एनआईटी/ईईपीसीएनडी/2019-20/98 (2रा कॉल), कार्य का नामः कृष्णा नगर प्रधान डाकघर भवन का मरम्मत तथा रखरखाव। अनुमानित लागतः रु. 25,74,712/-; धरोहर राशिः रु. 51,494/- एवं पूर्णता अवधि- 3 (तीन) माह। बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 30.12.2019 के 15.00 बजे तक है। बोली प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाईट **www.dopcivil.euniwizard.com** से प्राप्त की जा सकती है।

NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED
CIN: L45101DL1996PLC315772

Bids are invited for advertisement on DND Flyway.
For more information: www.ntbcl.com
Last Date : 30th December, 2019

यूनियन बैंक Union Bank of India

पटेल नगर दिल्ली शाखा
5/2 ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008

यह सूचना श्री संजय चौधरी, पुत्र स्व. श्री तारा चंद, निवासी 3रा तल, 33/2, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008 को दी जाती है। श्री संजय चौधरी अपनी पत्नी श्रीमती भावना नैन के साथ सम्पत्ति सं. 3रा तल, 33/2, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008 के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर शाखा से प्राप्त की गई आवास ऋण के सह-ऋणधारक तथा सह-स्वामी हैं। ऋणखाता का पुनर्भुगतान कर दिया गया है तथा उसे बंद कर दिया गया है। अब, श्रीमती भावना नैन, पत्नी श्री संजय चौधरी जो उपरोक्त सम्पत्ति के सह-स्वामी है, ने बैंक से सम्पत्ति के कागजातों को देने के लिये सम्पर्क किया है। अतएव, एतद्द्वारा श्री संजय चौधरी को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उक्त कागजातों को रिलीज करने के प्रति कोई आपत्ति हो, तो 15 दिनों के भीतर शाखा में सम्पर्क करें अन्यथा सम्पत्ति के कागज/मूल टाइटल डीड्स श्रीमती भावना नैन को जारी कर दिया जायेगा।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK

मथुरा मुख्य शाखा
1429, आगरा रोड, तिलक द्वार, मथुरा-281001

[देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों/मार्टगैजरों/गारन्टरों को उक्त को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/मार्टगैजर/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के साथ यहाँ नीचे वर्णित राशि के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक शाखाः मथुरा, मुख्य शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः मै. दीप ब्ल्यू इंडिया, प्रॉप्राईटरः श्रीमती बृजेश कुमारी गौतम, निवासीः 365, जनरल गंज, मथुरा-281001 (यहाँ के बाद ''ऋणधारक'' वर्णित) गारन्टर (रों): 1) श्री तपेश गौतम, पुत्र श्री तरुणि कुमार गौतम 2) श्री तपोज गौतम, पुत्र श्री तरुणि कुमार गौतम, निवासीः 365, जनरल गंज, मथुरा-281001	32, सिविल लाइन्स, तहसील एवं जिला मथुरा में प्लॉट माप 863.43 वर्ग मी. में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः फुट पाथ, दक्षिणः सरदार बलवंत सिंह की भूमि, पूर्वः भगवती प्रसाद का प्लॉट, पश्चिमः एच.पी. सक्सेना का प्लॉट	30.9.2019 को रु. 35,35,701/- (रुपये पैंतीस लाख पैंतीस हजार सात सौ एक मात्र) के साथ अनुबंधित दरों और रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि कब्जा के अनुसार बकाया राशि रु. 3647428/- (रुपये छत्तीस लाख सैंतालिस हजार चार सौ अटठ्ाईस मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक देय अनुबंधित दरों पर आगे का ब्याज एवं चार्जेज आदि	मांग सूचना तिथि 4.10.2019 कब्जा की तिथि 18.12.2019

तिथि- 21.12.2019, स्थान- मथुरा
प्राधिकारी अधिकारी, इंडियन ओवरसीज, बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक
पंजाबी बाग शाखा (0687), 1/52, नार्थ एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [(नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14.10.2019 जारी कर ऋणधारकों मै. डॉल्फिन एक्वा क्योर प्रा. लि., ए-31/3, 1ला तल, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110064 यहां के बाद ऋणधारक/गारन्टर/ मार्टगैजर वर्णित, श्री संदीप भाम्बरी, श्री राहुल भाम्बरी, श्रीमती प्रभा भाम्बरी, श्री वाईपी भाम्बरी, सभी निवासीः ए 1/133, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 14.10.2019 को रु. 1,44,35,730/- (रुपये एक करोड़ चौआलिस लाख पैंतीस हजार सात सौ तीस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 17 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद की गई वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर रु. 1,44,35,730/- (रुपये एक करोड़ चौआलिस लाख पैंतीस हजार सात सौ तीस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 1,47,75,194/- (रुपये एक करोड़ सैंतालिस लाख पचहत्तर हजार एक सौ चौड़ानवे मात्र) है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1	श्रीमती प्रभा भाम्बरी, पत्नी श्री वाई.डी. भाम्बरी के नाम में फ्लैट नं. ए-703, मधुर जीवन अपार्टमेन्ट, मदर डेयरी सीजीएचएस, प्लॉट नं. 34, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, निर्मित क्षेत्र का माप 1507 वर्ग फीट में आवासीय सम्पत्ति से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
2	मै. डॉल्फिन एक्वा क्योर प्रा. लि. के नाम में प्लॉट नं. 209, सेक्टर 16, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया बहादुरगढ़, हरियाणा, माप 450.00 वर्ग मी. में आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी (मूल्यांकन रिपोर्ट तिथि 22.2.2018 के अनुसार), उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः 15 मी. चौड़ा रोड, पूर्वः प्लॉट नं. 210, पश्चिमः प्लॉट नं. 208

तिथिः 17.12.2019
स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी,
इंडियन ओवरसीज बैंक

सार्वजनिक उद्घोषणा
कॉर्पोरेट ऋणधारक के मामले में
एएनजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(परिसमापन के अधीन)
विषयः शेयरधारकों की सूची

भारत दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 31 के अनुपालन में एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि एनएनजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के शेयरधारकों की स

हाफिज सईद के खिलाफ लाहौर में सुनवाई शुरू

लाहौर, 20 दिसंबर (भाषा)।

मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड़यंत्रकारी हाफिज सईद के खिलाफ बहुप्रतीक्षित सुनवाई यहां शुक्रवार को शुरू हुई और आतंकवाद निरोधक अदालत में एक गवाह ने उसके खिलाफ गवाही दी। इस अदालत ने उसे आतंकी वित्तपोषण के एक अन्य मामले में भी दोषी पाया है। सईद पर अदालती कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव है।

लाहौर में आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने 11 दिसंबर को सईद और उसके तीन प्रमुख सहयोगियों हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल को आतंकी वित्तपोषण के आरोप में दोषी ठहराया था।

अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद बताया, 'पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने आतंकवाद निरोधक अदालत में एक गवाह को प्रस्तुत किया, जिसने आतंकी वित्तपोषण में सईद और उसके तीन साथियों के खिलाफ गवाही दी।' सईद और उसके साथियों को सख्त सुरक्षा के बीच एटीसी में लाया गया और सुनवाई के दौरान पत्रकारों को अदालत में आने की इजाजत नहीं दी गई।

अदालत के अधिकारी ने कहा कि सईद को एक अन्य आतंकी वित्तपोषण मामले में दोषी पाया गया है। एटीसी न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने सईद पर आरोप तय किए और अभियोजन पक्ष को इस मामले में गवाह पेश करने के लिए कहा। इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार को होनी है।

वर्जीनिया की कैमिल बनीं मिस अमेरिका

अंकासविले (अमेरिका), 20 दिसंबर (एपी)।

अमेरिका में 99वें मिस अमेरिका प्रतिस्पर्धा आम सौंदर्य प्रतियोगिता से बिल्कुल अलग नजर आया। वर्जीनिया की बायोकेमिस्ट कैमिल स्क्रियर ने प्रयोगशाला वाला कोट पहनकर हाइड्रोजन से जुड़ा एक प्रयोग कर मंच पर दिखाया, जिसके कुछ मिनट बाद वह मिस अमेरिका चुनी गईं। स्क्रियर ने कहा कि वह 'वुमन ऑफ साइंस' बन कर मिस अमेरिका के ताज से जुड़ी घिसी-पिटी सोच को तोड़ना चाहती थीं।

लगातार दूसरा वर्ष ऐसा था जब इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाली महिलाओं को इस आधार पर नहीं चुना गया कि वह तैराकी वाली पोशाक या शाम वाले गाउन में कैसी दिखती हैं। इस प्रतियोगिता को जीतने वाली 50,000 अमेरिकी डॉलर की छात्रवृत्ति और मिस अमेरिका की 'नौकरी' मिलेगी। इस पद के लिए उन्हें एक साल तक मेहनताना मिलेगा ताकि वह इस पद का इस्तेमाल समाज पर प्रभाव डालने के लिए कर सकें।

सात पाक शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र दिया

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री एम एल मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने गुजरात के कच्छ में सात पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे हैं। जहाजरानी मंत्री मंडाविया ने शुक्रवार को गुजरात के मोरबी और कच्छ जिलों में शरण लेने वाले पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात की।

मंडाविया ने एक समाचार एजंसी से कहा, 'संशोधित नागरिकता अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा।' सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून को संसद द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के बाद 13 दिसंबर को अधिसूचित कर दिया था। इस कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इन अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए सभी प्रयास कर रही है, जिन्होंने धार्मिक प्रताड़ना झेली है। मंडाविया के साथ मौजूद एक अधिकारी ने कहा कि इलाके में शरणार्थियों के बीच जश्न का माहौल है।

अधिकारी ने कहा, 'लोगों ने एकदूसरे को मिठाई खिलाकर, पटाखे फोड़कर और एक-दूसरे पर रंग डालकर एक दूसरे का अभिवादन किया।

बहुसंख्यकों ने संयम खोया तो हो सकती है गोधरा जैसी स्थिति : कर्नाटक मंत्री

बंगलुरु, 20 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक के मंत्री सी टी रवि का एक विवादित वीडियो शुक्रवार को सामने आया जिसमें वह कथित तौर पर यह कहते हुए सुने गए कि यदि बहुसंख्यकों ने अपना संयम खोया तो गोधरा जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और इसे भड़काऊ करार दिया है। कांग्रेस की मांग है कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश गुंडू राव ने ट्वीट किया, 'सी टी रवि द्वारा सबसे अधिक भड़काऊ धमकी दी गई। पुलिस को उनके खिलाफ एक मामला दर्ज करना चाहिए और उन्हें ऐहतियातन हिरासत में लेना चाहिए।' उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्हें ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है।

पर्यटन मंत्री रवि ने यह बयान कथित रूप से संवाददाताओं द्वारा बुधवार को कांग्रेस विधायक यूटी कादर के हाल के एक बयान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

वर्धमान आयरन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः आर्य समाज मंदिर के सामने, देवा राम पार्क के निकट, त्रिनगर, नई दिल्ली-110035 में है, के मामले में।

.....**आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 9 दिसम्बर, 2019 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा/ असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

तिथिः 20.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

कृते एवं के लिये
वर्धमान आयरन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड

हस्ता./-
(रोहित गर्ग)
निदेशक (DIN: 02738223)
निवासीः 7एफ-1, न्यू मॉडल कॉलोनी, अम्बाला 134003

हस्ता./-
(संभव गर्ग)
निदेशक (DIN: 06765529)
निवासीः 7एफ-1, न्यू मॉडल कॉलोनी, अम्बाला 134003

प्रपत्र आईएनसी-25ए
सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. शार्प क्रेडिट्स लिमिटेड (कम्पनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-72, लोक विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 में है, के मामले में

---आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 20 दिसम्बर, 2019 को 11 बजे पूर्वा. में आयोजित वार्षिक साधारण सभा/ असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (क्षेत्रीय निदेशक का सम्पूर्ण पता दें) के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते एवं के लिये, आवेदक
शार्प क्रेडिट्स लिमिटेड
सुभाष गर्ग (DIN: 00303657)
ए-72, लोक विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110035

तिथिः 21.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

एवरी इंडिया लिमिटेड
सीआईएनः U29196HR1947PLC043478
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट संख्या 50-59, सेक्टर-25 बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, 121004, भारत
दूरभाष संख्याः +91-129 4094400; फैक्सः +91-129 4094473
ई-मेलः kgambhir@awtx-itw.com वेबसाइटः www.averyweigh-tronix.com

सूचना

माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) चंडीगढ़ बेंच ने 18 दिसम्बर 2019 दिनांकित अपने आदेश के हवाले से साल्टर इंडिया लिमिटेड एवं एवरी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") तथा उनके संबद्ध अंशधारकों एवं लेनदारों के मध्य व्यवस्था की योजना को अनुमोदित किया है, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त, कंपनी की पूँजी में कमी ("पूँजी में कमी") सम्मिलित है। कंपनी ने उन पात्र सदस्यों का नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से 27.12.2019 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है जिनके अंश कम किये जायेंगे तथा जिन्हें पूँजी में कमी के सन्दर्भ में कंपनी द्वारा प्रतिफल का भुगतान किया जायेगा।

डिमैटेरियलाइज्ड रूप में अंश रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को लिखकर अपना पता अद्यतनित करा लें। भौतिक रूप में अंश रखने वाले सदस्य, इसके हेतु, कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् सी. बी. मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पी-22 बॉंदेल रोड, कोलकाता-700019 लिखें।

कृते **एवरी इंडिया लिमिटेड**
रोहित गुप्ता
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थानः हरियाणा
दिनांकः 20 दिसम्बर 2019

POLYCAB
पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में 'पॉलीकैब वायर्स लिमिटेड')
सीआईएनः L31300DL1996PLC266483
रजिस्टर्ड ऑफिसः ई-554 ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048
कॉर्पोरेट ऑफिसः पॉलीकैब हाउस, 771 मुगल लेन, माहीम (प), मुंबई-400016
फ़ोन नं.: +91 22 2432 7070; **फैक्स नं.:** +91 22 2432 7075
वेबसाइटः www.polycab.com; **ईमेल आईडीः** shares@polycab.com

सदस्यों को डाक द्वारा मतदान (पोस्टल बैलॉट) की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनीज़ (मैनेजमेंट व एडमिनिस्ट्रेशन) नियम 2014 (प्रभावी समय पर लागू किन्हीं वैधानिक संशोधन (नों) या उनके पुनः विनियम सहित), सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग की बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) रेग्युलेशन 2015 तथा अन्य लागू कानूनों व विनियमों के साथ पठित कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 110 के अनुक्रम में डाक द्वारा मतदान सूचना दिनांक 11 दिसंबर 2019 में निर्धारित विशेष संकल्प को मंजूर करने के लिए ई-वोटिंग सहित डाक द्वारा मतदान के जरिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की स्वीकृति मांगी जा रही है.

कंपनी के सभी सदस्यों को जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज़ द्वारा निर्धारित तिथि यानी शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019 के अनुसार बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में मौजूद थे, को अ) जिन सदस्यों के ईमेल आईडीज़ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के यहां रजिस्टर्ड हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल और ब) जिनके ईमेल आईडीज़ रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन सदस्यों को अपना पता व डाक टिकट युक्त बिजनेस जवाबी लिफाफे के साथ, भौतिक माध्यम से डाक मतदान सूचना को स्पष्टीकरण विवरणी तथा डाक मतदान फॉर्म के प्रेषण का काम शुक्रवार, 20 दिसंबर 2019 तक कंपनी ने पूरा कर लिया है. जो व्यक्ति निर्धारित तिथि को सदस्य न हो, वह इस सूचना का केवल जानकारी हेतु लें.

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली है. सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डाक मतदान (पोस्टल बैलॉट) तथा ई-वोटिंग के ज़रिए मतदान रविवार, 22 दिसंबर 2019 को सुबह 9.00 बजे शुरू होकर सोमवार, 20 जनवरी 2020 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा.

सदस्य मतदान का केवल एक माध्यम चुन सकते हैं यानी डाक मतपत्र (बैलॉट) द्वारा मतदान या ई-वोटिंग के द्वारा. अगर सदस्य दोनों माध्यमों, डाक मतपत्र (बैलॉट) तथा ई-वोटिंग के द्वारा मतदान करते हैं तो डाक मतपत्र (बैलॉट) द्वारा मतदान को अमान्य समझा जाएगा.

डाक मतदान तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित तथा पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री दिलीप भरादिया (सदस्यता सं. F 7956, CP नं. 6740), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मुंबई को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है.

सदस्यों से अनुरोध है कि विधिवत भरे तथा हस्ताक्षरित डाक मतदान फॉर्म्स स्क्रूटिनाइजर के पास सोमवार, 20 जनवरी 2020 को कामकाज का समय समाप्त होने से पहले (अर्थात शाम 5.00 बजे तक) पहुंच जाने चाहिए. सदस्यों से सोमवार, 20 जनवरी 2020 को शाम 5.00 बजे के बाद मिलने वाले मतों पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे वे डाक मतदान हों या ई-वोटिंग.

अगर किसी सदस्य को डाक मतदान फॉर्म न मिले तो वह या तो shares@polycab.com को ईमेल भेज सकता है तथा कंपनी की वेबसाइट - www.polycab.com से भी डाक मतदान की सूचना के साथ डाक द्वारा डुप्लिकेट मतदान फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है.

डाक मतदान द्वारा मत गणना के परिणाम (स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ) बुधवार, 22 जनवरी 2020 को घोषित किए जाएंगे तथा उसे कंपनी की वेबसाइट www.polycab.com पर डाला जाएगा. साथ ही साथ उसे एनएसडीएल की वेबसाइट - evoting.nsdl.com पर डाला जाएगा, इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड को सूचित किया जाएगा.

ई-वोटिंग के निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डाक मतदान की सूचना में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ें तथा डाक मतदान या ई-वोटिंग के बारे में कोई पूछताछ या शिकायत होने पर, 'ई-वोटिंग सदस्य शेयरधारकों के लिए' अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यूज़) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें जो कि www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबर : 1800-222-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें. सदस्य अधोहस्ताक्षरी से shares@polycab.com पर भी संपर्क कर सकते हैं या हमें यहां लिख सकते हैं: पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, पॉलीकैब हाउस, 771 मुगल लेन, माहीम (प), मुंबई -400016

कृते पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में 'पॉलीकैब वायर्स लिमिटेड')
हस्ता./-
साई सुब्रमण्यम नारायण
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्याः एफ5221

दिनांकः 20 दिसंबर 2019
स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक विलेज फार्म प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक विलेज फार्म प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	28/01/2005
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2005PTC132499
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	बी-3, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम) मेन मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	18/12/2019 (आदेश की प्रति 19/12/2019 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	15/06/2020 (दिवाला संकल्प प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नीरज भाटिया** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00824/2017-2018/11400
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पी -27, पहली मंजिल, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017 **ईमेल:** nbtrace1@yahoo.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	पी -27, पहली मंजिल, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017 **ईमेल:** ILVFPLCIRP@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	03/01/2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	श्रेणी का नाम (तों) : कुछ नही
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु विहित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेबलिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) भौतिक पता: लागू नही

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने दिनांक **18 दिसम्बर 2019** को **इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक विलेज फार्म प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (आदेश की प्रति **19 दिसम्बर 2019** को प्राप्त हुई)

इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक विलेज फार्म प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **03 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे का प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।

फॉर्म बी : कर्मकार और कर्मचारियों को छोड़कर परिचालक लेनदारों के दावों के लिए
फॉर्म सी : वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए
फॉर्म डी :श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए
फार्म ई : श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
नीरज भाटिया
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 21 दिसम्बर 2019
स्थान : दिल्ली
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00824/2017-2018/11400

FORM - G
INVITATION OF RESOLUTION PLANS

(Under sub-regulation (5) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of the corporate debtor	Royal Wood Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	30th September, 2008
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi, India, under the Companies Act, 1956
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U20212DL2008PTC183837
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	B-4/9, III rd Floor Mianwali Nagar, Paschim Vihar Delhi -110087
6	Insolvency commencement date of the corporate debtor	24-05-2019
7	Date of invitation of expression of interest	21-12-2019
8	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	It will be provided on request to email:dwaryprawin@gmail.com
9	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Same as stated in (8) above
10	Last date for receipt of expression of interest	05-01-2020
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	06-01-2020
12	Last date for submission of objections to provisional list	11-01-2020
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	12-01-2020
14	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	11-01-2020
15	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	All the eligible prospective resolution applicants will be sent the documents to their email id. For further information the applicants shall request the resolution professional to his email id.
16	Last date for submission of resolution plans	10-02-2020
17	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In Electronic form, supported by speed post or by hand delivery in sealed covers followed by an email confirmation
18	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	15-02-2020
19	Name and registration number of the resolution professional	Prawincharan Prafulcharan Dwary IBBI/IPA-002/IP-N00331/2017-2018/10937
20	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Prawincharan Prafulcharan Dwary Reg Add: 407, Akchhat Tower, Pakwan Cross Road, S.G. Highway, Bodakdev, Ahmadabad, Gujarat 380015. ID: dwaryprawin@gmail.com
21	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	As stated in (20) above
22	Further Details are available at or with	PrawincharanPrafulcharanDwary dwaryprawin@gmail.com
23	Date of publication of Form G	21-12-2019

DATE: 21-12-2019
PLACE: AHMEDABAD

PRAWINCHARAN PRAFULCHARAN DWARY
IBBI/IPA-002/IP-N00331/2017-2018/10937

टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 7 वी मंजिल, विडियोकॉन टॉवर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110055.

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 20263422 एवं 20414156 ऑरिएण्टल एण्टरप्राईजेज

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की ऑरिएण्टल एण्टरप्राईजेज, द्वारा उसके पार्टनर उदित खुल्लर, प्रतीक खुल्लर, एच.नं. शॉप नं. 8, बजरंग मार्केट, असंध, पानीपत, हरियाणा-132103, साथ ही: 5/63, देव नगर करोल बाग, खालसा कॉलेज के सामने, नई दिल्ली-110005, प्रतीक खुल्लर, पुत्र नरिन्दर खुल्लर, एम-4/11, डीएलएफ फेज-2, डीएलएफ क्वे, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, साथ ही: 5/63, देव नगर करोल बाग, खालसा कॉलेज के सामने, नई दिल्ली-110005, साथ ही: प्लॉट नं. 52, वेस्मेन्ट एवं भू तल, रोड नं. मध्य मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेज-2, शाहपुर, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, उदित खुल्लर, पुत्र नरिन्दर खुल्लर, एम-4/11, डीएलएफ फेज-2, डीएलएफ क्वे, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, साथ ही: 5/63, देव नगर करोल बाग, खालसा कॉलेज के सामने, नई दिल्ली-110005, साथ ही: प्लॉट नं. 52, वेस्मेन्ट एवं भूतल, रोड नं. मध्य मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेज-2, शाहपुर, हरियाणा-122002, नरिन्दर कुमार खुल्लर, पुत्र बंसीलाल खुल्लर, एम-4/11, डीएलएफ फेज-2, डीएलएफ क्वे, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, साथ ही: 5/63, देव नगर करोल बाग, खालसा कॉलेज के सामने, नई दिल्ली-110005, मधु खुल्लर, 4जी नरिन्दर कुमार खुल्लर, एम-4/11, डीएलएफ फेज-2, डीएलएफ क्वे, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, साथ ही: एच.नं. शॉप नं. 8 बजरंग मार्केट, असंध पानीपत, हरियाणा-132103, साथ ही: 5/63, देव नगर करोल बाग, खालसा कॉलेज के सामने, दिल्ली-110005 से 14 अक्टूबर, 2019 को रु. 1,92,98,356.94/- (रुपये एक करोड़ बानवे लाख अन्ठानवे हजार तीन सौ छप्पन एवं पैसे चौड़ानवे मात्र) की कुल राशि की वसूली के लिये "**जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" आधार पर** 22 जनवरी, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 14 अक्टूबर, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 1,92,98,356.94/- की राशि बकाया है एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 22 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 21 जनवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य रु.	धरोहर राशि रु.
आवासीय कॉलोनी, डीएलएफ सिटी के नाम से विदित, फेज-II, ग्राम शाहपुर, रोड पर मध्य मार्ग, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा-122022 में सम्पत्ति प्लॉट नं. 52, एरिया माप 300 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित सम्पूर्ण वेस्मेन्ट एवं भू तल, एरिया माप कवर्ड एरिया 2600 वर्ग फीट "उक्त फ्लोर" जिसका विशेष रूप से विवरण बिक्री प्रलेख तिथि 15.4.2015 में दिया गया है। चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. पी-1/13, पूर्वः मध्य मार्ग प्लॉट नं. 53, पश्चिमः मध्य मार्ग, प्लॉट नं. 51	सांकेतिक

खबर कोना

मुबाडाला टेनिस चैंपियनशिप में आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अजला टोमजानोविक के खिलाफ रिर्टन मारतीं रूस की मारिया शारापोआ।

वाडा की रिपोर्ट : 2017 में तेरह फीसद बढ़े डोपिंग मामले

मांट्रियल, 20 दिसंबर (एएफपी)।

विश्व डोपिंग निरोधक एजंसी (वाडा) ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि 2017 में अंतरराष्ट्रीय खेलों में डोपिंग के मामले पिछले 2016 की तुलना में 13 फीसद बढ़ गए। वाडा ने कहा कि 2017 में डोपिंग के 1804 मामले दर्ज किए गए जबकि 2016 में इनकी संख्या 1595 थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में दर्ज मामले 114 देशों और 93 खिलाड़ियों के थे। इटली के सर्वाधिक 171 खिलाड़ी डोपिंग के दोषी पाए गए जबकि फ्रांस के 128 और अमेरिका के 103 खिलाड़ी दोषी रहे। ब्राजील के 84 और रूस के 82 खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी पाए गए। चीन, भारत, बेल्जियम, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका में भी डोपिंग के मामले पाए गए। बाडीबिल्डिंग में सबसे ज्यादा 266 और एथलेटिक्स में 242 खिलाड़ी दोषी रहे।

उक्रेन के भारोत्तोलक से छिना ओलंपिक स्वर्ण

लुसाने, 20 दिसंबर (एएफपी)।

उक्रेन के भारोत्तोलक ओलेक्सी टोरोख्ती से डोपिंग के आरोप में 2012 ओलंपिक में जीता स्वर्ण पदक छीन लिया गया। तैतीस बरस के इस भारोत्तोलक ने 105 किलोवर्ग में पीला तमगा जीता था। उनके मूत्र के नमूने में टेस्टोटेरोन पाया गया। उन पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है।

मीराबाई चानू ने कतर इंटरनेशनल कप में स्वर्ण जीता

दोहा, 20 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व विश्व चैंपियन भारोत्तोलक साइखोम मीराबाई चानू ने छठे कतर इंटरनेशनल कप में 49 किलोवर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला। चानू ने ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में 194 किलोवर्ग में पीला तमगा हासिल किया। ये अंक तोक्यो ओलंपिक 2020 की अंतिम रैंकिंग के समय उपयोगी साबित होंगे। चानू का सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन 201 किलो है। वह स्नैच और क्लीन एंड जर्क में एक ही क्लीन लिफ्ट कर सकीं। उन्होंने स्नैच में 83 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो वजन उठाया।

बेस और ओवरटन इंग्लैंड टीम में शामिल

लंदन, 20 दिसंबर (एएफपी)।

डोमिनिक बेस और क्रेग ओवरटन दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए इंग्लैंड के तीन बीमार गेंदबाजों के विकल्प के तौर पर टीम के साथ जुड़ेंगे। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शुक्रवार को बताया कि समरसेट के दोनों गेंदबाजों को स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफ्रा आर्चर और जैक लीच के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।

आंध्र ने दिल्ली, विदर्भ ने राजस्थान को हराया

रणजी ट्रॉफी

अंगुल (आंध्र प्रदेश), 20 दिसंबर (भाषा)।

केवी शशिकांत और चीपुरापल्ली स्टीफन के पांच-पांच विकेट के दम पर आंध्र प्रदेश ने ग्रुप ए मैच के चौथे दिन दिल्ली को नौ विकेट से हराकर छह अंक हासिल किए। ग्रुप के अन्य मैचों में मौजूदा चैंपियन विदर्भ ने राजस्थान को जबकि पंजाब ने हैदराबाद को पारी के अंतर से हराया।

दिल्ली ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 89 रन से की। ललित यादव और विकास मिश्रा ने सातवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। यादव ने 55 रन बनाए लेकिन टीम की दूसरी पारी 169 रन पर सिमट गई। दिल्ली के पहली पारी में 215 रन के जवाब में आंध्र प्रदेश ने 368 रन बनाए थे। नागपुर में खेले गए मुकाबले में विदर्भ ने राजस्थान को पारी और 60 रन से हराकर सात अंक हासिल किए। फालोआन मिलने के बाद राजस्थान ने दिन की शुरुआत दूसरी पारी में तीन विकेट पर 12 रन से की और उसकी पारी 190 रन पर सिमट गई। विदर्भ ने पहली पारी आठ विकेट पर 510 रन पर घोषित की थी जिसके बाद राजस्थान की पहली पारी 260 रन पर समाप्त हुई। पंजाब ने हैदराबाद की दूसरी पारी को 76 रन पर समेट कर पारी और 125 रन की बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत से पंजाब को सात अंक मिले। पंजाब के लिए मयंक मार्कंडेय ने 19 रन देकर पांच विकेट लिए।

बड़ौदा और सौराष्ट्र जीते, उत्तर प्रदेश ने ड्रॉ खेला : सौराष्ट्र ने ग्रुप बी में रेलवे पर पारी और 90 रन से बड़ी जीत हासिल की। जबकि बड़ौदा ने मध्य प्रदेश को एक विकेट से हराकर छह अंक जुटाए। हुबली में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा।

सौराष्ट्र ने रेलवे को पहली पारी में 248 रन पर आउट करने के बाद नौ विकेट पर 479 रन पर पारी घोषित की। फिर उसने जयदेव उनादकट की शानदार गेंदबाजी से लिए गए छह विकेट की मदद से रेलवे को दूसरी पारी में महज 141 रन पर समेट दिया। इंदौर में खेले गए मुकाबले में बड़ौदा लगातार विकेट गंवाने के बावजूद मेजबानों को एक विकेट से पराजित करने में सफल रहा। उसने 174 रन का लक्ष्य नौ विकेट पर 174 रन पर बनाकर हासिल किया। मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 125 रन और दूसरी पारी में 270 रन बनाए।

वहीं हुबली में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। उत्तर प्रदेश ने आर्यन जुबाल (109 रन) के शतक से पहली पारी में 281 रन बनाए थे। कर्नाटक ने देवदत्त पड्डीकल (74) और श्रेयस गोपाल (38) के अर्धशतक से पहली पारी में 321 रन बनाकर बढ़त हासिल की जिसमें उत्तर प्रदेश के गेंदबाज सौरभ कुमार ने छह विकेट चटकाए। उत्तर प्रदेश ने अलमास शौकत के नाबाद 103 रन से दूसरी पारी तीन विकेट पर 204 रन पर घोषित की। कर्नाटक को पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन और उत्तर प्रदेश को एक अंक मिला। अन्य मैचों में रायपुर में छत्तीसगढ ने उत्तराखंड को एक पारी और 65 रन से हराया।

नागपुर में खेले गए मुकाबले में विदर्भ ने राजस्थान को पारी और 60 रन से हराकर सात अंक हासिल किए।

पंजाब ने हैदराबाद की दूसरी पारी को 76 रन पर समेट कर पारी और 125 रन की बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत से पंजाब को सात अंक मिले।

कर्नाटक के खिलाफ शतकीय पारी के बाद दर्शकों का अभिवादन करते उत्तर प्रदेश के अलमास शौकत।

केकेआर के पास बैकअप का विकल्प नहीं : गंभीर

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा)।

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि उनकी पूर्व आइपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बैक अप के ज्यादा विकल्प नहीं हैं। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन को खिलाड़ियों की नीलामी में हरफनमौलाओं पर बोली लगानी चाहिए थी।

कोलकाता टीम ने पैट कमिंस को साढ़े पंद्रह करोड़ रुपए में खरीदा जिससे वह आइपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। केकेआर ने इंग्लैंड के विश्व कप विजेता इयोन मोर्गन को पांच करोड़ 25 लाख रुपए और भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को चार करोड़ में खरीदा। गंभीर ने कहा कि अगर टीम को समग्र रूप में देखे तो आंद्रे रसेल, इयोन मोर्गन या सुनील नरेन का कोई विकल्प नहीं है। इयोन मोर्गन को चोट लगने पर टीम के पास मध्यक्रम का कोई बल्लेबाज नहीं है। केकेआर को 2012 और 2014 में खिताब दिला चुके गंभीर ने कहा कि पैट कमिंस के चोटिल होने पर लोकी फर्ग्युसन हैं लेकिन शीर्षक्रम में कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कमिंस अपने दम पर कुछ मैच जिताकर अपनी कीमत को सही साबित करेंगे।

गंभीर ने कहा कि अगर टीम को समग्र रूप में देखे तो आंद्रे रसेल, इयोन मोर्गन या सुनील नरेन का कोई विकल्प नहीं है।

घरेलू टेनिस लीगों में निवेश करे सरकार : विष्णु वर्धन

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा)।

एशियाई खेलों के दोहरे पदक विजेता विष्णु वर्धन ने शुक्रवार को सरकार से घरेलू टेनिस लीगों में निवेश का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने छोटे शहरों से प्रतिभाएं तलाशने का आग्रह किया। एशियाई खेल 2010 में मिश्रित युगल और पुरुष टीम स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीतने वाले वर्धन ने कहा कि कई लीग दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में खेली जा रही है।

उन्होंने प्रो टेनिस लीग से इतर कहा कि कई लीग खेली जा रही है लेकिन बड़े शहरों में। सरकार को आगे आकर ऐसी लीगों का समर्थन करना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे शहरों से प्रतिभाएं निकलें। उन्होंने कहा कि सरकार टेनिस में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं 2010 में सरकार की राष्ट्रमंडल योजना का हिस्सा था क्योंकि मेरी प्रतिभा को पहचान मिल चुकी थी। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाए या टूर्नामेंट के लिए प्रायोजन मिले। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही लेकिन जो कर रही है, वह काफी नहीं है।

विष्णु वर्धन ने छोटे शहरों से प्रतिभाएं तलाशने का आग्रह किया।

मैक्सवेल ने 39 गेंद में जड़े 83 रन

मेलबर्न, 20 दिसंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलियाई हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल ने आइपीएल नीलामी में पंजाब द्वारा 10.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद शुक्रवार को बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के लिए 39 गेंद में 83 रन की विस्फोटकीय पारी खेली। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए ब्रेक लेकर वापसी करने के बाद मैक्सवेल ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें टी-20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक क्यों माना जाता है। उन्होंने पारी के दौरान सात चौके और पांच छक्के जमाए।

उन्होंने साथ ही अपने सबसे तेज अर्धशतक (23 गेंद) की बराबरी की। उनकी पारी से उनकी टीम ने ब्रिसबेन हीट के खिलाफ सात विकेट पर 167 रन का स्कोर खड़ा किया। किंग्स इलेवन पंजाब ने ट्विटर पर मैक्सवेल की पारी की प्रशंसा की जो तीन साल के बाद फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं।

किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'बिग शो' ने 'बिग शो' दिखाया। ग्लेन मैक्सवेल अपनी खतरनाक फॉर्म में हैं जिन्होंने बीबीएल में महज 39 गेंद में 83 रन बनाए। मैक्सवेल 2014 से 2017 तक किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेले थे।

टीम में सकारात्मकता लेकर आऊंगा : तांबे

कोलकाता, 19 दिसंबर (भाषा)।

प्रवीण तांबे की उम्र भले ही 48 साल हो लेकिन मुंबई का यह लेग स्पिनर खुद को 20 वर्ष से अधिक का नहीं मानता। उनका कहना है कि वह आइपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में अपना पूरा अनुभव और ऊर्जा लेकर आएंगे। आइपीएल नीलामी में जब युवाओं पर बोली नहीं लगी तब राजस्थान रॉयल्स के इस पूर्व लेग स्पिनर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके आधार मूल्य 20 लाख रुपए में खरीदा।

तांबे ने कहा कि मैं आज भी इस मानसिकता के साथ खेलता हूं जैसे मैं 20 साल का युवा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपना सारा अनुभव और ऊर्जा टीम में लेकर आऊंगा। मैं सकारात्मकता लेकर आऊंगा। मैं जानता हूं कि अगर मैं टीम के साथ रहा तो ऐसा कर सकता हूं। वह उम्र को बाधा नहीं मानते। उन्होंने कहा कि लोग बहुत सी बातें करते हैं लेकिन मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। मुझे जो भी भूमिका मिलेगा, मैं अपनी ओर से सौ फीसद देने की कोशिश करूंगा। मुझे कुछ साबित नहीं करना है। यदि ऐसा होता तो इतने लंबे समय तक नहीं खेल पाता। डीवाई पाटील स्टेडियम में खेल शिक्षक के रूप में काम करने वाले तांबे ने कहा कि मेरे परिवार ने इतने साल मेरा साथ दिया। वे मेरी हौसलाअफजाई करते रहे। केकेआर ने मुझमें कुछ तो देखा होगा जो मेरा चयन किया। मैं केकेआर टीम प्रबंधन का शुक्रगुजार हूं। मैं बदले में उनके लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं।

तांबे का क्रिकेट प्रेम यथावत है जबकि उनका बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कभी क्रिकेटर नहीं बनना चाहता था। वह इंजीनियरिंग कर रहा है। तांबे ने आइपीएल 2014 में राजस्थान रॉयल्स के लिए केकेआर के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी। वह केकेआर टीम में पीयूष चावला की जगह लेंगे जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कुछ हासिल करने के लिए क्रिकेट नहीं खेला।

तांबे ने कहा कि मैं आज भी इस मानसिकता के साथ खेलता हूं जैसे मैं 20 साल का युवा हूं। मैं अपना सारा अनुभव और ऊर्जा टीम में लेकर आऊंगा।

बुमराह के फिटनेस परीक्षण पर बीसीसीआइ अध्यक्ष ने कहा

हर क्रिकेटर को एनसीए से गुजरना होगा

कोलकाता, 20 दिसंबर (भाषा)।

बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शुक्रवार को कहा कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस का आकलन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में किया जाएगा। पहले इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि न तो भारत का यह मुख्य तेज गेंदबाज और न ही राहुल द्रविड़ की अगुआई वाली संस्था बंगलुरु में परीक्षण कराने के इच्छुक हैं।

बुमराह पीठ में 'स्ट्रेस फ्रैक्चर' के बाद फिटनेस हासिल कर रहे हैं। उन्होंने हाल में विशाखापत्तनम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले भारत के नेट अभ्यास में गेंदबाजी की। गांगुली ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को एनसीए जाना होगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सहज हो और लॉजिस्टिक में जाना आसान हो।

वह उस रिपोर्ट का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि बुमराह एनसीए में फिटनेस परीक्षण कराने के इच्छुक नहीं थे और न ही द्रविड़ ऐसा चाहते थे।

चयनकर्ताओं की नियुक्ति के लिए जल्द गठित होगी सीएसी : गांगुली

सौरव गांगुली ने कहा कि अगले कुछ दिन में क्रिकेट सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जो तीन साल के लिए नई चयन समिति का चयन करेगी। उन्होंने कहा कि सीएसी का गठन सिर्फ एक बैठक के लिए किया जाएगा जो चयनकर्ताओं पर फैसला लेगी क्योंकि पुरुष टीम के मुख्य कोच का चयन कपिल देव की अध्यक्षता वाली पूर्व समिति कर चुकी है। गांगुली ने कहा कि अगले कुछ दिन में सीएसी का गठन होगा। यह सिर्फ एक बैठक करेगी क्योंकि मुख्य कोच की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। मौजूदा चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद और सदस्य गगन खोड़ा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जतिन परांजपे, शरणदीप सिंह और देवांग गांधी का अभी एक साल का कार्यकाल बाकी है लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें भी हटाया जाएगा।

खिताब बंगलुरु ओपन में जीत के बाद ट्रॉफी के साथ गोल्फर अभिनव लोहान।

महिला टी-20 विश्व कप में यूनिसेफ के साथ आइसीसी की साझेदारी

दुबई, 20 दिसंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2020 में यूनिसेफ के साथ साझेदारी का एलान किया। इसमें फोकस क्रिकेट के जरिये महिला और कन्या सशक्तिकरण पर होगा। इस साझेदारी के तहत आइसीसी महिलाओं और कन्याओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए धन जुटाने में यूनिसेफ को मंच प्रदान करेगा।

यूनिसेफ ने पुरुष विश्व कप के दौरान 'वन डे फोर चिल्ड्रन' मुहिम से 1,80,000 डॉलर जमा किए थे। यह पैसा अफगानिस्तान में लड़कियों के क्रिकेट की एक परियोजना को गया। महिला विश्व कप 2020 से जमा होने वाला पैसा भी इसी तरह की परियोजना को जाएगा।

आइसीसी सीईओ मनु साहनी ने कहा कि हमें आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप में यूनिसेफ के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है।

बजट 2020 तोक्यो ओलंपिक का अंतिम बजट 12.6 अरब डॉलर | 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक का बजट 6.9 अरब डॉलर

लॉस एंजिलिस से दोगुना खर्चीला होगा तोक्यो ओलंपिक

तोक्यो, 20 दिसंबर (एएफपी)।

तोक्यो ओलंपिक 2020 में करीब 12.6 अरब डॉलर खर्च होंगे। शुक्रवार को आयोजकों ने इन खेलों के लिए अंतिम बजट को पेश किया। बजट पेश करते हुए आयोजकों ने कहा कि गर्मी से बचने के उपायों के कारण कुल बजट में इजाफा हो गया है। हालांकि 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के आयोजन में करीब 6.9 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 का बजट करीब 7.6 अरब डॉलर है।

मेजबान जापान के इस प्रतियोगिता के आयोजन में बढ़ते खर्च को लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी और आयोजन समिति में ठन गई है। खेलों के दौरान गर्मी से राहत के लिए मैराथन और पैदलचाल को उत्तरी शहर सापोरो स्थानांतरित करने के मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद है। इन स्पर्धाओं पर करीब तीन अरब येन खर्च होने हैं और यह कौन उठाएगा, यह मसला अब तक सुलझा नहीं है।

गर्मी से राहत के इंतजामों पर भारी खर्च

तोक्यो ओलंपिक की आयोजन समिति के एक अधिकारी के मुताबिक गर्मी से राहत के लिए मैराथन का स्थान बदलने को लेकर आइओसी से लागातार उनकी बात चल रही है। खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए हालांकि जापान ने कई इंतजाम किए हैं। वहां सड़कों पर वाटर स्प्रे जैसे मशीन लगाए जा रहे हैं। साथ ही मैराथन स्थल के आसपास कूलर के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आयोजकों ने गर्मी और उमस से बचाव के लिए सड़कों पर ऊष्मा रोकने वाली पुताई कराई है। उनको इस पर भारी खर्च करना पड़ रहा है।

आमद में 30 अरब येन की बढ़ोतरी

आयोजकों के मुताबिक घरेलू प्रायोजन और टिकटों की बिक्री से आमद 30 अरब येन बढ़ी है। हालांकि इसके साथ ही यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के बजट में बी बढ़ोतरी हुई है। इसमें गर्मी से निपटने के उपाय शामिल हैं। करीब 27 अरब येन का आपात बजट भी रखा गया है जो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए होगा।

खेलों के दौरान गर्मी से राहत के लिए मैराथन और पैदलचाल को उत्तरी शहर सापोरो स्थानांतरित करने के मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद है। इन स्पर्धाओं पर करीब तीन अरब येन खर्च होने हैं।

नेशनल स्टेडियम पर 9772 करोड़ का खर्च

जापान सरकार और तोक्यो मेट्रोपॉलिटन प्रशासन मिलकर इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। बजट में हिस्सेदारी भी बराबर है। हालांकि बढ़ते खर्चे को लेकर सरकार और आयोजन समिति के बीच विवाद की स्थिति है। नए बने नशनल स्टेडियम पर खर्च हुए करीब 9772 करोड़ रुपए ने सवाल खड़े किए हैं। जापान के बोर्ड ऑफ ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2018 के बीच सरकार के करीब 1.06 ट्रिलियन येन खर्च हुए।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 34, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।